खण्ड-217, अंक-5
शुक्रवार, 25 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(16 सितम्बर, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 217 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	..	४६७–४७१
प्रश्नोत्तर	..	..	..	४७१–४९६
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	..	..	..	४९६
देहरादून के ननकू पासी की कथित हत्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	..	..	..	४९६–४९९
लखनऊ बिजली कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं को कम बिजली देने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	..	..	..	४९९–५०१
भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी	..	..	..	५०२
सहकारिता बिल की प्रतियों की मांग	..	..	..	५०२
प्रदेशीय तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप पर चर्चा (जारी)			..	५०२–५५४
नत्थियां	..	..	..	५५५–५६३

हिन्दुस्तान

LEGISLATURE LIBRARY
DEC 1960

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेश चन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, ी
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री

प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगवतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री

रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री

सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह,राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १६ सितम्बर १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य भवन लखनऊ में चोरी

***१--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जुलाई या अगस्त, १९६० ई० में लखनऊ के राजभवन में बहुत बड़ी चोरी हो गई है ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--जी हां । राजभवन के गेस्ट हाउस से कुछ सामान चोरी गया ।

***२--श्री गनेशचन्द्र काछी**--यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सामान चोरी गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--एक टाइमपीस घड़ी, दो बिजली के टेबुल लैम्प तथा दो बड़े कैन्डिल लैम्प चुराये गये ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने कुछ इसका पता लगाया कि चोर वहां के स्टाफ में से था या बाहर से आया था ?

श्री रामस्वरूप यादव--राजभवन में पहले एक नौकर था वह निकाल दिया गया था, उसी को गिरफ्तार भी किया गया । एक चीज बरामद भी हो गयी और जांच जारी है ।

श्री अध्यक्ष--उस पर मुकदमा दायर कर दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--गत् वर्ष राज्यपाल नैनीताल दौरे पर गये थे और जब सामान वापस आया तो कई बोरे बालू के मिले थे ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह सूचना मुझे तो नहीं है । माननीय सदस्य को है जो उन्होंने मुझे दे दी ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--चोरी में कौन-कौन सी चीजें गयी थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने बतलाया कि दो-तीन चीजें थीं । कुल १३६ रुपये का सामान चोरी गया था ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--इस चोरी का पता कब लगा और किसने रिपोर्ट लिखायी ?

श्री रामस्वरूप यादव--चोरी का अन्दाज, सफाई के लिये सामान खुला था. उस वक्त हो गया था कि यह सामान गायब है लेकिन यह सोचा गया कि किसी कर्मचारी ने इधर-उधर रख दिया होगा । रिपोर्ट कई दिन बाद हुई । रिपोर्ट होने पर जैसा मैंने निवेदन किया एक शख्स को गिरफ्तार किया गया । कुछ सामान भी मिला था । जांच हो रही है और मुकदमा भी दायर कर दिया जावेगा ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--क्या इस प्रकार की यह पहली चोरी की घटना है या इससे पहले भी चोरी हुई है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--इस वक्त कोई तफसील मेरे पास है नहीं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

देवरिया जिले में जूनियर हाई स्कूलों के कुछ अध्यापकों का वेतन रुकना

*१--**श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला देवरिया के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को लम्बे काल से जो १।। साल से ज्यादा का है दर्जा ६ में माफ की गई फीस की धनराशि अदा (reimburse) नहीं की गई है ? अगर हां, तो कितने काल से तथा क्यों ? क्या यह सही है कि इसके फल स्वरूप सैकड़ों अध्यापकों का वेतन रुका पड़ा है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)--देवरिया के कुछ असहाय्यिक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को प्रश्नगत अनुदान इन स्कूलों से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आवश्यक सूचना निर्धारित रूप में प्राप्त न होने के कारण दिसम्बर, १९५९ से नहीं दिया जा सका है । सम्भव है कि इसके फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापकों का कुछ समय का वेतन रुक गया हो ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के जो मास्टर हैं उनको अल्प वेतन मिलता है और दिसम्बर, ५९ से साल भर होना चाहता है, तो मंत्री जी इस बात की चेष्टा करेंगे कि जल्दी उसका भुगतान हो जाय ताकि वे अपना खर्चा चला सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं कि प्रश्नकर्त्ता का प्रश्न ठीक है और उसमें जल्दी कार्यवाही होनी चाहिये । अक्सर ऐसा होता है कि इंस्पेक्टर आफ स्कूल की रिपोर्ट जल्दी नहीं आती है या ठीक-ठीक नहीं भेजी जाती तो अनुदान जो होता है वह रुक जाता है । इस बात की चेष्टा की जा रही है कि ऐसी रुकावट न पड़ा करे और वेतन जल्दी से जल्दी अदा हो जायगा ।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट न आने के कारण यह अनुदान रोक दिया गया है तो रिपोर्ट देर से भेजने पर क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कोई जानबूझ कर उन्होंने नहीं किया । उन्होंने रिपोर्ट भेजी । उसमें कुछ बातें ऐसी थीं जिनके और स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी । उनको लिखा गया कि इसका और स्पष्टीकरण करें । अब वह रिपोर्ट आयी होगी और सम्भवतः वह मिल भी गया होगा ।

श्री रामायणराय--माननीय मंत्री जी ने उत्तर देते हुये कहा कि आवश्यक सूचना निर्धारित रूप में प्राप्त नहीं हुई । तो ऐसे जिला इंस्पेक्टर जो निर्धारित रूप में सूचना नहीं देते हैं उन्हें दंडित करने में मंत्री जी को क्या एतराज है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अगर जानबूझ कर कोई गलती करता है तो दंडित किया ही जाता है । लेकिन अगर यों ही किसी वजह से थोड़ी-बहुत गलती हो गयी और उसमें कोई नीयत नहीं है तो एकदम से दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता है । लेकिन उनको बार-बार लिखा गया है और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सही सही रिपोर्ट भेजेंगे ताकि जो चौथा अनुदान होता है आखिरी वह मिल जाय और अध्यापकों के वेतन में दिक्कत न पड़े ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन अध्यापकों की तनख्वाह इस बात पर आश्रित रहती है कि दर्जा ६ की फीस का रिइम्बर्समेंट पहले भेजा जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कुछ तो आश्रित रहती ही है इसलिये कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल हों या ऐसे स्कूल हों जोकि सहायता प्राप्त नहीं हैं लेकिन रेकग्नाइज्ड हैं जूनियर हाई स्कूल या बड़े स्कूल और उसमें दर्जा ६ तक के बच्चों की फीस माफ कर दी, तो उस फीस का रुपया गवर्नमेंट देती है । अगर वह रुपया नहीं मिलता है तो उनकी आमदनी और खर्च पर असर पड़ता है जिससे सम्भव है कि अध्यापकों के वेतन में रुकावट पड़ जाती हो ।

श्री मदन पांडेय--निर्धारित फार्म में जिस सूचना का जिक्र उत्तर में किया गया है वह अब प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या पेमेंट किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी निश्चित सूचना तो मेरे पास नहीं है । पता लगा लेंगे लेकिन अभी तो यही मान कर चलना चाहिये कि अभी तक उन्होंने रिइम्बर्स नहीं किया होगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां से गत वर्ष भी रिपोर्ट आ गयी थी और इस वर्ष भी आ चुकी है लेकिन डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर के कार्यालय में रुकी है और उनसे मिलने के बाद हमको मालूम हुआ कि उन्होंने रिपोर्ट भेज दी फिर भी डायरेक्टर के दफ्तर में पड़ी हुई है । इसलिये माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा के जो दोषी हों उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, उस पर आवश्यक कार्यवाही हो रही है ।

[१६ सितम्बर, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को पढ़ने में सहायता देने के संबंध में केन्द्र का पत्र

*१--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को सहायता देने के सम्बन्ध में २, ३ मास पहले कोई योजना बना कर उनके पास भेजी है ? यदि हां, तो क्या वह उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी हां, केन्द्रीय सरकार का पत्र जो सन् १९५९ में प्राप्त हुआ था, की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५५५–५५६ पर)

*२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजनानुसार प्रादेशिक सरकार ने राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों पर वार्षिक कितना रुपया व्यय करने का निश्चय किया है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—प्रादेशिक सरकार की राजनीतिक पीड़ित योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष १,९४,६४० रु० व्यय किया जाता है । केन्द्रीय सरकार की योजना जिसकी रूपरेखा अभी विचाराधीन है, लागू होने पर यह रकम बढ़ा कर दूनी कर दी जायगी ।

*३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९४९ में भी राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को सहायता देने के सम्बन्ध में कोई आदेश प्रादेशिक सरकार की ओर से जारी हुआ था ? यदि हां, तो क्या वह उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी हां, आदेश की अधिक प्रतियां उपलब्ध न होने के कारण उन्हें सदन की मेज पर रखना अभी सम्भव नहीं होगा । परन्तु मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५९ का जो पत्र भारत सरकार से आया उसको अबतक लागू न करने का कारण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कारण यह है कि उन्होंने जो पोलिटिकल सफरर्स की परिभाषा की है वह हमारी परिभाषा से बहुत संकुचित है । हमारे यहां यह स्कीम बड़ी पुरानी, ८–१० वर्षों से चल रही है कि स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के बच्चों को शिक्षा-दीक्षा में कुछ सहायता दी जाय । भारत सरकार ने अभी सन् ५९ में अपनी यह स्कीम बनायी है । उन्होंने जो स्कीम बनायी उसमें लिखा यह कि जो खर्च हम करते हैं उसका ५० फीसदी भार भारत सरकार उठाने को तैयार है । हमारे यहां चूंकि यह स्कीम पहले से थी इसलिये उनको लिखा गया कि ५० फीसदी क्या जितना हम खर्च कर रहे हैं उतनी ही रकम और दे दें तो हमारी योजना का अधिक विस्तार हो जाय, लेकिन आप पोलिटिकल सफरर की हमारी परिभाषा मान लीजिये क्योंकि आपकी परिभाषा बहुत संकुचित है और उसका परिणाम यह होगा कि हमारे यहां जिन लोगों को सहायता मिल रही है उनको बन्द हो जायगी । अब उनके यहां यह विचाराधीन है और कदाचित् वे स्वीकार करने के लिये राजी हो रहे हैं कि हम अपने प्रदेश में अपनी परिभाषा के अनुसार सहायता दें, उसमें उन्हें आपत्ति नहीं होगी पर वे खर्च ५० फी सदी उसी का उठायेंगे जो उनकी परिभाषा के अन्दर आने वाले पोलिटिकल सफरर्स को सहायता मिलती है । इसी प्वाइंट पर उनसे शास्त्रार्थ हो रहा है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जो परिभाषा राजनीतिक पीड़ितों की की है, वह क्या है और प्रादेशिक सरकार की परिभाषा में मुख्य-मुख्य क्या अन्तर हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—परिभाषा तो उनकी वास्तव में ठीक है, लेकिन परिभाषा में जो उन्होंने रिश्तेदारों को जोड़ा है वह बहुत कम है, वैसे परिभाषा ठीक है । अंग्रेजी में डेफीनीशन है और उसके मुताबिक वह यह कहते हैं कि राजनीतिक पीड़ित उनको हम मानेंगे जो राजनीतिक पीड़ित की संतान हो । उसका पौत्र यदि उसका पिता मर गया हो, राजनीतिक पीड़ितों के गोद लिये हुये बच्चे, बस इतना ही मानते हैं । हमारे यहां जो परिभाषा चल रही है,

वह यह है कि उसकी पत्नी, राजनीतिक पीड़ित के पुत्र, गोद लिये हुये बच्चे, राजनीतिक पीड़ित का पौत्र यदि पिता मर गया हो, राजनीतिक पीड़ित के पिता रहित भतीजे तथा भतीजी, भाई, बहिन यदि पिता मर चुका है। इतनी लम्बी व्याख्या है जिसके अनुसार हमारे यहां सहायता दी जाती है। उनके यहां की परिभाषा बहुत संकुचित है। उनसे कहा गया तो वह कहते हैं कि हमारी परिभाषा के अन्दर जितना आप देते हैं उसका ५० प्रतिशत ले लीजिये। अपनी परिभाषा के अनुसार आप जितना चाहें दें, हम पैसा नहीं देंगे।

श्री रामायणराय—मान्यवर, जो जी० ओ० केन्द्रीय सरकार का ५ जनवरी, १९५९ का है उसके सम्बन्ध में मंत्री जी कहते हैं कि उसमें जो राजनीतिक पीड़ितों की परिभाषा है वह बहुत संकुचित है लेकिन कुछ अर्थों में हमारे राज्य की परिभाषा से व्यापक है। आप केवल उन लोगों को राजनीतिक पीड़ित मानते हैं जो जेल में रहे और उसके लिये कुछ अवधि निश्चित कर रखी है। लेकिन वह उनको भी मानते हैं जो मर गये, जेल में गये अथवा किसी ऐक्शन में जिनको कुछ नुकसान हुआ है। इस अर्थ में केन्द्रीय सरकार की परिभाषा हमारी परिभाषा से व्यापक है, क्या मंत्री जी इस भेद को मिटाकर एकरूपता लाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को कदाचित पूरी जानकारी नहीं है। जो उनकी परिभाषा है उससे हमारी परिभाषा किसी प्रकार से संकुचित नहीं है। जो मर गये हम उनको भी मानते हैं, जेल में मर गये या जेल के बाहर मर गये, गोली से मर गये उनको भी हम मानते हैं, जो नहीं मरे हैं परन्तु अंग भंग हो गया है उनको भी मानते हैं। ऐसे लोग बहुधा जो किसी आदेश से उस समय जेल में नहीं गये हैं पर कार्य करते रहे हैं और जीवित हैं उनको भी हम मानते हैं। हमारी व्याख्या कितनी ज्यादा व्यापक है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी को मालूम है कि हमारी सरकार की अच्छी परिभाषा है लेकिन उसके मुताबिक प्रदेश में अमल नहीं हो रहा है अर्थात् जो राजनीतिक पीड़ितों के सीधे पुत्र या पुत्री हैं उनकी फीस न आधी होती है, न पूरी माफ होती है और न सहायता मिलती है, ऐसे भी हैं, यह उन्हें मालूम है ? यदि मालूम है तो क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे उदाहरण सामने आते हैं तो उनकी सहायता करने की कोशिश की जाती है। अगर रह गये होंगे तो अज्ञानवश रह गये होंगे। दूसरा कारण नहीं हो सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह राजनीतिकों के बच्चों को जो सहायता दी जाती है उसमें, बच्चे किस कक्षा से ले कर किस कक्षा तक शुमार किये जाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नीचे से ले कर ऊपर तक।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९२१, १९३० के जो राजनीतिक सैनिक लड़ने वाले हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, उनके परिवारों में, उत्तर प्रदेश में, जिन को कोई सहायता या फीस माफी अब तक न हुई ? इसको एक सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह सूचना तो मेरे पास नहीं है कि कितनों की नहीं हुई है। कितनों की हुई है इसकी सूचना मेरे पास है। कोई माननीय सदस्य देखना चाहें तो कार्यालय से देख सकते हैं लेकिन उसको मेज पर रखना उचित नहीं होगा क्योंकि उससे किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। ऐसा हो सकता है कि जिनका ज्ञान न रहा हो, वह रह गये हों। उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कराया जायगा तो कार्यवाही की जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जो १९४९ का जी० ओ० है उसका पालन प्रदेश के स्कूलों में नहीं हो रहा है और यह भी सही है कि उस जी० ओ० की प्रतिलिपियां न स्कूलों में हैं, न इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के पास हैं, यही नहीं बहुत संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जिनको जानकारी भी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—दूसरे हिस्से का जवाब दें कि उस जी० ओ० की प्रतिलिपि स्कूलों में है या नहीं। पहले हिस्से का उत्तर आप दे चुके हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता हूं कि शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहां न हो। न होगा तो भेज दिया जायगा। आठ-दस वर्ष पुरानी स्कीम है। स्कूलों को ज्ञान होना चाहिये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की परिभाषा के अनुसार कोई ऐसी लिस्ट तैयार की है कि उनकी परिभाषा के अनुसार कितने लोग आ रहे हैं ताकि जो ५० फीसदी उन्होंने देने को कहा है वह उनसे लिया जा सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। डाइरेक्टर से इसकी मांग की गयी है कि वह यह सूचना दे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परिभाषा के अनुसार कितने लोगों को दिया जा रहा है और कितना खर्चा हो रहा है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो तीन महीने या दो महीने के ही केवल राजनीतिक पीड़ित हैं, इतनी ही उन्होंने सजा काटी है, उनको भी यह सब सहायताएं मिलती हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने आपसे निवेदन किया कि एक परिभाषा बनी हुई है, उसके अनुसार हम देते हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जो जी० ओ० के मुताबिक विद्यालय फीस माफ करते हैं, सरकार उस फीस माफी की पूर्ति अपने ग्रांट इन एड में नहीं कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह ऐसा प्रश्न है जो अस्पष्ट है। अगर कहीं ऐसा हो रहा हो तो उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाय तो देखें कि क्या मामला है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—छात्रों की फीस माफी की जो व्यवस्था है और उनको स्टाइपेंड देने की व्यवस्था है उसमें बड़ी कठिनाई हो रही है, उसमें बहुत से लोग रह जाते हैं। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह इसको और स्पष्ट करा देंगे गवर्नमेंट से जिसमें कि आसानी से उनको सहायता मिल सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किस प्रकार की कठिनाई है, कुछ समझ में आया नहीं। इतना कह सकता हूं श्रीमन्, कि अगर कठिनाई इस बात की है कि जितने आदमी आवेदन-पत्र देते हैं उन सबको नहीं मिल पाता तो इस कठिनाई को हम स्वीकार करते हैं क्योंकि जितनी रकम हमारे पास है खर्च करने के लिये उतनी रकम से उन तमाम आवेदकों को हम नहीं दे पाते जिनको कि हमारे पास दरख्वास्तें आती हैं। इस लिये उसमें कुछ नियम भी बनाने पड़ते हैं कि लड़का पढ़ने वाला हो और ४५ परसेंट मार्क्स मिले हों। अगर दो-तीन भाई एक साथ हैं तो एक भाई का तो आवेदन दे सकते हैं एकाध भाइयों को अनावेदन दे दें। इसमें सम्भव है कुछ कठिनाई पड़ती हो, जिनको नहीं मिला हो वह समझें कि कठिनाई पड़ी।

श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों की फीस माफ की जाती है उनकी आमदनी भी देखी जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---देखना तो चाहिये। ऐसे कोई आदेश खास तौर से गये हों, यह तो मुझे पता नहीं है लेकिन देखना चाहिये कि जो गरीब हों उनके बच्चों की फीस माफ हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री जी फिर से जानकारी हासिल करने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि स्कूलों में सन् ४९ का जो जी० ओ० है वह नहीं पहुंचा और अधिकांश स्कूलों में इंसपेक्टर आफ स्कूल्स उस जी० ओ० का पालन नहीं करते हैं ? आजमगढ़ की बात मैं करता हूं, अपने स्कूल की बात करता हूं और एक-दो नहीं माननीय सैकड़ों सदस्य यहां बैठे होंगे जो स्कूलों से सम्बन्धित होंगे, वह यह जानते होंगे कि यह सही है कि सन् ४९ के जी० ओ० का पालन स्कूलों में नहीं हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---किस जी० ओ० का जिक्र कर रहे हैं माननीय सदस्य, मैं समझा नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---सन् ४९ का जी० ओ०।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं निवेदन करता हूं कि लड़कों की फीस की माफी सरकार नहीं करती। कोई यह जी० ओ० नहीं है कि पोलिटिकल सफरर्स के जितने लड़के हैं उनकी फीस माफ कर दी जाय। हम स्टाइपेंड देते हैं लोगों को, सहायता देते हैं। यह स्कूलों और कालेजों का काम है कि वह उन लड़कों की फीस माफ कर दें, वह करते होंगे और करना चाहिये लेकिन सरकार कोई फीस नहीं माफ करती। वह तो यहां से स्टाइपेंड देती है। उनको पढ़ने-लिखने में सहायता, किन्हीं को आवर्तक और किन्हीं को अनावर्तक पुस्तकों इत्यादि के सम्बन्ध में दे देती है या जिनके पास पैसा नहीं रहता है फीस देने को और उनका इम्तहान का रिजल्ट रुक जाता है तो उनका पैसा जमा करके इम्तहान का रिजल्ट निकलवा देती है। अब हम भारत सरकार से यह भी चेष्टा कर रहे हैं कि वह नियम बनावें कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जितने सैनिक रहे हैं जिनकी कि आमदनी कम है, जो गरीब हैं, उनके बच्चों की फीस माफ हो सके और उसका रिइम्बर्समेंट जो हो, उसके लिये जो पैसे की जरूरत होगी वह पैसा भारत सरकार दे। लेकिन अभी इसका निश्चय नहीं हुआ है।

*४-५---**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)---[६ अक्तूबर, १९६० के लिये स्थानान्तरित किये गये।]

क्लर्क तथा स्टेनोग्राफर नियुक्त करने में पुलिस विभाग की नीति

*६---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उसके ऐसे कोई सरकारी आदेश हैं कि उत्तर प्रदेश के आई० जी० पुलिस तथा पुलिस कप्तान के कार्यालयों के क्लर्क्स अथवा स्टेनोग्राफर्स उसी जिले में नौकरी नहीं कर सकते हैं जहां के वे निवासी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---शासन द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया है।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि एस० पी० के स्टेनोग्राफर्स जो तीन-तीन वर्ष से दूसरे जिलों में हैं यदि वह ऐसे प्रार्थना-पत्र दें कि हमको अपने जिले में भेज दिया जाय तो क्या सरकार उन पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, विभाग की यह नीति है कि एस० पी० के स्टेनोग्राफर्स अपने जिले में नियुक्त नहीं किये जायेंगे। शासन की तरफ से मैंने बतलाया कि कोई नीति ऐसी नहीं है। लेकिन विभाग की तरफ से ऐसा है कि ऐसे स्टेनोग्राफर्स को अपने जिले में नियुक्त नहीं किया जायगा।

*७--**श्री हरिदत्त काण्डपाल** (जिला अल्मोड़ा)--[७ अक्तूबर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

उन्नाव जिले में कत्ल

*८--**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ मई, १९६० से १५ जुलाई, १९६० तक उन्नाव जिले में कितने कत्ल हुये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस अवधि में ८ कत्ल हुये।

*९--**श्री सजीवनलाल**--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इन कत्लों में से कितने ऐसे हैं जिनका पता पुलिस ने लगा लिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इनमें से अब तक चार केस वर्क आउट हो गये हैं।

*१०--**श्री सजीवनलाल**--इन कत्लों में से कितनों के अभियुक्त अभी तक फरार हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--वर्क आउट हुए मामलों में केवल एक अभियुक्त फरार है।

श्री सजीवनलाल--माननीय मंत्री जी की सूचना से पता चला कि ढाई महीने के अन्दर आठ कत्ल हुए, चार वर्क आउट हुए। जो चार वर्क आउट नहीं हुए उनका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, एक में तो फाइनल रिपोर्ट लग गई। न शहादत थी न पता चल सका। एक में जांच हो रही है। मैं अलग-अलग निवेदन कर देता हूं। बांगरमऊ थाने में फाइनल रिपोर्ट लग गई है। मोरावां में १४ मुलजिम गिरफ्तार किये गए। अचलगंज में जो हुआ उसमें ७ गिरफ्तार हो चुके। एक फरार है। उसकी जांच हो रही है। अखोहा में जांच हो रही है और बिहार में एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। मुकदमा सेशन अदालत में चल रहा है। पुरवा में एक मुकदमा है उसकी जांच हो रही है और एक का पता नहीं चल सका है। गंगाघाट में एक मुकदमा कचहरी में भेज दिया गया है।

श्री सजीवनलाल--क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो चार केस वर्क आउट हुए हैं उनमें कितने मुलजिम गिरफ्तार किये गए ?

श्री रामस्वरूप यादव--अलग-अलग हैं श्रीमन्। एक में १४ आदमी गिरफ्तार किये गए थे। एक में सात, एक में आठ और एक में दो हुए।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में सन् १९६० में जो कत्ल हुये हैं यह पिछले १०, १२ वर्षों के अन्दर जो कत्लों का अनुपात वहां रहा है, उससे अधिक हो गया है और उन्नाव के कुछ विधायकों ने माननीय गृह मंत्री को इस सम्बन्ध में एक लिखित आवेदन पत्र दिया था कि राजनैतिक कारणों से और दूसरे कारणों से वहां पर कत्लों की संख्या बढ़ रही है उसकी ओर ध्यान दिया जाय ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कत्लों की संख्या बढ़ी है या नहीं इसके आंकड़े इस समय नहीं हैं। २,३ वर्षों के आंकड़े मंगाये जायं और उनसे तुलना करके देखा जाय तब यह मालूम हो सकता है कि कत्ल बढ़े हैं या घटे हैं। कत्ल के आंकड़े बढ़े हों या नहीं लेकिन पुलिस को इस तरह की ताकीद बराबर की गई है कि इसकी रोकथाम की जाय। आजकल कुछ कत्ल बढ़े हैं यह बात सही है।

परिवहन विभाग की गाड़ियों के क्रय-विक्रय तथा मरम्मत के सम्बन्ध में आदेश

*११—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)--क्या यह सही है कि दिनांक २८ अगस्त, १९५६ को सरकार का यह आदेश हुआ था कि परिवहन विभाग के उप-यातायात आयुक्त (टेक्निकल) के द्वारा सरकारी गाड़ियों का क्रय-विक्रय तथा उनकी मरम्मत का काम न लिया जाय ? यदि हां, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)--जी हां, सरकार ने दिनांक २८-६-५६ को यह आदेश दिये थे कि डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (टेक्निकल) से सरकारी गाड़ियों के क्रय तथा मरम्मत का काम न लिया जाय क्योंकि उनको इस काम के साथ प्राइवेट आपरेटर्स की गाड़ियों की चेकिंग तथा रीजनल इंसपेक्टर्स के कार्य की देखरेख के लिये अधिक समय नहीं मिलता था।

*१२—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**--क्या यह सही है कि सरकार ने अपनी दिनांक २८-६-५६ की आज्ञा को रद्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--जी नहीं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी आदेश के बावजूद भी इन लोगों से क्रय-विक्रय और मरम्मत का कार्य लिया जाता है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--जी हां, लिया जाता है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि यह आदेश दिया गया है कि "न लिया जाय और न लिया जाता है" और अब मन्त्री जी कहते हैं कि लिया जाता है, तो इनमें कौन-सा उत्तर सही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--जिन लोगों से यह कार्य लिया जाता है उसके कारण हैं। सन् १९५६ में इस प्रकार का आदेश गया था कि यह कार्य दो उप-परिवहन आयुक्तों में बांट दिया जाय, एक वर्कशाप और दूसरे प्रशासन को देखें तो उसको ये लोग करते रहे। फिर सन् १९५८ में जिन लोगों को यह कार्य दिया गया था उसमें से एक उप-परिवहन आयुक्त (प्रशासन) लम्बे अरसे तक बीमार रहे अतः वह उस कार्य को नहीं कर सके। इसलिये उनसे उस कार्य को वापस लिया गया। दूसरे जो उप-परिवहन आयुक्त वर्कशाप थे उनके पास अधिक कार्य था। भारत सरकार ने कई कमेटियों का निर्माण किया जिनका कार्य उनको करना पड़ा था। इसलिये वह भी उस कार्य को नहीं कर सके। फिर उनसे भी उस कार्य को वापस ले लिया गया। अतः उप-परिवहन आयुक्त टेक्निकल को कार्य करना पड़ा।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि कार्य की अधिकता के कारण वह नहीं कर सके, तो इस प्रकार पब्लिक के कार्य का बड़ा नुकसान होता है और कार्य भी ठीक प्रकार से नहीं होता। तो २६-६-५६ के आदेश के अनुसार जैसा मंत्री जी ने कहा है कि उनसे काम नहीं लिया जायगा तो इस कार्य के लिये, जो उनसे लिया जाता है, अन्य अस्थायी नियुक्ति करने की कृपा करेंगे ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)--यह शासन के विचाराधीन है क्योंकि परिवहन आयुक्त ने १५,२० दिन पहले इस संबंध में अपने सुझाव भेजे हैं।

मोचक्ला ग्राम में श्री महाबीर के घर डकैती

*१३--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या १८-१९ मई, १९६० को ग्राम मोचक्ला, थाना बिसवां (सीतापुर) में श्री महाबीर, पुत्र पुरई हरिजन के यहां डकैती पड़ी थी और इस डकैती में श्री महाबीर की स्त्री का देहान्त डाकुओं की बन्दूक की गोली से हो गया था? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उपरोक्त घटना की रिपोर्ट डकैती की नहीं लिखी गई है?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, घटना की रिपोर्ट शुरू में डकैती की नहीं लिखी गई परन्तु सर्किल आफिसर के आदेश से जुर्म को धारा ४६० भा० दं० वि० की बजाय धारा ३९६ भा० दं० वि० में परिवर्तित कर दिया गया।

*१४--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--यदि हां, तो क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि उपरोक्त घटना से संबंधित कोई पत्र जून या जुलाई, १९६० में किसी एम० एल० ए० का जिलाधीश सीतापुर को प्राप्त हुआ है?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां।

*१५--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--यदि हां, तो क्या उपरोक्त पत्र के प्राप्त होने पर जिलाधीश या परगनाधीश द्वारा जांच की गई है? यदि जांच की गयी है, तो जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री रामस्वरूप यादव--उपरोक्त पत्र के प्राप्त होने के पहले ही सर्किल आफिसर के आदेश से घटना डकैती में परिवर्तित कर दी गई थी। इसलिये किसी अन्य कार्यवाही या जांच की आवश्यकता न रही।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो घटना बाद में ३९६ में परिवर्तित की गई तो वह पहले किस दफा में लिखी गई थी और जिस दफा में पहले लिखी गई थी बाद में वह क्यों परिवर्तित की गई और उस संबंध में उस थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने बतलाया कि ४६० आई० पी० सी० में पहले लिखी गई थी। इसमें थानेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है लेकिन मुकदमे के बाद यदि आवश्यकता समझी गई तो विचार किया जा सकता है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--इस डकैती में कितने लोग किस हथियार से घायल हुये और उनका सर्व प्रथम इलाज किस अस्पताल में किया गया?

श्री रामस्वरूप यादव--एक स्त्री को पिस्तौल लगी थी, उसकी मृत्यु हो गयी। लड़कों को लाठी इत्यादि की चोटें आयी थीं और निकट के बिसवां अस्पताल में उनकी डाक्टरी जांच करायी गयी थी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सर्किल आफिसर के आदेश से धारा में परिवर्तन कब किया गया?

श्री रामस्वरूप यादव--२७ मई को सर्किल आफिसर ने डायरी वगैरह देख कर आदेश दिया था और उनके आदेशानुसार १३ जून, १९६० को धारा ३९६ में यह मुकदमा कर दिया गया।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह उस थानेदार के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं और कार्यवाही करने के लिये केस का फैसला होने तक की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी वजह यह है कि रिपोर्ट जो लिखाई थी वह गांव सभा के प्रधान ने लिखायी थी। जो रमई थे, वह पढ़े लिखे नहीं थे। तो गांव सभा के प्रधान ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी और वह ४६० में दर्ज हुई और तुरन्त तशखीस शुरू हुई और एक हफ्ते के अन्दर सर्किल इंस्पेक्टर ने यह पाया कि इसे ३९६ में होना चाहिये और उसने उसका आदेश दिया जो कर दिया गया। इस से यह नहीं निकलता कि उस दरोगा की ओर से कोई जुर्म को छिपाने की कोशिश की गयी और चूंकि अदालत के सामने मामला चला गया है इसलिये कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वह थानेदार वही हैं जिनके संबंध में २३-८-६० को इसी माननीय सदन में एक औरत को छिपाये जाने की स्वीकारोक्ति सरकार द्वारा हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे स्मरण नहीं है कि कौन सी स्वीकारोक्ति हुई है और कौन वह थानेदार हैं।

समाचार-पत्रों को सहायता न मिलना

*१६—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन समाचार पत्रों को सरकार ने किस-किस रूप से कितनी-कितनी सहायता १९५९-६० में दी ?

श्री रामस्वरूप यादव—समाचार पत्रों को कोई सहायता नहीं दी गई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अखबारों के जो सप्लीमेंट्री छपवाये जाते हैं उनकी कापियां सरकार खरीदती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सप्लीमेंटरी सरकार की ओर से नहीं छपवाये जाते। कभी कभी समाचार पत्र अपने विशेषांक निकालते हैं और कभी सप्लीमेंटरी निकालते हैं तो किसी विशेष विषय पर लेख अथवा विज्ञापन आदि सरकार की ओर से दे दिये जाते हैं, लेकिन वे सप्लीमेंटरी सरकार की ओर से नहीं छपवाये जाते।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जो पत्र इस तरह से सरकारी अधिकारियों के लेख आदि छापते हैं उनकी कापियां सप्लीमेंट्री की सरकार खरीदती है या सूचना विभाग खरीदता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कापियों को खरीदने की कोई नीति हमारे यहां नहीं न उस के लिये कोई पैसा रहता है।

*१७—**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—[७ अक्तूबर, १९६० के, लिये स्थगित किया गया।]

कुसमखोर में पुलिस चौकी खोलने की प्रार्थना

*१८—**श्री होरीलाल यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गृह मंत्री को ग्रामवासी कुसमखोर, जिला फर्रुखाबाद का २-५-५९ का प्रार्थना-पत्र पुलिस चौकी खोलने के संबंध में मिला है ? यदि हां, तो सरकार उस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*१९—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—[७ अक्तूबर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर रोडवेज क्षेत्र में क्लर्कों व इन्सपेक्टरों की भर्ती

*२०—श्री भजनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर रोडवेज क्षेत्र में ८-३-५७ के बाद कितने पद जनरल क्लर्क के और कितने पद सहायक ट्रैफिक इंस्पेक्टरों के रिक्त हुये और उन पर कितने व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा व कितने व्यक्ति विभागीय पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—कानपुर क्षेत्र में ८-३-५७ से १-९-६० तक ९ पद जनरल क्लर्क के रिक्त हुये जिनमें से ६ स्थान पदोन्नति द्वारा भरे गये और शेष ३ अभी रिक्त हैं। इसी अवधि में सहायक ट्रैफिक इन्सपेक्टर के ३१ स्थान रिक्त हुये जिनमें से १४ पदोन्नति द्वारा और १२ सीधी भर्ती द्वारा भरे गये। शेष ५ स्थान अभी रिक्त हैं।

श्री भजनलाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार की तरफ से क्या कोई ऐसे आदेश गये हैं कि जिनके आधार पर ५० प्रतिशत सीधी भर्ती हो और ५० प्रतिशत विभागीय प्रमोशन किया जाय ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां।

श्री भजनलाल—क्या सरकार बतायेगी कि जो ६ क्लर्कों की पदोन्नति कर दी गई है, उसमें आपके हिसाब से ३ को सीधे भर्ती किया जाना चाहिये था, मगर ऐसा नहीं किया गया, तो यह क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्योंकि वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं रहे थे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—जो ५ स्थान रिक्त हैं, इनकी पूर्ति कब तक हो जायेगी और यह क्यों रिक्त हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—यथाशीघ्र इनकी पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री भजनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो २६ सहायक इन्सपेक्टर ट्रैफिक भर्ती किये गये इनमें से आपके निर्णय के अनुसार आधे सीधे भर्ती किये जाने चाहिये थे किन्तु १२ ही सीधे भर्ती किये गये, तो यह जो एक का हेरफेर रहा वह किस आधार पर किया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—रीजनल सेलेक्शन कमेटी की जब स्वीकृति होगी तो उस समय इसको ठीक कर लिया जायेगा और जो एक व्यक्ति को ज्यादा पदोन्नति हो गयी है उसको फिर अपने स्थान पर वापस भेज दिया जायेगा।

शाहजहांपुर में श्रीमती राजकुमारी की मृत्यु के संबंध में जांच

*२१—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि अभी हाल ही में शाहजहांपुर के बहुत से पुरुषों व महिलाओं का एक डेपुटेशन स्थानीय जिला मैजिस्ट्रेट से उस महिला के संबंध में मिला था जिसकी बाबत वहां आम खबर है कि कुछ लोगों ने उसको जला कर हत्या कर दी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, कुछ लोग जिलाधीश के बंगले पर गये थे, पर वहां उनकी अनुपस्थिति में, नगराधीश (सिटी मैजिस्ट्रेट) से मिले।

*२२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि शाहजहांपुर में अभी हाल ही में कुछ लोगों द्वारा एक जलूस, भरी हुई बन्दूकों व पिस्तौलों, कुल्हाड़ियों, कांतों तथा लाठियों सहित बाजार में निकाला गया था जिससे वहां की जनता में बड़ा आतंक फैला हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। ऐसा कोई जलूस नहीं निकाला गया और न जनता में कोई आतंक ही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिस औरत को जिन्दा जलाया गया उसके संबंध में कोई डेपूटेशन मिला था और उसके बाद कई मुलजिमान को पकड़ा गया था ? यदि हां तो कितने ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस मामले की जांच के बाद डी० एस० पी० ने यही पाया था कि यह घटना आत्महत्या की थी, इसलिये पकड़ने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ। लेकिन सन्देह की वजह से यह मुनासिब समझा गया कि इसकी सी० आई० डी० द्वारा भी चेकिंग करा ली जाय। सी० आई० डी० इसकी चेकिंग कर रही है।

श्री देवनारायण भारतीय—इस घटना के महत्व को देखते हुये कि एक स्त्री की हत्या की गयी और उस पर पर्दा डाला जा रहा है, इसका पूरा विवरण सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—अभी तो उसकी जांच हो रही है सी० आई० डी० द्वारा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो इस संबंध में एफ० आई० आर० दर्ज करायी गयी उसमें क्या लिखा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—उसमें यह था कि श्रीमती राजकुमारी जब दूध गर्म कर रही थीं उस समय उसके दुपट्टे में आग लग गयीं और वह जल गयीं। उसके कारण उनकी हालत खराब हो गयी और उनको अस्पताल ले जाया गया जहां दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गयी।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत आई है कि वह औरत अस्पताल में जिन्दा थी और वहां उसको जहर देकर मार डाला गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है बल्कि उसका एक बयान लिया गया जिसमें उसने यह कहा था कि दूध गरम करते हुए उसके आग लग गयी थी।

श्री भगवानदास, गांव–प्रधान, जिला बदायूं के कत्ल के मामले में प्रासीक्युशन अधिकारियों की तीव्र आलोचना

*२३—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि ६ अगस्त, १९६० को इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस गुर्टू व माननीय जस्टिस धावन ने श्री भगवानदास, गांव प्रधान, जिला बदायूं के कत्ल के मामले में छः अभियुक्तों को बरी करते हुये जो अपने निर्णय में यह स्ट्रिक्चर पास किया है कि—

"It could not be too strongly emphasized that in criminal proceedings the State could not behave like a private litigant. It was not its function to obtain a conviction by hook or by crook.

We cannot help observing that a brutal murder has gone unpunished chiefly because of the neglect and irregular conduct of those who were in-charge of the prosecution".

उसके आधार पर उसने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त मामले से संबंधित हाई कोर्ट के निर्णय-पत्र की प्रति अभी तक जिला जज बदायूं अथवा जिलाधीश बदायूं के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। अस्तु यह ज्ञात नहीं है कि प्रश्न में अंकित आशय की कोई आलोचना हाई कोर्ट ने की है या नहीं। अतः अभी किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न सामने नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार उक्त विषय की गम्भीरता को देखते हुए शीघ्र प्रतिलिपि मंगाने पर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, उस प्रतिलिपि के आते ही शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अगर वह प्रतिलिपि जिलाधीश ने नहीं भेजी थी, तो यह सवाल प्राप्त होने के बाद सरकार ने स्वयं उसको क्यों नहीं मंगा लिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी जिलाधीश के यहां आया नहीं मान्यवर, तो मंगा कहां से लेते ?

श्री प्रतापसिंह—इस केस के बारे में जिस पर जज साहब ने जजमेंट दिया है कि, "The State Government behaved like a private litigant" इसको कौन कंडक्ट कर रहा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नाम का पता नहीं है, सरकारी वकील करते होंगे।

कडेरे महासभा, फीरोजाबाद का प्रार्थना-पत्र

*२४—**श्री भजनलाल**—क्या सरकार के पास पिछले साल कडेरे जाति को बैकवर्ड क्लास में शामिल करने हेतु प्रार्थना-पत्र कडेरे महासभा, फीरोजाबाद की ओर से आया था ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी हां।

श्री भजनलाल—क्या मंत्री महोदय के पास जो दो प्रार्थना-पत्र महासभा, फीरोजाबाद की तरफ से आये ह उनका संक्षिप्त विवरण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आपने इसमें लिखा है कि "बैकवर्ड क्लास में सम्मिलित करने के हेतु" और उन्होंने कहा कि, "जी हां"। उन्होंने कोई इनकार तो नहीं किया। आप दूसरा सवाल करें।

श्री भजनलाल—तो मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस प्रार्थना-पत्र के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—अभी तक भारत सरकार ने भी निर्णय नहीं लिया है कि पिछड़ी जातियों का आधार क्या होना चाहिये। कुछ लोग कहते हैं कि जन्म के आधार पर, कुछ का विचार है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाना चाहिए। भारत सरकार जब इस पर फैसला कर लेगी तब उस पर विचार हो सकेगा।

श्री भजनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आखिरकार इस सरकार का आधार क्या है, इसको भी बताने का कष्ट करेगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—अभी तक जो लिस्ट बनी हुई है वही आधार है, लेकिन चूंकि एक कमीशन बैठा, उसने एक रिपोर्ट दी, वह भी किसी निश्चय पर नहीं पहुंचा था कि क्या आधार होना चाहिए। इसके बाद भारत सरकार ने भी उस पर विचार किया और वह अभी तक निर्णय नहीं ले सकी।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने जो यह फैसला किया है कि आर्थिक आधार होना चाहिए पिछड़ी जातियों का, लेकिन अब तक राज्य सरकार और भारत सरकार भी जाति के आधार पर ही तमाम सहायता और स्कालरशिप देती रही, तो क्यों इस साल प्रतीक्षा की जा रही है भारत सरकार के निर्णय की ? क्या वह आधार बदल गया ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—नहीं, फैसला नहीं बदला गया, बल्कि नयी जातियों को शामिल कर दिया गया इसलिए नये फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है।

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञापन पाने वाले समाचार-पत्र

*२५—**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि १५ अगस्त, १९६० के अवसर पर किन-किन समाचार-पत्रों को सूचना विभाग के द्वारा विज्ञापन उनके स्वतंत्रता दिवस अंक में प्रकाशनार्थ सरकार की ओर से दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पत्रों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५५७ पर)

*२६—**श्री गौरीशंकर राय** (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि विज्ञापन देने के लिये समाचार-पत्रों को चुनने का क्या तरीका रहा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—विज्ञापन पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए उन्हीं पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन देने के लिये चुना गया जिन्हें नियमानुसार विज्ञापन दिया जा सकता है ।

कन्हई पुरवा की डकैती में मृत श्री रामसनेही के आश्रितों को पेंशन देने पर विचार

*२७—**श्री होरीलाल यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गत वर्ष ग्राम कन्हई पुरवा, थाना ठठिया, जिला फर्रुखाबाद में पड़ने वाली डकैती के अवसर पर डकैतों का पीछा करते हुये डाकुओं की गोली से एक ग्रामीण मारा गया था ? यदि हां, तो मृतक का क्या नाम है ? क्या सरकार ने उक्त मृतक के परिवार को सहायता दी है या देने का विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां । मृतक का नाम श्री राम सनेही है । मृतक के आश्रितों को पेंशन देने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पर विचार कब तक हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—जल्द ही हो जायगा ।

*२८-२९—**श्री तेजबहादुर** (जिला आजमगढ़)—[हटा दिये गये ।]

डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस, कम्पलेंट्स, जिला बुलन्दशहर के पास शिकायतें

*३०—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्पलेन्ट्स) के पास किस-किस विभाग की शिकायतें १९६० में आईं और किस-किस विभाग के खिलाफ सच पाई गईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला बुलन्दशहर के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्पलेन्ट्स) को १९६० में (३१-८-१९६० तक) पुलिस, माल, स्वास्थ्य सेवा, न्यायालय तथा सिंचाई विभाग की शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से न्यायालय विभाग को छोड़कर शेष सभी विभागों से प्राप्त शिकायतों में से कुछ शिकायतें सही पाई गईं ।

खुटहन पुलिस चौकी क्षेत्र में डकैतियां

*३१—**कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जनपद की तहसील शाहगंज की पुलिस चौकी खुटहन के क्षेत्र में अप्रैल, १९६० से अब तक कितने डाके पड़े तथा इन डाकों में कितनों में बन्दूकों का प्रयोग डाकुओं ने किया ? उनसे कितने आदमी घायल हुये या मरे तथा वे घायल व मृत किन-किन गांवों के थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस अवधि में केवल एक डकैती पड़ी जिसमें देशी पिस्तौल का प्रयोग किया गया। तीन व्यक्ति छुरों से घायल हुए। कोई मरा नहीं। घायलों में से दो सधनपुर तथा एक दीनापुर ग्राम के निवासी थे।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास इस प्रकार की कोई सूचना है कि इस अवधि में श्री जयमंगल सिंह, काशीराम साहू तथा रामअधार साहू के यहां डकैती पड़ी थीं जिनको चोरी की रिपोर्ट करके दर्ज किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई सूचना तो मुझे इसकी है नहीं। माननीय सदस्य यदि मुझे लिख कर दे दें तो जांच करा लूं।

*३२—**श्री ऊदल**—[७ अक्तूबर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में परिवर्तन करने का सुझाव

*३३—**श्री ऊदल**—क्या सरकार प्रदेश में बढ़ती हुई मोटर दुर्घटनाओं को रोकने के लिये मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट तथा परिवहन नियमों में कोई संशोधन या परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ? क्या सरकार उपरोक्त परिवर्तन करने के लिये रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसरों तथा विभाग के सचिवों का कोई सम्मेलन बुलाने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं।

श्री ऊदल—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आज जो एक साल पहले भारत सरकार ने मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में परिवर्तन करके राज्य सरकार को लिख दिया है कि वह चाहे तो ट्रिब्युनल की स्थापना कर सकती है और उसके लिए रूल्स बना सकती है, तो इसके बनाने में मंत्री जी को क्या कठिनाई है ?

डाक्टर सीताराम—इस तरह के भारत सरकार के डाइरेक्टिव्ज आया करते लेकिन शासकीय कारणों की वजह से इस नियम को लागू करना ठीक प्रतीत नहीं होता।

श्री ऊदल—मन्त्री जी ने अभी बताया कि कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या मंत्री जी उन कारणों को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ताकि हम भी समझ लें कि आखिर क्या कारण हैं ?

डाक्टर सीताराम—सेन्ट्रल मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के सेक्शन ११०, सब-सेक्शन (१) के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि प्रदेश की सरकारें ट्रिब्युनल्स बनावें। लेकिन यू० पी० सरकार ने जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम निकाली है उसमें लोअर और अपर की दो स्कीमें हैं, सरकारी बसेज से जो एक्सिडेन्ट्स होते हैं उनका फैसला करने के लिये। लोअर में डी० एल० आर०, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी (ट्रांसपोर्ट) और अन्डर सेक्रेटरी (फाइनेंस) हैं और अपर में सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट, एल० आर० और फाइनेंस ज्वाइन्ट सेक्रेटरी हैं।

बामियाना रेलवे स्टेशन के पास पटरी उखाड़ने की घटना

*३४—**कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसे इस प्रकार की सूचना मिली है कि बरेली जिले के बामियाना रेलवे स्टेशन के एक पैटमैन को १६ अगस्त, १९६० की रात्रि में किसी अज्ञात नकाबपोश ने एक पत्र दिया जिसमें यह धमकी दी गई थी कि पटरी उखाड़ कर गाड़ी लूट ली जावेगी तथा दूसरे दिन वस्तुतः पटरी उखाड़ी गई जिसका समय से पता लग जाने के कारण कोई दुर्घटना नहीं हो सकी ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। मामले की जांच रेलवे पुलिस द्वारा की जा रही है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह प्वाइन्ट्समैन जिसको नकाबपोश ने पत्र दिया था, उसने उस की रिपोर्ट पुलिस में कितनी देर बाद की, उसी दिन की या दूसरे दिन ?

श्री रामस्वरूप यादव—उसने उसकी खबर स्टेशन मास्टर को कर दी, स्टेशन मास्टर ने पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी और स्वयं भी प्रबन्ध कर दिया। प्रारम्भिक जांच से ऐसा मालूम हुआ है कि इसमें कोई षडयन्त्र था अपने दुश्मनों को फंसाने के लिये।

श्री प्रतापसिंह—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोई छान-बीन की कि इस प्रकार का षडयन्त्र क्यों किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रारम्भिक जांच से पता चला कि दुश्मनों को फंसाने के लिये यह षडयन्त्र हुआ, अभी इसकी जांच जारी है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पटरी जो उखाड़ी गई वह दिन में उखाड़ी गई या रात में उखाड़ी गई और कितनी देर के बाद यह सूचना मिली कि पटरी उखड़ी हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—रात में ही स्टेशन मास्टर ने आदमी भेज दिया था रेलवे लाइन पर। उसने जाकर देखा कि एक फिशप्लेट और बोल्ट निकाल लिये गये हैं। यह घटना स्टेशन से करीब चार फर्लांग पर हुई।

श्री चन्द्रजीत यादव—इस बात की गम्भीरता को देखते हुए कि रेल की पटरी उखाड़ी गई जिससे एक बड़े पैमाने पर खतरा पैदा हो चुका था और उसमें षडयन्त्र का भी पता चला, क्या सरकार किसी उच्चाधिकारी से इस मामले की जांच करायेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसमें उच्चाधिकारी की आवश्यकता नहीं है। जांच से लोगों के नाम भी मालूम हो रहे हैं लेकिन मैंने उनको बताना मुनासिब नहीं समझा।

*३५-३६—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—[७ अक्तूबर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*३७—**श्री रामसूरतप्रसाद** (जिला गोरखपुर)—[७ अक्तूबर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

रीजनल ट्रांस्पोर्ट आफिसर, लखनऊ के स्थानान्तरण पर विचार

*३८—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रीजनल मोटर ट्रांसपोर्ट आफिस, लखनऊ में ऐसे कितने गजटेड आफिसर हैं जिनको ३० जून, १९६० तक इसी कार्यालय में कार्य करते तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—एक

*३९—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त अधिकारी किन-किन पदों पर आसीन हैं और उनका स्थानान्तरण कब तक किया जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—यह अधिकारी हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर। इनके स्थानान्तरण के प्रश्न पर आगामी गर्मियों में विचार किया जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह अधिकारी कितने दिन से इसी एक स्थान पर नियुक्त हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—एक जनवरी, १९५७ से।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी एक महीने पहले जब गर्मियों में ट्रांसफर के दिन थे तो पिछले दिनों में विचार क्यों नहीं किया गया, अगली गर्मियों में क्यों विचार किया जायगा ?

डाक्टर सीताराम—किसी भी आदमी का ट्रान्सफर इस साल नहीं किया गया है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मर्तबे कोई ट्रांसफर नहीं किये गये इसीलिये इनका ट्रांसफर नहीं किया गया या उस जी० ओ० की अवहेलना के लिये नहीं किया गया जिसका नम्बर २५।१२।ए (२)–१९५८ है और जिसके अनुसार हर गजटेड अफसर का ट्रांसफर तीन साल के बाद अनिवार्य है ?

डाक्टर सीताराम—जी० ओ० की अवहेलना तो नहीं होती। आर० टी० ओ० के ८ रीजन हैं और ७ को एक जगह ३ साल से कम हुये हैं। उनको डिसटर्ब करना उचित न समझ कर इनका भी ट्रांसफर नहीं किया। अगले साल इस पर विचार किया जायगा।

*४०–४१—**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)—[स्थगित किये गये।]

मिलक मिर्जा फयाज में पुलिस और ग्रामवासियों में मारपीट

*४२—**श्री अभयराम यादव** (जिला इटावा) (अनुपस्थित) तथा **श्री रूर्मासिह** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या स्थान मिलक मिर्जा फैयाज तहसील व जिला रामपुर में १९ मई, १९६० को २० से अधिक व्यक्तियों को, तहसीलदार अ.र डी० वाई० एस० पी० द्वारा घर में घुस कर पीटा गया था व गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं, बल्कि गांव वालों ने तहसीलदार और उनकी पार्टी, जो गांव में टैक्स वसूल करने गये थे, को घेरा और मारपीट की।

*४३—**श्री अभयराम यादव** (अनुपस्थित) तथा **श्री रूर्मासिह**—क्या यह भी सही है कि उपर्युक्त पुलिस की मार से अनेक घायल हुए और एक बच्चा मर गया था तथा २० मई, १९६० को पूरे गांव में आग लगा दी गई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस घटना में ५ गांव वाले तथा १३ पुलिस व तहसील के कर्मचारियों के चोटें आईं। यह ग़लत है कि पुलिस की मार से कोई बच्चा मर गया या पुलिस ने गांव में आग लगाई।

श्री रूर्मासिह—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बच्चे के मरने के क्या कारण थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक बच्चा पैदा हुआ था, वह सूखा की बीमारी से मर गया।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या यह सही है कि तहसीलदार और डी० एस० पी० वहां ९ वर्ष का पंचायत टैक्स वसूल करने के लिये गये थे, तब यह घटना हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जब तहसीलदार घिर गये और उन्होंने सूचना भेजी तब बाद में डी० एस० पी० गये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह वसूलयाबी ९ साल पुराने टैक्स की हो रही थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—डिप्टी साहेब कितनी देर बाद पहुंचे और उस बीच में क्या होता रहा, यह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—चौपाल के एक तरफ तहसीलदार को घेर लिया था। वे घिरे खड़े रहे, पुलिस ने पहुंच कर हटाया।

*४४-४६—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—[७ अक्तूबर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*४७—श्री मदन पांडेय—[हटा दिया गया।]

*४८—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी तथा श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)—[७ अक्तूबर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

प्रधान अध्यापकों के कैडर से सब-डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स का चुनाव

*४९—श्री गोकुलप्रसाद (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)— क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में प्रधानाध्यापकों के कैडर से कुल कितने सबडिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स का विभागीय चुनाव हुआ था? उसमें कितने परिगणित जाति के थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी— जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों में से १३ सब-डिप्टी इन्स्पेक्टरों का पद भरा गया है, जिनमें से एक परिगणित जाति के थे।

*५०—श्री गोकुलप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५४-५५ के पश्चात् अब तक डिप्टी इंस्पेक्टरी के सीधे चुनाव दो बार हो चुके हैं किन्तु प्रधान अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल तथा माडेल स्कूल के कैडर से अभी तक सब-डिप्टी इंस्पेक्टरों के लिये कोई विभागीय चुनाव नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

चुनाव नियमों में परिवर्तन इस समय शासन के विचाराधीन है। इसलिये अभी तक प्रधानाध्यापकों में से सब-डिप्टी इन्स्पेक्टरों का चुनाव नहीं हो सका है।

*५१-५२—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—[हटा दिये गये।]

मथुरा में पुलिस विरोधी प्रदर्शन

*५३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या ६ जुलाई, १९६० को मथुरा के कुछ हिस्सों में एक सिपाही द्वारा लक्ष्मी टाकीज के पास ठंडा जल बेचने वाले एक युवक के पीटे जाने के फलस्वरूप पुलिस विरोधी प्रदर्शन और हड़ताल हुई? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस घटना की खबर सभी स्थानीय पत्रों में छपी?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, मीटिंग भी हुई।

श्री रामायण राय—क्या ६ जुलाई को कोई प्रदर्शन और सभा पुलिस के जुर्म के विरुद्ध हुई थी, इस बात की सूचना मंत्री जी को है?

श्री रामस्वरूप यादव—मीटिंग हुई और उसमें प्रस्ताव भी पास हुआ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—सरकार ने प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की?

श्री रामस्वरूप यादव—पुलिस का कोई कर्मचारी दोषी नहीं था। जिन्होंने झगड़ा किया, उनके खिलाफ़ स्थानीय पुलिस ने कार्यवाही की।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रस्ताव किस बात का था?

श्री रामस्वरूप यादव—यही था कि इम्पार्शल जांच की जाय।

वाराणसी में "चाइना रिकांस्ट्रक्ट्स" जब्त पत्रिका की प्रतियों की बरामदगी

*५४—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल तथा राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**—क्या यह सही है कि ७ या ८ जुलाई, १९६० को वाराणसी की एक दूकान पर पेकिंग के चाइना वेल्फेयर इन्स्टीट्यूट से प्रकाशित "चाइना रिकन्स्ट्रक्ट्स" नामक मासिक पत्रिका के नवम्बर, १९५९ और मार्च, १९६० के भारत सरकार द्वारा जप्त और निषिद्ध अंकों की कुछ कापियां पकड़ी गयीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, ८-७-६० को इस पत्रिका के मार्च, १९६० के अंक की कुछ कापियां पकड़ी गईं, किन्तु नवम्बर, १९५९ के अंक की कोई प्रति नहीं पाई गई।

*५५—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल तथा राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**—क्या सरकार इस सम्बन्ध में सतर्क है कि यही अंक अथवा इसी तरह का अन्य आपत्तिजनक साहित्य प्रदेश में दूसरी दूकानों तथा दूसरे शहरों में चीन के पंचमांगियों द्वारा बेचा या वितरित तो नहीं किया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, सरकार इस सम्बन्ध में पूर्णरूप से सतर्क है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये कापियां कहां पाई गईं और क्या ये वर्जित थीं ? अगर निषिद्ध कापियां बेचना जुर्म है तो जिसके यहां ये पाई गईं उसके खिलाफ क्या किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिनके यहां पाई गईं वे एक कम्युनिस्ट सज्जन हैं। आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने उन्हें जब्त किया और यह सरकार भी ले लेती है।

श्री प्रतापसिंह—'चाइना रिकन्स्ट्रक्ट्स' नाम की पत्रिका आज भी गुप्त रूप से बार्डर एरिया में बांटी जा रही है, सरकार उसे लेने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उस पर रोक है और पुलिस सतर्क है।

श्री रामायण राय—उन कम्युनिस्ट सज्जन के खिलाफ़ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की कोई धारा नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या इस बात को देखते हुए कि यह पत्रिका हमारी प्रदेशीय सीमा के सम्बन्ध में बार-बार इस प्रकार की आपत्तिजनक बात छापती रहती है, जब तक पत्रिका अपना यह रवैया न बदले तब तक के लिये इसे प्रदेश में बिलकुल बैन करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरा ऐसा खयाल है कि वह बिलकुल बन्द है। यदि ऐसा नहीं है तो उस पर विचार कर लिया जायगा।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—'चाइना रिकंस्ट्रक्ट्स' के जिन अंकों में आपत्तिजनक बातें नहीं हैं, खाली चीन के विकास की बातें हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाने की सरकार क्यों आवश्यकता अनुभव करती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय नारायणदत्त जी का अभी सुझाव आया है। इतना उतावला होने की आवश्यकता नहीं है। सुझाव को देखेंगे।

तालबेहट में महिलाओं के साथ छेड़खानी करने की कथित शिकायतें

*५६—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कमिश्नर, झांसी, जिलाधीश और एस० पी० झांसी के पास तालबेहट, जिला झांसी के कुछ उच्छृंखल लोगों द्वारा रास्ते चलते महिलाओं से छेड़खानी करने व कस्बे में आतंक फैलाने आदि

नोट:—तारांकित प्रश्न ५५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

के सम्बन्ध में ३ मार्च, १९५९ और २ अप्रैल, १९५९ को क्षेत्रीय विधान सभा के सदस्य ने पत्र भेजे थे? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कमिश्नर झांसी मण्डल, जिलाधीश तथा एस० पी०, झांसी को इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधान सभा सदस्य का कोई भी पत्र नहीं प्राप्त हुआ।

*५७—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल, तालबेहट की कुछ अध्यापिकाओं ने ४-१-५९, १७-१-५९, २०-१-५९ और १८-३-५९ को स्टेशन आफिसर, थाना तालबेहट और सम्बन्धित जिला अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देकर कुछ शिकायत करते हुए अपनी रक्षा की प्रार्थना की थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—स्टेशन आफिसर, थाना तालबेहट तथा संबंधित अधिकारियों को अध्यापिकाओं ने कथित तारीखों पर अपनी रक्षा हेतु कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था।

पहल और मोहनपुरवा की कथित डकैतियां

*५८—**श्री बुलाकीराम** (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जुलाई, १९६० में हरदोई जिले में थाना कोतवाली के अन्तर्गत ग्राम पहल और मोहन पुरवा में एक ही रात में डकैतियां पड़ीं परन्तु रिपोर्ट मारपीट की लिखी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—माह जुलाई, १९६० में ग्राम पहल व मोहन पुरवा में कोई डकैती नहीं पड़ी। २२ जुलाई, १९६० की रात को उक्त ग्रामों में हुई मारपीट की घटनाओं की अलग-अलग लिखित रिपोर्ट वादियों द्वारा थाना कोतवाली में दी गई जो थाने में दर्ज की गई। दोनों घटनाओं के मामलों में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।

जगदीशपुर निवासी अवधू पासी की विधवा का थानेदार के विरुद्ध पत्र

*५९—**श्री तेजबहादुर**—क्या यह सही है कि स्वर्गीय अवधू पासी, ग्राम जगदीशपुर थाना बरदह, जिला आजमगढ़, जिसका गत वर्ष कत्ल कर दिया गया, की पत्नी ने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया था कि उसके पति के कत्ल कराने की साजिश, उस समय के थानेदार ने जो अब भी उस थाने पर है, की थी जिसकी जांच उस हल्के के सर्किल इंस्पेक्टर ने की थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी— ऐसा एक प्रार्थना-पत्र श्री अवधू की विधवा के नाम से प्राप्त हुआ था, किन्तु जांच के दौरान में उसने बयान दिया कि उसने इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया।

*६०—**श्री तेजबहादुर**— क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त जांच के आधार पर उस समय के थानेदार के विरुद्ध किसी किस्म की कार्यवाही की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जांच से थानेदार की Preventive Action न लेने की लापरवाही पाई गई और उसे चेतावनी दी गई।

राजा-का-रामपुर निवासी भंगियों का कथित शिकायती-पत्र

*६१—**श्री भूपकिशोर** (जिला एटा)— क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सुन्दर, भर्ती लटूरी, मंसी, पुखू, नेकसू आदि भंगी, निवासी राजा का-रामपुर, तहसील अलीगंज, जिला एटा ने, जून, १९६० में कोई शिकायती अर्जी सरकार के पास भेजी है कि उन भंगियों की मुर्दा दफनाने की जगह में लटरी सिंह ने कब्जा कर लिया है जिसकी वजह से भंगियों के पास कोई स्थान मुर्दों के दफनाने को नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। जून, १९६० में ऐसा कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ।

*६२—श्री भूपकिशोर—यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल के राजकीय इंटर कालेजों में स्थानाभाव

*६३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि नैनीताल में इस वर्ष छात्र लड़के तथा लड़कियों दोनों के राजकीय कालेजों में नये इंटर सेक्शन न खोले जाने के कारण अनेक छात्र एवं छात्राओं को ऐडमिशन नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो इस स्थिति का निराकरण करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, स्थान की कमी के कारण अतिरिक्त सेक्शन खोलना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

सड़ासरिया निवासी चन्द्रसिंह चौकीदार की संदिग्ध हत्या

*६४—श्री प्रतापसिंह तथा श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १४-६-६० को श्री चन्द्रसिंह चौकीदार, लकड़ी डिपो, ग्राम सड़ासरिया, तहसील खटीमा, की हत्या की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी— दिनांक १७-६-६० को पुलिस अधीक्षक, नैनीताल के कार्यालय में एक तार द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी।

*६५—श्री प्रतापसिंह तथा श्री झारखंडेराय—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या किया गया और उस समय के थानेदार खटीमा ने क्या कार्यवाही इस मामले की जांच में की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी— थानेदार खटीमा ने इसे आत्महत्या की घटना मानकर पंचायतनामा भरने के बाद लाश को बगैर पोस्टमार्टम कराये जलाने के लिये दे दिया। उप-पुलिस अधीक्षक नैनीताल ने इसकी जांच की और मामला संदिग्ध पाए जाने पर सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दिया गया ।

रोडवेज विभाग, गोरखपुर के निलम्बित कर्मचारी

*६६—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज विभाग, गोरखपुर में १-६-५९ से १-३-६० तक कौन अधिकारी व कर्मचारी मुअत्तल रहे और अब वह विभाग में कार्य कर रहे हैं या निकाल दिये गये ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५५८-५५९ पर।)

कणसरवा गांव की डकैती

*६७—श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया के अन्तर्गत फरवरी, १९६० के अन्तिम सप्ताह में कणसरवा गांव, थाना खामपार में जो सशस्त्र डकैती पड़ी थी उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई और किन-किन व्यक्तियों का चालान हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त डकैती में अनुसंधान के पश्चात् ७ अभियुक्तों, जिनके नाम संलग्न तालिका में दिये हुये हैं, का चालान धारा ३९५/३९७ भा०द० वि० के अन्तर्गत अदालत में भेज दिया गया । अदालत से ३ अभियुक्तों को ७ वर्ष कठोर कारावास की सजा हुई शेष ४ व्यक्ति मुक्त हो गये ।

३ व्यक्ति बाद में गिरफ्तार हुए जिसमें से एक पहचान न होने के कारण छोड़ दिया गया, दूसरे को न्यायालय ने डिस्चार्ज कर दिया तथा तीसरे के विरुद्ध पहचान की कार्यवाही के बाद उचित कार्यवाही की जावेगी। दो अभियुक्तों ने न्यायालय समर्पण कर दिया है और शेष १२ अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८७/८८ दंड विधान संग्रह की कार्यवाही की गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५६० पर)

मुहम्मदाबाद गोहना, मऊनाथ भंजन तथा चिरैयाकोट थानों में विभिन्न अपराध की घटनायें

*६८—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार आजमगढ़ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना, मऊनाथ भंजन और चिरैया कोट थानों में गत तीन महीनों के अन्दर जो चोरियां, डकैतियां और कत्ल हुए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५६१ पर)

बरेली जिले में कत्ल तथा डकैतियां

*६९—**श्री शिवराजबहादुर** (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९६० से जुलाई, १९६० तक बरेली में कुल कितनी डकैतियां पड़ीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में बरेली जिलें में १७ डकैतियां पड़ी।

*७०—**श्री शिवराजबहादुर**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन डकैतियों के सिलसिले में कुल कितने डकैत गिरफ्तार हुए और उनमें से कितनों पर मुकदमें चलाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुल ११३ अभियुक्त गिरफ्तार हुए और उनमें से ९० पर मुकदमा चलाया गया।

*७१—**श्री शिवराजबहादुर**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन डकैतियों में कुल कितने कत्ल हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—चार कत्ल हुए।

राजकीय आदर्श विद्यालयों के अस्थायी अध्यापक

*७२—**श्री रामसमझावन** (जिला जौनपुर)—क्या गृह-मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय आदर्श विद्यालयों में कितने ऐसे अस्थायी अध्यापक कार्य कर रहे हैं जिनकी कार्य करने की अवधि ३ वर्षों से अधिक है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

संख्या	वेतन-क्रम
५६	४५–२–६५ द० रो०–३–८० के वेतन क्रम में।
४१	६०–४–८० द० रो०–५–१२० के वेतन-क्रम में

हरिजन ए० टी० आई०

*७३—**श्रीमती शकुंतलादेवी** (जिला सहारनपुर)—क्या मंत्री परिवहन बतानें की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ए० टी० आई० प्रत्येक जिले में कितने हैं और इनमें कितने प्रतिशत हरिजन हैं ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५६२ पर)

टनकपुर में श्री भगवतशरण की हत्या

*७४—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार को ज्ञात है कि टनकपुर, जिला नैनीताल में दिनांक १८ जुलाई, १९६० को वहां के एक प्रमुख नागरिक श्री भगवतशरण की निर्दयता-पूर्वक हत्या कर दी गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इस संबंध में पांच अपराधी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जा चुके हैं। मामले की जांच जारी है।

मड़ियाहूं थाने में अवैध गांजे का पकड़ा जाना

*७५—**राजा यादवेंद्रदत्त दुबे**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च, अप्रैल, १९६० में जौनपुर जिले के मड़ियाहूं थाने में कोई सरकारी कर्मचारी अवैध गांजा ले जाते हुए पकड़ा गया है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। जांच के बाद उसके विरुद्ध मुकदमा अदालत में भेजा गया।

नार्मल स्कूलों के छात्राध्यापकों को स्टाइपेंड न मिलना

*७६—**श्री मुक्तिनाथराय, राजा वीरेंद्रशाह तथा श्री गनेशचन्द्र काछी**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस समय प्रदेश में जो ४८ नये नार्मल स्कूल भारत सरकार के अनुदान से चल रहे हैं उनके छात्राध्यापकों को गत चार-पांच माह से स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

*७७—**श्री मुक्तिनाथराय, राजा वीरेन्द्रशाह तथा श्री गनेशचन्द्र काछी**—यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता।

पीलीभीत जिले में हत्याओं में वृद्धि

*७८—**श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीलीभीत जिले में जून, १९५९ से जून, १९६० तक प्रतिमास कितनी हत्यायें तथा कितनी डकैतियां हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५६३ पर)

*७९—**श्री झारखंडेराय**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या पीलीभीत जिले में बढ़ती हुई हत्याओं की रोकथाम के लिये उनकी ओर से कोई विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आर्म्ड पुलिस के गार्ड की नियुक्ति, जिस स्थान पर हत्याओं की संख्या बढ़ गई है, कर दी गई है।

लखनऊ में मोटर दुर्घटनायें

*८०—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ६-८-६० को लखनऊ नगर में कितनी और किन-किन स्थानों पर मोटर दुर्घटनायें हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—लखनऊ में दिनांक २६-८-६० को निम्नलिखित स्थानों पर ३ मोटर दुर्घटनायें हुईं :

(१) तिराहा-सपरू मार्ग
(२) मोहल्ला करेहटा, आलमबाग
(३) चौराहा कैसरबाग

*८१—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मरे और कितने जख्मी हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१ व्यक्ति मरा तथा ४ व्यक्तियों को चोटें आईं ।

*८२—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त मोटर दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति पकड़े गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२ व्यक्ति गिरफ्तार हुए जिनके विरुद्ध अभी अनुसन्धान जारी हैं ।

मिश्रिख तहसील में हरिजन कूपों के लिये सहायता

*८३—श्री मूलचन्द्र (जिला सीतापुर)—क्या गृहमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की मिश्रिख तहसील के विकास खंडों में १ जनवरी, १९५९ से १ जुलाई, १९६० तक अलग-अगल कितनी हरिजन बस्तियों में पानी पीने के कुंए बनवाये गये और उनको कितने प्रतिशत सहायता दी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचा एकत्रित की जा रही है ।

उप-विद्यालय निरीक्षक, जिला मेरठ के विरुद्ध शिकायत

*८४—आचार्य दीपंकर—क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि क्या उसे मेरठ की प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापक मंडल की ओर से २४-७-६० को उप-विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वे अध्यापकों में दलबन्दी पैदा करते हैं तथा उन्हें दबाते और सताते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हां, कुछ इस प्रकार की शिकायत आई है ।

*८५—आचार्य दीपंकर—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—शिकायतों की जांच किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

पुलिस लाइन का शूटिंगरेंज तथा राइफल क्लब, लखनऊ

*८६—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि लखनऊ पुलिस लाइन में शूटिंग रेन्ज जुलाई, १९५९ से खराब पड़ी हुई है ? यदि हां, तो तब से यानी जुलाई, १९५९ से अब तक पुलिस के जवानों को शूटिंग का अभ्यास कहां कराया गया ? यदि नहीं कराया गया तो क्या पुलिस अधिकारियों ने सरकार को इसकी सूचना दी या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं । प्रश्न के दूसरे तीसरे भाग के उत्तर में प्रश्न नहीं उठता ।

*८७—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि जुलाई, १९५९ से यू० पी० राइफल क्लब का शूटिंग अभ्यास यह कह कर बन्द कर दिया गया है कि रेन्ज पर २२ बोर के कारतूस नहीं चलाये जा सकते ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

रुड़की में श्री नेमचन्द्र जैन की गिरफ्तारी

*८८—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या रुड़की, जिला सहारनपुर में गत जुलाई के तीसरे हफ्ते में महिलाओं का एक बहुत बड़ा जुलूस घूमता हुआ एस० पी० व जिलाधीश के बंगले तक गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—महिलाओं का एक जलूस रुड़की बाजार में निकाला गया था पर वह किसी के बंगले पर नहीं गया। दिनांक २१-७-६० को कुछ महिलाएं डी० एस० पी० से मिलने गई थीं।

***८९—श्री अब्दुल रऊफ लारी**—यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनकी मांग थी कि श्री नेम चन्द्र जैन की पत्नी की कथित हत्या के मामले में पूरी जांच की जाय और श्री नेमचन्द्र जैन का इस हत्या के अभियुक्त के रूप में चालान किया जावे। जांच किये जाने पर श्री जैन के ऊपर हत्या का अभियोग तो सिद्ध न हो सका किन्तु उनकी पत्नी की आत्महत्या में श्री जैन के abettor होने के साक्ष्य मिले। अतः वे धारा १०९/३०९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और मामले की जांच हो रही है।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत एक विषय आया था, जिसकी मैंने स्वीकृति नहीं दी।

देहरादून के ननकू पासी की कथित हत्या के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—पिछले दिन श्री गोविन्दसिंह बिष्ट द्वारा जो प्रश्न उठाया गया था उसके लिये गृह मंत्री जी आज अपना वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर रिपोर्ट इस प्रकार है। २१-२२ जून, १९६० की रात में देहादून शहर में एक श्री गाजी के घर में चोरी हुई। गाजी ने एक लिखित रिपोर्ट थाने में लिखायी। जिस पर दो हेड कानिस्टबिल और एक कानिस्टिबिल, एक साधूराम सज्जन है और जिनका मकान घटना से नजदीक है, के घर गये। वहां उन्होंने ननकू पासी और राम नरेश जिनके ऊपर चोरी का शक था, उनको गिरफ्तार किया और जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस का कहना यह है कि ननकू पासी, थोड़ी देर तक, जब सवाल जवाब किये जा रहे थे उसी साधूराम के कम्पाउन्ड में, कुछ प्राकृतिक आवश्यकताओं का बहाना करके गया और कुएं में कूद पड़ा। जब इसकी खबर कि वह कुएं में कूद पड़ा है, पुलिस को लगी तो उसको बाहर निकालने की कोशिश की गयी। उसको रस्सी में बांध कर निकालना चाहा लेकिन वह बीच में ही टूट गयी जिससे वह फिर कुएं में गिर पड़ा और इससे उसकी मृत्यु हो गयी। यह पुलिस की रिपोर्ट है। कोतवाली में ननकू के मरने की रिपोर्ट पुलिस की ओर से लिखा दी गयी। उसकी लाश फिर कुएं से निकाली गयी और पोस्ट मार्टम को शाम के चार बजे भेजा गया। उस दिन देर हो गयी थी, इसलिये पोस्ट मार्टम दूसरे दिन हुआ। पोस्ट मार्टम के बाद शिवाजी सेवा समिति नामक संस्था को उसकी लाश अन्त्येष्टि के लिये दे दी गयी।

अब ननकू पासी की पत्नी, श्रीमती लल्लू ने यह रिपोर्ट लिखायी कि ननकू पासी को पुलिस ने बुरी तरह पीटा और उसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी और मर जाने के बाद उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया। उसके बाद चुपचाप उस लाश को निकाल कर अन्त्येष्टि कर दी गयी। इसकी खबर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को २४ तारीख को लगी और उन्होंने मेजिस्टेरियल इंक्वायरी धारा १७६ सी० आर० पी० सी० के तहत करने की आज्ञा दी। २४ तारीख को १०० आदमियों का जलूस निकला जिसने सिटी मैजिस्ट्रेट को एक आवेदन-पत्र दिया कि ननकू पासी की मृत्यु के सम्बन्ध में पूरी तरह से जांच-पड़ताल होनी चाहिये थी। कलेक्टर ने उनसे कहा कि मैजिस्टेरियल इंक्वायरी का आर्डर रखा है, उसकी रिपोर्ट आती होगी। अब मैजिस्टेरियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आ भी गयी है।

मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी में जो बातें कही गयी हैं उनसे यह पता लगता है, कि इस मृतक के शरीर पर १० चोटें थीं, यह पोस्ट मार्टम एक्जामिनेशन से पता चला है.। ननकू के शरीर पर ये चोटें ऐसी थीं जो मौत से पहले की थीं, ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में है। उनकी पसली की भी एक हड्डी टूटी हुई थी और रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि चूंकि मृतक के पेट में पानी नहीं था इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि उनकी मौत डूबने से हुई। देहरादून अस्पताल के मेडिकल आफिसर ने यह पोस्ट मार्टम का एक्जामिनेशन किया था और उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने आपने बयान में यह कहा—यह मौत हो सकती है चोट से और साथ ही उन्होंने कहा कि पानी में गिरने से भी यह मौत हो सकती है।

मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी के सामने यह बात आयी कि साधुराम के घर में ननकू को ले जाकर पकड़ा और रखा गया, उससे यह स्पष्ट है कि मैजिस्ट्रेट ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि ननकू की लाश को कुए में फेंका गया। उनका ऐसा खयाल है कि ननकू को पुलिस ने पीटा जिससे बहुत ज्यादा परेशान होकर वह दौड़ कर खुद कुंए में कूद पड़ा ताकि पुलिस की ज्यादती से अपनी जान बचा सके, ऐसा मैजिस्ट्रेट का अपना अन्दाज है।

इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही हुई है वह यह है कि थाने के दारोगा, दो हेड कांस्टेबिल और कांस्टेबिल, ये सस्पेंड किये गये हैं और उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ केस किया गया है। साथ ही यह इंक्वायरी सी० आई० डी० को दी गयी है कि आया इनकी मौत जो हुई उसमें क्या वाकया है। पुलिस की मारपीट के कारण ननकू खुद कुंए में जाकर कूद पड़ा या मारते-मारते उसे मार डाला और फिर उसकी लाश को कुंए में फेंक दिया। साथ ही साथ श्रीमन, डिपार्टमेंटल ऐक्शन भी करने का आदेश हुआ है, इसलिये कि दरोगा ने लाश उसकी पत्नी को न देकर शिवाजी सेवा समिति को दे दिया था। दारोगा, हेड कांस्टेबिल और कांस्टेबिल को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी, यह देखते हुए कि डाक्टर ने यह कहा कि पेट में पानी नहीं था इसलिये कुंए में कूदने से मौत नहीं हुई है और यह देखते हुए कि मैजिस्ट्रेट की फाइंडिंग के ऊपर फैसला कुछ और है, एक जुडिशियल इंक्वायरी कराने की कृपा करेंगे ताकि जो शहादत और फैसले में विरोधाभास है वह ठीक हो जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार की ओर से उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जायगा। वहां के दारोगा, हेड कांस्टेबिल और कांस्टेबिल को सस्पेंड कर दिया गया है, केस दर्ज कर लिया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि दौराने तफतीश करीब ४,५ को जब कि शिकायत के सम्बन्ध में कन्वेश्चनेयर्स भेजा गया था, और अध्यक्ष महोदय, आपके यहां भी गया था, तो मैंने २२,२७, ३० जुलाई को सरकार के यहां लिख कर भेजा था कि वहां के जो पुलिस इन्सपेक्टर, कोतवाल और उनसे ऊपर के अधिकारी हैं गवाहों को रोकने की चेष्टा कर रहे हैं और इस तरह की कानूनी कठिनाई पैदा कर रहे हैं, तो उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, सारे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। शिकायत यह है कि एक आदमी को पुलिस ने पीटा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गयी और बाद को उसे कुए में फेंक दिया गया। पुलिस का वर्जन यह है कि कुंए में कूद पड़ने से वह मर गया। लेकिन मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी से यह प्रत्यक्ष है कि पुलिस से परेशान होकर वह कुए में कूद पड़ा जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। प्राइमाफेसी केस मालूम पड़ने पर जो मुनासिब कार्यवाही है वह की जा रही है। साथ ही सी० आई० डी० के सुपुर्द भी इंक्वायरी दे दी गयी है। अगर जुर्म साबित हुआ तो उनको सजा होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या ननकू की पत्नी ने सरकार के पास इस आशय की शिकायत भेजी है या अधिकारियों के पास भेजी है, कि पुलिस शहादत को बिगाड़ रही है ? यदि हां, तो किन पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भेजी है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है । मेरे पास कोई शिकायत नहीं है । अगर कोई शिकायत की होगी तो कलेक्टर के यहां की होगी और मुझे आशा है कि कलेक्टर पूरा खयाल रखेंगे कि इस तरह से शहादत न बिगाड़ी जाय ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—जो पोस्टमार्टम एक्जामीनेशन का नतीजा है उसमें क्या यह भी है कि उसके गले के चारों तरफ रस्सी के निशान भी पाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गले के चारों तरफ रस्सी के निशान का तो सवाल है नहीं, चोटें शरीर पर थीं । पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह है कि जो चोटें लगी हैं वह मौत के पहले की हैं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—इस बात को देखते हुए कि मजिस्टीरियल इंक्वायरी ने साफ कहा है कि पेट में पानी नहीं था, इससे पता लगता है कि उसकी लाश को मरने के बाद कुंए में फेंका गया, यह भी साफ है कि पुलिस के मारने से चोटें आईं, तो इन सब चीजों को देखते हुए जिन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उनको मंत्री जी वहां से ट्रांसफर करने की कृपा करेंगे ताकि सही गवाही प्राप्त हो सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सही गवाही प्राप्त हो सके इसके लिये जो भी आवश्यक होगा, सरकार करेगी ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—वह मूल घटना जिसमें कि ननकू पर चोरी करने का संदेह किया जाता है वह किस रात्रि में हुई और ननकू को मारा गया और उसकी मृत्यु हुई यह घटना उसके कितने समय पश्चात् हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२१-२२ जून को चोरी की रिपोर्ट हुई । २३ जून को यह मरे हैं और २४ को इनकी लाश की अंत्येष्टि की गई । (कुछ रुक कर) जरा मैं सुधार दूं । २३ को ही उनकी मृत्यु हुई है । २३ को ही पोस्टमार्टम हुआ है और २३ को ही—अभी एक मिनट में बताता हूं—ऐसा लिखा है कि २३ तारीख को पोस्टमार्टम के लिये लाश भेजी गई । देर हो चुकी थी इसलिये पोस्टमार्टम २४ को किया गया । मौत उनकी २३ को हुई है, २४ को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और उसी दिन लाश जलाई गई है और उसी रोज कलेक्टर ने मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी आर्डर की ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—पुलिस अधिकारियों पर जो मुकदमा चलाया जा रहा है, वह किस धारा के अनुसार चलाया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—धारा की तो कोई सूचना मेरे पास इस समय नहीं है । सस्पेंडेड हैं और केस दर्ज किया गया है । जो मुनासिब धारा होगी उसमें चलेगा ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—इस बात को देखते हुए कि गत एक-दो वर्षों में पुलिस की हिरासत में बहुत से व्यक्तियों के मरने की सूचना प्राप्त हो चुकी है, क्या मंत्री जी कोई विशेष आदेश पुलिस थानों पर देने की कृपा करेंगे या उसके लिये विचार कर रहे हैं, जिसके अनुसार इन्टेरोगेशन के समय इस तरह की ज्यादतियां न हो सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस प्रकार के आदेश बार-बार दिये गये हैं । एस० पीज० की कान्फ्रेन्स करके आदेश दिये गये हैं, डी० आई० जीज० की कान्फ्रेन्स करके दिये गये हैं, सरकारी सरक्युलर निकाले गये हैं । सरकार इस बात को घृणित और बर्बर समझती है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने में लायें और इतना पीटें की उसकी मौत हो जाय । जहां कहीं

इसकी रिपोर्ट हुई है, आदेश जा चुका है कि जांच-पड़ताल पीछे होती रहेगी, अगर थाने में किसी की मौत हो गई है पुलिस की हिरासत में तो उस थाने का थानेदार और जो लोग हों वह तुरन्त सस्पेंड किये जाय मुकदमा दर्ज किया जाय इंक्वायरी हो, फिर आगे जो होगा देखा जायगा। तदनकूल बहुत से सब-इस्पेक्टर इत्यादि, इस तरह की जहां से सूचना मिली है वहां सस्पेंड किये गये हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकारी सूचना के अनुसार इधर थाने में मारपीट से मरने वालों की संख्या बढ़ी है या घटी है ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न इससे नहीं उठता।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---मंत्री जी बतायेंगे कि जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी हुई है उसके फैक्चुअल और सरकमस्टेंशियल दोनों एवीडेंसेज से यह साबित है कि पुलिस की मार से वह मरा। मेरी जो इत्तला है कि सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ ३०२ का केस रजिस्टर नहीं किया गया है। क्या सरकार आदेश देगी कि ३०२ का केस उनके खिलाफ रजिस्टर करके इनक्वायरी की जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं जरूर देखूंगा कि मुनासिब धारा में केस दर्ज करके उनकी इन्क्वायरी हो।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---बही बदल ली गई, डायरी बदल ली गई।

श्री अध्यक्ष---अदालत में मुकदमा जा रहा है वहीं इन बातों की पूछताछ हो जायगी।

लखनऊ बिजली कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं को कम बिजली देने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा उठाये गए प्रश्न के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

***सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)**---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं---

> "जुलाई सन् १९५९ में यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ ने सरकार को सूचित किया कि औद्योगिक बिजली की मांग उनकी बिजली की उत्पादन क्षमता से इतनी अधिक बढ़ गई है कि बिजली कम्पनी के लिये उनको पूरा करना सम्भव नहीं है। कम्पनी ने यह भी प्रार्थना की है कि औद्योगिक बिजली का वितरण यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल ऐक्ट, १९४७ के अन्तर्गत नियंत्रित कर दिया जाय।"

उपरोक्त स्थिति पर विचार करके सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि जनहित में यह आवश्यक है कि औद्योगिक बिजली के वितरण को नियंत्रित कर दिया जाय। अतः ३१ अक्तूबर, १९५९ से सरकार ने औद्योगिक बिजली का वितरण लखनऊ में नियंत्रित कर दिया। रोशनी तथा पंखों के लिये बिजली के वितरण पर इस समय कोई नियंत्रण नहीं किया गया, जो कुछ थोड़ी बहुत औद्योगिक बिजली थी उसके वितरण के लिये सरकार ने एक परामर्श-दात्री समिति बना दी। इस समिति के सदस्यों में उद्योग संचालक भी हैं। उन्हें इसलिए रखा गया है कि औद्योगिक बिजली का वितरण उनकी राय से हो सके।

धीरे-धीरे बिजली की मांग इतनी बढ़ती गई कि रोशनी तथा पंखों के लिये भी अबाध रूप से बिजली देना सम्भव न रह गया। अतः ३ सितम्बर, १९६० को रोशनी तथा पंखों के लिये बिजली के वितरण पर भी नियंत्रण लगा दिया गया। इस नियंत्रण आज्ञा के अनुसार ३ सितम्बर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धर्मसिंह]

१९६० के बाद बने नये मकानों को बिजली कम्पनी २ किलोवाट तक बिजली की रोशनी तथा पंखों के लिये तथा आधा किलोवाट घरेलू अनौद्योगिक पावर प्रार्थियों को देगी। उपरोक्त मकानों के लिये २ किलोवाट से अधिक साढ़े ७ किलोवाट तक रोशनी तथा पंखों के लिये बिजली जिलाधीश दे सकेगा। औद्योगिक बिजली के लिये साढ़े ७ किलोवाट तक के कनेक्शन जिलाधीश निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार दे सकता है; किन्तु जिलाधीश को आइस कैन्डी, आइस क्रीम, चारा काटने, छापाखाने, आटा, चावल, दाल, तेल, आरा तथा पीसने की मशीनों के लिये पावर देने का अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसे उद्योग को सबसे नीची श्रेणी की प्राथमिकता दी गई है।

लखनऊ बिजली कम्पनी की बिजली उत्पन्न करने की क्षमता १२,२०० किलोवाट है किन्तु इस समय उसके ऊपर १३,४०० किलोवाट का भार है। बिजली कम्पनी की योजना अपने उत्पादन को १०,००० किलोवाट और बढ़ाने की है जिसके लिये बाहरी देशों से मशीनों को मंगाना आवश्यक है। इस विषय पर कम्पनी भारत सरकार से पत्र-व्यवहार कर रही है। विदेशी मुद्रा उपलब्ध करने के लिये प्रादेशिक सरकार ने भारत सरकार को सिफारिश की है। विदेशी मुद्रा के प्राप्त होने के पश्चात् मशीनों को मंगाने तथा लगाने में २,३ साल का समय लग सकता है। उपरोक्त स्थिति में बिजली के अभाव से बिजली के उपभोक्ताओं को कुछ असुविधा अवश्यम्भावी है परन्तु इस परिस्थिति का ज्ञान सर्व साधारण को पर्याप्त समय से है।

जहां तक जल विभाग को बिजली देने का सवाल है सरकार ने उनकी सहायता के लिये भरसक प्रयत्न किया है और जहां तक उनकी मांग पूरी नहीं की जा सकी उनसे कह दिया है कि वे उन आवश्यकताओं के लिये स्वयं डीजल सेट द्वारा बिजली का उत्पादन करने का प्रबन्ध करें। जहां तक सरकार को सूचना प्राप्त है बिजली कम्पनी ने किसी भी चालू कारखाने को बिजली न देने की नोटिस नहीं दी है। इसलिये मजदूरों का बेकार हो जाने तथा जनता की कठिनाइयों के बढ़ जाने की आशंका का कोई प्रश्न नहीं उठता। सरकार का वास्ता कम्पनी तथा उपभोक्ताओं के बीच के इकरारनामों की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कार्यवाहियों से नहीं है।

सरकार को बिजली कम्पनी के इस मामले में किसी षडयन्त्र का आभास नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित मार्टिग एंड कम्पनी की बिजली के वितरण के सम्बन्ध में जो हालत है, और सरकार ने जो प्रतिबन्ध लगा दिया है, उससे नये उद्योगों का खुलना बन्द हो गया है। घरों के इस्तेमाल के लिये बिजली नहीं मिल रही है और जल योजना का विस्तार नहीं हो रहा है यह अवस्था नगर में पैदा हो गयी है। इससे जनता प्रभावित हो रही है। तो जनता के दुख को दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—कठिनाई है तो अवश्य लेकिन जैसा निवेदन किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को सिफारिश की है, मशीन इत्यादि मंगाने के लिये ताकि जनरेशन हो सके। तो भारत सरकार के ऊपर है, अगर वह हमारी बात मान लेती है तो बिजली का प्रबन्ध हो जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—जब उद्योगों के चलाने लायक बिजली नहीं है और दिक्कत है तो शारदा से बिजली देने का क्यों सरकार प्रबन्ध नहीं कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल शारदा में बिजली की कमी है।

श्री चन्द्रजीत यादव—लखनऊ स्थित मार्टिन एंड कम्पनी के खिलाफ शिकायत रही है कि बिजली के उत्पादन की क्षमता होते हुए भी उसका उत्पादन ठीक से नहीं करती और तमाम इर्रेगुलरीटीज को देखते हुए सरकार ने इसके खिलाफ एक मुकदमा भी दायर किया था, लेकिन बाद में सरकार के कुछ उच्च अधिकारियों ने बिजली कम्पनी के अधिकारियों से सांठगांठ करके बिजली कम्पनी से मुकदमा वापस ले लिया ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक बिजली का सम्बन्ध है मैंने निवेदन किया कि यह बात बिलकुल गलत है कि उनके पास बिजली है। सरकार ने नियंत्रण लगा दिया है और एक बोर्ड डिस्ट्रिब्यूटिंग के लिये बना दिया है, जो प्रायरिटी के हिसाब से बिजली देता है। जहां तक मुकदमे इत्यादि का सम्बन्ध है, पहले उसका जिक्र था, फिलहाल इस तरह का कोई मुकदमा नहीं है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस समय इस कम्पनी के खिलाफ मुकदमा सरकार की तरफ से चलाया गया, उस वक्त जो सरकारी वकील ने आक्षेप लगाये थे और बाद में सरकार की तरफ से १ करोड़ रुपये का लोन कम्पनी को देने की बात सदन के सामने आई, तो बजट के मेमोरेंडम में सरकारी कर्मचारियों ने उन आक्षेपों के खिलाफ कम्पनी के फेवर में कई प्वाइंट्स पेश किये ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—अदालत में जो उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था वह अलग चीज थी। मार्टिग कम्पनी को बिजली सप्लाई करने में बहुत सी कठिनाइयां थीं। उसको बाजार से लोन नहीं मिल रहा था। उनको लोन की जरूरत थी तो हमारे यहां से साढ़े ५ परसेंट के हिसाब से लोन दे दिया गया महानगर तथा दूसरी जगहों पर इक्विपमेंट और अन्य किस्म का सामान मुहैया करने के लिये ताकि वह बिजली सप्लाई कर सके।

श्री चन्द्रजीत यादव—यू० पी० मर्चेन्ट्स एंड कांट्रेक्टर्स एसोसियेशन ने सरकार के पास एक मेमोरेंडम दे कर इस बात की मांग की है कि यह कम्पनी ठीक से बिजली वितरित नहीं करती है और इसके अन्दर वह घपला करती है, इसके लिये वह एक इम्पार्शियल एंक्वायरी कराये तो सरकार इसके लिये क्या कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक एसोसियेशन का सम्बन्ध है, फिलहाल तो मेरे पास उसकी इत्तला नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया, कम्पनी के हाथ में बिजली बांटने की शक्ति नहीं है। वह तो एक कम्पनी बना कर सरकार के द्वारा ही बांटती है, लिहाजा कम्पनी कोई घपला कर रही है, या लोगों को नहीं दे रही है, ऐसी बात नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—बिजली की कमी के कारण कितने कारखाने प्रभावित हुए हैं, क्या सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—यों तो समय-समय पर मांग आती रहती है। अब कितने कारखाने एग्जैक्टली प्रभावित हुए हैं इसके कोई आंकड़े इस वक्त हमारे पास नहीं हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि कुछ उद्योगपतियों ने और छोटे उद्योग चलाने वालों ने कुछ मशीनें इस आश्वासन पर कि बिजली उन्हें मिलेगी, मंगा ली हैं लेकिन उनकी मशीनें रखी हुई हैं और बिजली के अभाव के कारण वे उनको प्रयोग में नहीं ला पा रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—मुझको जहां तक याद है इस प्रकार का कोई आश्वासन हमारी तरफ से नहीं दिया गया था।

श्री चन्द्रजीत यादव—प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया कि मशीनें आ गयी हैं, रखी हुई हैं और वे उद्योग नहीं खुल रहे हैं, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है ?

श्री गिरधारीलाल—मैंने बतलाया कि हमारी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। अब उन्होंने अपनी तरफ से मशीनें खरीद लीं या इस्टैब्लिशमेंट कायम कर लिया मगर बिजली की वजह से उनका काम रुका हुआ है, उसके लिये गवर्नमेंट को अफसोस है। जब बिजली नहीं है तो कहां से दें ?

भावी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह सूचना चाहता हूं कि सदन कल के बाद उठ रहा है और ६ अक्तूबर को फिर हम इकट्ठे होंगे। तो ६ अक्तूबर से कब तक सदन चलेगा क्या मुख्य मंत्रीजी इस बारे में कोई सूचना दे सकते हैं, ताकि उसी के अनुसार हम अपने क्षेत्रों में घूमने का प्रोग्राम बनायें ?

श्री अध्यक्ष--मैंने कल सूचना इस बात की दे दी थी कि जो दो, तीन विधेयक हैं और असरकारी दिन जो कट गये हैं और इंटरमीडिएट एजुकेशन के सिलसिले में रेगुलेशन्स हैं उनके बाद सहकारिता के बारे में भी कोई विधेयक आने वाला है। तो वह तो प्रवर समिति को दिया जायगा, उसके ऊपर तो केवल आम बहस हो जायगी। मैं समझता हूं कि दीवाली के पहले सदन की बैठक समाप्त कर दी जायगी, यानी ६ अक्तूबर से शुरू करेंगे तो करीब-करीब १४ तक यह कार्य समाप्त हो जायगा।

सहकारिता बिल की प्रतियों की मांग

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--जैसा कि आप से पहले भी निवेदन किया था और आपने स्वीकार किया था, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां विराजमान हैं, सहकारिता का बिल अगर कल तक हमें मिल जाता तो छुट्टियों में हम उसका अध्ययन कर लेते।

श्री अध्यक्ष--अभी शायद वह गजट नहीं हुआ है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--मेरा खयाल है कि अभी गजट नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष--अच्छा तो इस बीच में जो छुट्टी रहेगी, जब गजट हो जायगा तो एक कापी भिजवाने की चेष्टा करूंगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, ऐसा तो नहीं होगा कि ६ तारीख को सूचना जाय कि सदन की बैठक स्थगित हो गयी ?

श्री अध्यक्ष--ऐसा नहीं होगा।

प्रदेशीय तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप पर चर्चा (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष--माननीय दीपनारायण मणि त्रिपाठी आप कल बोल रहे थे। आपके ५ मिनट हो चुके हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--मैं कोई स्थानीय बात नहीं कह रहा हूं इसलिये अगर आप समझें तो दो, एक मिनट और ज्यादा देने की कृपा करें।

हमारी जो तृतीय योजना है उस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने एक आधार रखा है जनसंख्या, मैं चाहता था कि जो सारे देश की आवश्यकता है उस आधार को मान कर के केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की मांग को पूरा करती। लेकिन अगर वह सम्भव नहीं है तो सेकेंड बेस्ट यही हो सकता है कि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की मांग को पूरा किया जाय।

मुख्य मंत्री जी ने नियोजन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को पांच हिस्सों में बांटा है और कल जो प्रारूप रखा है उसमें २० करोड़ रुपया अभी खर्च करने को रह गया है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारी जो कार्य करने की व्यवस्था है उसमें कठिनाई है। और उसमें श्रीमन्, यदि सादगी ला दी जायगी तो बड़ी आसानी होगी। श्रीमन्, हमारे प्रदेश में योजनायें बनाई जायं और वह कार्यान्वित न हो सकें तो कोई उससे फायदा नहीं होगा और बड़ी कठिनाई पैदा हो जायगी। श्रीमन्, इस संबंध में अधिक न कहकर केवल एक ही उदाहरण इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के सामने देना चाहता हूं। जैसे हरिजनों के कुएं बन रहे हैं। उसमें लोगों को कुआं बनाने के लिये ५० % रुपये की सहायता

*१५ सितम्बर, १९६० की कार्यवाही से।

दी जाती है और यह सहायता उस समय दी जाती है जब लोग कुआं खोद लेते हैं और सर्टीफिकेट देते हैं तब जाकर उनको रुपया मिलता है। हम सब लोग जानते हैं कि इसमें कलक्टर को एक अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ती है कि आधा बन गया है इसलिये और सहायता दे दी जाय। इस तरह से बड़ी कठिनाई पैदा होती है। दूसरी दिक्कत यह पैदा होती है कि जब अधिकारी देखने जाते हैं तो वह बेचारा हिसाब नहीं दे पाता है। इसलिये इन दिक्कतों के कारण हम चाहते हैं कि जो हमारी योजनायें बनें और जो हमारे यहां नियोजन की व्यवस्था हो तो उसमें सादगी हो जिससे उनके कार्यान्वित करने में कोई दिक्कत न हो।

श्रीमन्, इसके साथ ही साथ एक बात और है। हमारे प्रशासन ने एक बड़ी होशियारी का काम किया है। एन० ई० एस०, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स के संबंध में हमारी सरकार ने माननीय गोविन्द सहाय जी की अध्यक्षता में एक कमेटी मुकर्रर की है। वह कमेटी इसलिये मुकर्रर की कि वह देखे कि इस संबंध में क्या-क्या काम हुए हैं और कैसे हुए हैं, उनमें कोई गलती तो नहीं हुई है और अगर गलती हुई है तो उनको कैसे सुधारा जा सकता है। इस कमेटी की रिपोर्ट हम लोगों के पास आ गई है। मैं इस रिपोर्ट के पृष्ठ ९६ से दो चार लाइन आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। यह ब्लाक डेवलपमेंट कमेटियों के बनाने के संबंध में है। इसमें लिखा गया है कि ब्लाक डेवलपमेंट कमेटियों में हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल्स, जूनियर हाई स्कूलों के हेड मास्टर, पांच प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स जो प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स में से ही चुने जायं, तीन महिलायें, तीन शिड्यूल और बैकवर्ड क्लासेज के रिप्रेजेंटेटिव, दो यूथ क्लबों के, एक कृषक समाज का और एक भारत सेवक समाज का रखा जाय। हमने भी अध्यापकों को रखने के लिये इसलिये कहा था कि वह भी वहां का एक समुदाय है और इससे इसके काम सें बड़ा बल मिलेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नियोजन की जो व्यवस्था है यह हमारे यहां रूस से आई है। मैं आपके द्वारा विरोधी पदों के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार कर रहे हैं और इसमें सर्वसम्मति चाहते हैं तो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिये और वह यह कि यहां पर खूब बहस हो जाय, खूब टीका-टिप्पणी हो जाय। लेकिन एक बार किसी योजना के स्वीकृत हो जाने के बाद फिर जिला स्तर पर या गांव के स्तर पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिये वरना जैसा कल बलिया के माननीय सदस्य ने कहा था कि प्रजातंत्र और नियोजन साथ-साथ नहीं चल सकते हैं क्योंकि जो योजनाओं के चालू होने पर टीका टिप्पणी होती है उससे भ्रम पैदा होता है और इस तरह से नियोजन का काम नहीं हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जब हम प्रारूप पर विचार कर रहे हैं तो हर प्रकार की बहस हो जानी चाहिये। लेकिन योजना स्वीकृत हो जाय और कार्यान्वित हो तो उस समय किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे रिसोर्सेज के अनुसार माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे प्रदेश के पांच हिस्से किये हैं। जहां हमारे रिसोर्सेज उपलब्ध हों उन्हीं के अनुसार हमारे यहां कारखाने तथा फैक्टरियां स्थापित की जाय। मैं एक मिसाल दे दूं, जैसे बरेली में Synthetic Rubber का एक कारखाना बन रहा है वह चोट से बनता है। उसी तरह से देवरिया या गोरखपुर में जहां इतनी चीनी की मिलें हैं वहां पर मोलेसेज से बनने वाली वस्तुओं के कारखाने खोले जाने चाहिये। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जहां हमारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं वहां कोई व्यवस्था नहीं है। बाढ़ योजना की चर्चा बहुत ही कम है।

गोरखपुर विरदावल में Medical College, Research Station for Soil and Crops तथा Malarial Disease Research की व्यवस्था नहीं है। इसकी research पूरे उत्तर प्रदेश मे regional basis पर गोरखपुर विश्वविद्यालय मे होनी चाहिये।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी व्यवस्था हो कि जहां रिसोर्सेज उपलब्ध हों उसी के मुताबिक उनको डेवलप करना चाहिये। हमारे यहां गन्ने का एक बड़ा उद्योग है। कानपुर

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

में शुगर इंस्टीट्यूट है। क्या देवरिया और गोरखपुर की आबहवा में वहां की आबहवा से अन्तर नहीं है? बहुत अन्तर है। हमारे यहां के लिये ११ करोड़ रुपया रखा है। हमारे यहां दो तीन नदियां बड़ी हैं, शारदा, गंडक और राप्ती।

श्री अध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि बीस मिनट में इतनी बड़ी योजना के बारे में विश्लेषण और स्वतंत्र पार्टी के दृष्टिकोण का विवेचन संभव नहीं है, इसलिये मैं जो कुछ कह सकूंगा, उतना सूत्रवत कह कर संतोष करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने अपने तर्क सम्मत भाषण में प्रदेश की प्रगति, समृद्धि आदि के संबंध में जो भावनायें व्यक्त की हैं, आकांक्षायें व्यक्त की हैं, जो ध्येय सामने रखे, उनसे हमारा कोई मतभेद नहीं है। बल्कि सच बात यह है कि जहां तक ध्येय से संबंध है, वहां संसार के दो बड़े वाद गांधीवाद और मार्क्सवाद, सर्वोदय और मार्क्सवाद दोनों का ध्येय एक ही है। दोनों का ध्येय यह है कि संसार में शोषण और शासन शून्य सुखी, समृद्धि और शांतिमय समाज की स्थापना हो। जहां तक स्वतंत्र पार्टी का संबंध है उसने भी अपनी पटना में स्वीकृत नीति-संबोधन में जिसका शीर्षक "स्वतंत्रता द्वारा समृद्धि" है उसमें बहुत स्पष्ट कह दिया है, पृष्ठ तीन पर, कि स्वतंत्र पार्टी दूसरी किसी भी पार्टी की तरह इन आकांक्षाओं से प्रेरित है और इन ध्येयों की पूर्ति के लिये बचनवद्ध है। इस समय पदासीन पार्टी से हमारा मतभेद माने हुए ध्येयों की पूर्ति के लिये जिन साधनों से वह काम लेती है, उनके बारे में है। तो ध्येय के बारे में, आकांक्षाओं के बारे में कोई मतभेद नहीं है। मतभेद साधनों के बारे में है।

हमारा यह विश्वास है कि अधिनायकवादी पंचवर्षीय योजनाओं से जनता की समृद्धि का ध्येय नहीं पूरा हो सकता है और इस विश्वास के बड़े सबल कारण हैं। पहली बात तो यह है कि यह पंचवर्षीय योजनायें रूस से और चीन से निकली हैं। हमारे देश, काल, अवस्था, प्रतिभा और परम्पराओं के अनुकूल नहीं हैं।

दूसरी बात यह है कि ये जनतंत्र के विरुद्ध हैं। जनतंत्र में हर साल वार्षिक बजट बनता है। इन पंचवर्षीय योजनाओं में पांच साल का बजट तैयार हो जाता है। उस बजट के बारे में साल भर के बाद विधान सभा अपनी राय बनाना और बदलना चाहे तो उसके लिये उसे बनाने और बदलने में दिक्कत होती है।

तीसरी बात यह है कि किसी भी मंत्रिमंडल को इस बात का अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे मंत्रिमंडल को अपने किसी बजट या योजना के सबंध में बांध दे। जिस तीसरी पंचवर्षीय योजना पर हम विवाद कर रहे हैं, वह १९६१ तक बनेगी। १९६२ में काम में आना शुरू होगी और संविधान के अनुसार वैधानिक दृष्टि से न तो यह मंत्रिमंडल १९६२ में रहेगा और न यह सदस्य रहेंगे, चाहे यही चुन कर आयें, लेकिन वैधानिक दृष्टि से वही नहीं होंगे। इसलिये जनतंत्र की दृष्टि से भी वह उचित नहीं है।

चौथी बात यह है कि ये योजनायें बनती हैं दीर्घकालीन, करोड़ों लोगों के बारे में, पांच पांच साल के लिये तो किसी भी मनुष्य के लिये यह संभव नहीं है कि करोड़ों मनुष्यों की आवश्यकताओं और साधनों की पांच साल में क्या दशा होगी, क्या हालत होगी, इसका सही अनुमान लगा सके। हम लोग यह जानते हैं कि जो वार्षिक बजट बनता है साल भर के लिये उसमें भी बहुत सा इधर-उधर खर्च में भी और आमदनी में भी हो जाया करता है। तो पांच साल के लिये तो किस के लिये संभव है ही नहीं और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे योजना आयोग के सदस्यों का जनसाधारण से उतना ही संबंध है जितना कि

गधे के सिर का सींगों से होता है। उन्हें क्या जानकारी है देहात की जनता की, उन्हें क्या जानकारी है आम जनता की? और इसलिये इन सब बातों की वजह से जो मामूली योजनायें, यहां पर बनती हैं वैसे माताटोला बांध की योजना बनी, जो माननीय सदस्य लोक लेखा समिति के सदस्य हैं वे जानते हैं और दूसरे भी उसकी रिपोर्ट से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ४ करोड़ से १३ करोड़ की वह योजना हो गई थोड़े ही समय में, और जो समय उसके लिये नियत किया जाता है वह भी दुगना तिगुना हो जाता है। तो इस तरह से बनायी हुई योजनायें पांच-पांच साल के लिये जो होती हैं उनके लिये यह कैसे माना जा सकता है कि वह सही होंगी और यह बात भी है कि योजना में जो एग्जम्पशंस किये गये हैं, जो मान्यतायें और धारणायें बनाई गई हैं वह सही नहीं हैं।

पहली बात तो यही है कि यह मान लिया गया है कि इन पांच सालों के अन्दर विश्व में पूर्ण शांति रहेगी। कहीं कोई युद्ध नहीं होगा। विश्वव्यापी युद्ध की कोई आशंका नहीं है, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जो शायद ज्योतिष से इन बातों को जान सकते हैं लेकिन योजना आयोग ने यह बात कैसे जान ली यह मेरी समझ में नहीं आया। यह भी मेरी समझ में नहीं आया कि इस बात को कैसे मान लिया गया कि इस पांच साल के अन्दर चीन से हमारे लिये कोई खतरा नहीं होगा और देश की सुरक्षा के लिये, स्वाधीनता के लिये हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह भी मान लिया गया है कि इस योजना और पहले की योजनाओं के फलस्वरूप महंगी बढ़ती गई है लेकिन इसके बाद भी यह मान लिया गया है कि तीसरी योजना के बाद महंगी नहीं बढ़ेगी और न उस महंगी के फलस्वरूप मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी, न महंगी के फलस्वरूप योजना में जिन चीजों से काम लिया जायगा उनकी कीमत बढ़ेगी और न उनके फलस्वरूप कोई खर्च बढ़ेगा। तो सारे के सारे एग्जम्पशंस सारी मान्यतायें कल्पना विहारी हैं और इनका वास्तविकता और व्यावहारिकता से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा आप इस बात पर भी विचार करें कि बजट की तरह से योजना में भी यह गलती की जाती है और बजट के विपरीत बात की जाती है।

बजट में आमदनी कम कूती जाती है और खर्चा ज्यादा कूता जाता है जिससे कि बाजीगर अपनी टोपी में से वर्ष के अन्त में यह दिखा सके कि घाटे के बजट को हमने बचत का बजट दिखा दिया। खर्च ज्यादा कूत लिया था वह कम हुआ और आमदनी कम कूती थी वह ज्यादा हो गई। इसलिये वह बात दिखा दी जाती है। लेकिन योजना में आमदनी बहुत ज्यादा कूत ली जाती है, खर्च कम कूता जाता है। खास तौर से ओवरहेड खर्च जो होंगे उनको इस योजना में कहां कूता गया है? और बचत के बारे में जो यह मान लिया गया है कि इतना रुपया उससे मिल जायगा वह कहां से आयेगा? अब तक का अनुभव क्या है? अब तक का अनुभव यही रहा है कि यह तमाम कैलकुलेशंस हमारे गलत साबित होते हैं। फिर जनता पर टैक्सों की भरमार होने लगती है और विदेशों से भीख मांगना पड़ता है। आज देश गिरवीं रखा जा रहा है। तो ये सब गलतियां उसके साथ-साथ योजना में होती हैं। इसलिये हम यह समझते हैं कि इससे देश की समृद्धि नहीं हो सकती।

इसके अलावा ये योजनायें अव्यावहारिक भी हैं; वह इसलिये कि इनको कार्यान्वित करने के लिये आपकी जो प्रशासन की मशीनरी है, वह क्या है और कैसी है? अभी-अभी कृष्णमचारी साहब ने यह कहा है कि जो योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं, उनका यह कहना है कि इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में I attach more importance to this one factor कि ऐडमिनिस्ट्रेशन को एफिशियेंट और क्लीन बनाया जाय। उन्होंने यह भी कहा है कि इन्हीं प्रशासन की खराबियों और कमियों की वजह से सिंचाई और बिजली की हमारी योजनायें देश भर में पूरे तौर से कामयाब न हो सकीं। अरबों रुपया खर्च किया गया। लेकिन जितना रुपया खर्च किया गया उतना लाभ नहीं हुआ। यूटिलाइजेशन भी कहीं-कहीं पूरा नहीं हुआ।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

अपने प्रदेश की बात भी इस मामले में हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कि आज से ३५ साल पहले उस समय की लेजिस्लेटिव कौंसिल में मैंने आर्नोल्ड लप्टन की हैपी इंडिया नाम की पुस्तक में यह बतलाया था कि हमारे देश और प्रदेश की खेती की पैदावार कम से कम चौगुनी बढ़ सकती है और उसी बात को कृष्णमाचारी कह रहे हैं कि आसानी से दुगुनी और तिगुनी यहां की पैदावार हो सकती थी परन्तु प्रशासन की खराबी की कमी के कारण इन योजनाओं पर कई अरब रुपया खर्च करने पर भी पैदावार में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इन कारणों से यह अव्यावहारिक है। इन तमाम बातों का एक नतीजा और होता है और वह यह है कि वह देश के लिये हितकर नहीं होता है। मैं इस बात को कहने में जरा भी संकोच नहीं करता कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक इन चारों क्षेत्रों में इन योजनाओं का फल हानिकर हो रहा है।

पहले मैं धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों को लेता हूं। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में अगर समाजवादी समाज को कायम करना है और इन योजनाओं को चलाना है तो हमें पुराने मूल्यों को बदलना होगा, हमें पुरानी परम्पराओं को बदलना होगा। नई परम्पराओं को हम उन पुरानी जगहों पर सृष्टि कर सकेंगे या नहीं यह तो देखने की बात है लेकिन वह जगह खाली होने पर अगर वे परम्परायें नष्ट हो गईं तो क्या होगा और क्या हो रहा है? इसके विषय में मुझे भी मालूम है, सदन के सदस्यों को भी मालूम है और माननीय मुख्य मंत्री को भी मालूम है। यहां के विद्वानों का यह कहना है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं कि हमें पुरानी लायल्टी को बदलना होगा। ईश्वर के प्रति भक्ति रखने के बजाय सरकार के प्रति भक्ति रखना होगा और भौतिकवाद यहां के आध्यात्मिकवाद की जगह ले लेगा। हमारे राष्ट्रीय चरित्र में जितना इस संबंध में पतन हो रहा है वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि उस पतन का कारण यह सरकार है या शासक पार्टी है, लेकिन इतना कहूंगा कि ये योजनायें उस पतन का कारण अवश्य हैं। पतन का कारण यह है कि यहां अगर स्वतंत्रता का, जनतंत्र का, कानून का और राज्य का फायदा किसी ने उठाया है तो वह नौकरशाही और समाजद्रोही तत्वों ने उठाया है। अगर इनका सुख किसी ने भोगा है तो वह अधिकारीवर्ग और समाजद्रोही तत्वों ने भोगा है। इस बात का प्रमाण मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। इन सब बातों का चर्चा यहां पर सदन में रात दिन प्रश्नोत्तरों में हुआ करता है।

अब आप आइये आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में और बातों को जाने दीजिये केवल महंगाई बढ़ने का प्रश्न बहुत जटिल है। इस पंचवर्षीय योजना में महंगाई बढ़ी है और तीसरी योजना के बाद भी महंगाई बढ़ेगी। बेचारे पेंशनयाफ्ता लोग हैं जिनको बंधी हुई पेंशन मिलती है उनका क्या होता है? विधवायें होती हैं जिनकी आमदनी बंधी हुई है, उनका और उन मासूम बच्चों का क्या होता है जिनके माता पिता नहीं रहे और उनके लिये थोड़ी बहुत आमदनी बंधी हुई छोड़ गये हैं? शिक्षा का खर्चा दिनों दिन बढ़ता जाता है। वह इतने में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकते। यहां जिसने सरकारी कर्मचारी हैं जो रिश्वत नहीं लेते हैं जैसे क्लर्क हैं या दूसरे लोग हैं जिनकी आमदनी कम है उनके लिये यह महंगाई उनकी जिन्दगी दूभर कर देती है। क्लर्क हैं, अध्यापक हैं, चपरासी हैं और जितने भी छोटे कर्मचारी हैं उनके लिये बड़ी कठिनाई का यह प्रश्न है क्योंकि उनकी आमदनी बंधी हुई है। उनके लिये अपने घर का बजट पूरा करना असंभव हो जाता है।

एक परिणाम और हुआ है इस औद्योगीकरण की योजनाओं की नीति का और वह यह हुआ है जैसा महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव पोषक हैं और शहर शोषक हैं। यह महात्मा गांधी ने कहा था लेकिन अब हाल ही में डाक्टर मुकर्जी ने यह कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिये कि ग्रेटर दिल्ली, ग्रेटर कलकत्ता, ग्रेटर बम्बई और ग्रेटर गाजियाबाद, कहीं ऐसा न हो कि शहरों में आप अद्योगीकरण करते जायं और फिर ये शहर गांवों का भक्षण कर लें, ये शहर गांवों को न खा जायं? ये शब्द मेरे नहीं है, गांधी जी के नहीं हैं,

डाक्टर मुकर्जी के हैं, जो उन्होंने अभी हाल ही में कहे हैं और इस नीति से गांव और शहर के बीच की खाई बराबर बढ़ती जाती है। आमदनी के बारे में, गरीबी और अमीरी के बारे में इस भेदभाव का पता उस दिन चला अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यहां यह बतलाया गया कि मेरठ और हापुड़ में तो उद्योग धंधों के लिये बिजली ५ नये पैसे प्रति यूनिट दी जा रही है और मनकापुर में २५ नये पैसे प्रति यूनिट और साथ ही माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि इसको हम रोक नहीं सकते क्योंकि हम गांव में ज्यों-ज्यों जायेंगे त्यों त्यों यह महंगी होगी। यह तरक्की करने की बात शेखचिल्ली वाली मिसाल से मिलती है, तरक्की करने का यह कोई तरीका नहीं है।

राजनीतिक क्षेत्र में यह सब को मालूम है कि नागरिक की, जनता की सत्ता दिन पर दिन लुप्त होती जा रही है। सरकार अधिनायकवाद की ओर जा रही है। वैसे तो सच बात यह है कि आज संसार भर में सरकार की प्रवृत्ति सत्ता की ओर बढ़ने की है, पर मैक्स ब्लाक और लार्ड मांटले ने कहा है कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर की ताकत जितनी इधर में बढ़ी है उसके बाद इंग्लैन्ड के प्राइम मिनिस्टर और अमरीका के प्रेसीडेंट में कोई फर्क नहीं रह गया है और उन्होंने यह भी कहा है कि इंग्लैंड में जो शासक पार्टी है वह जो चाहे सो करती है। इसलिये कि वहां का विरोधी दल कमजोर है, उनमें आपस में आंतरिक विरोध है। तो यह परिणाम हो रहा है। एल्डस हक्सले ने अपनी पुस्तक 'एंड ऐंड मीन्स' में लिखा है कि संसार के विचारक इस बात को सोच रहे हैं कि जिस तरह की प्रगति हो रही है उसमें ज्ञान और सूचना के साधन भी धीरे-धीरे सरकार के हाथ में चले जायेंगे और सच्ची प्रगति रह भी जायगी या नहीं यह सोचने की बात है।

हमारे देश में संत विनोबा ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुल सत्ता दिल्ली के केवल ५,६ व्यक्तियों के हाथ में है। बाकी सब लोग जी हुजूर हैं। यह संत विनोबा के शब्द हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह याद आया कि कुछ दिन पहले ख्वाजा अब्बास नाम के एक लेखक हैं उन्होंने एक प्रदेश के बारे में लिखा था कि उस प्रदेश के मंत्रिमंडल में मिनिस्टर तो सिर्फ एक है और वह मुख्य मंत्री हैं और बाकी मिनिस्टर जो हैं वह ग्लोफाइड क्लर्क, चमकीले क्लर्क हैं, मिनिस्टर नहीं हैं। तो यह प्रत्यक्ष परिणाम उसका हो रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में सरकार अधिनायकवाद की ओर जा रही है और यह बात सोचने की है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जब रोजी और रोटी के साधन सरकार के हाथ में हों और सरकारी कर्मचारियों के हाथ में हों तो उनके होते हुए वोट की स्वतंत्रता कहां तक रहेगी? आर्थिक क्षेत्र में दासता रह सकती है यह कोई समाजवादी नहीं मानता, लेकिन परिणाम यह हो रहा है कि आर्थिक गुलामी बढ़ रही है। क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि जिस के पास परमिट है बस का, जिससे उसे दो, तीन हजार की आमदनी है, वह भले ही जनसंघ पार्टी का मेम्बर हो, पी० एस० पी० का मेम्बर हो अथवा स्वतंत्र दल का हो, वह सरकार के खिलाफ वोट देने की हिम्मत करेगा? जिसके पास कोल डिपो का परमिट है, वह क्या वोट देने की अपनी आजादी बरतेगा?

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बात मानी कि साधनों की दृष्टि से यह योजना बहुत बड़ी है। हमारे साधनों को देखते हुए यह योजना बहुत बड़ी है और आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत छोटी है। तो साधनों और आवश्यकताओं में कोई मेल हमारे यहां नहीं है, लेकिन फिर भी हम योजनायें बना रहे हैं।

एक बात उन्होंने विचित्र सी कही और उन जैसे गंभीर वक्ता से मैं उस बात के सुनने की आशा नहीं करता था कि काश्तकारों की हालत पिछले सालों से बेहतर है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उनकी इस तृतीय योजना के साहित्य में यह लिखा है कि पिछली दो योजनाओं के बाद भी अपने प्रदेश की औसत आय जितनी थी उतनी ही हो रही है, सिर्फ .३ परसेंट की वृद्धि हुई है। और मेरे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह बताया था कि यहां पर खाद्यान्नों की कीमत ३३ फीसदी और ३५ फीसदी तक बढ़ गया है और यह भी स्वीकार किया गया है कि आमदनी उतनी ही है, और यह भी सही है कि प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा ३३ फीसदी बढ़

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

गया है । यही नहीं, इनडाइरेक्ट टैक्सों का भार जो सन् १९५१ में १३.९ था वह अब १८.९ हो गया है । इस तरह से अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि टैक्सों का भार बढ़ रहा है, खर्चा भी बढ़ रहा है और आमदनी उतनी ही है । फिर यह चमत्कार उन्होंने दिखाया है कि उसकी हालत अच्छी हुई है ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निश्चित मत है, समय कम है , नहीं तो मैं और बातों की ओर भी संकेत करता, जैसा कि मैंने पहले कहा है, योजना का जो मार्ग है वह सही मार्ग नहीं है, यह देश और प्रदेश को तरक्की की ओर और समृद्धि की ओर ले जाने वाला नहीं है, इस मार्ग से विकास होने वाला नहीं है, विनाश हो सकता है, इस मार्ग से निर्माण नहीं होगा विध्वंस हो सकता है और हो रहा है, इस मार्ग से प्रगति नहीं होगी, दुर्गति हो सकती है । दोनों योजनाओं के परिणाम हमारे सामने हैं । दोनों ही योजनायें विफल हुई हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तृतीय योजना में यह दोनों बातें मानी गयी हैं और इसमें लिखा हुआ है कि स्पष्ट शब्दों में, अगर समय होता तो मैं उसे पढ़ कर भी सुनाता, मैं निशान भी लगा लाया हूं कि आमदनी का स्तर वही रहा है, गरीबों की ओर अभी तक हम पहला कदम भी नहीं उठा पाये हैं, बेकारी भी हल नहीं हुई है, महंगाई भी बढ़ी है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि हुआ क्या है ? जो कुछ हुआ है वह यह हुआ है कि सरकार का पतन हुआ है और उसकी मनोवृत्ति सर्वभक्षी सी हो गयी है । इसकी मनोवृत्ति उस बगुले की तरह हो गयी है जो इस आशा में बैठा रहता है कि जैसे ही उसे कोई मछली मिले वह तुरन्त उसे गटक जाय, उसी तरह से यह सरकार इसी ताक में बैठी रहती है कि जहां भी उसको अवसर मिले वह अपने अधिकार को बढ़ाये ।

हमारे यहां इन्टरमीडियेट बोर्ड अधिनियम हो गया, यूनिवर्सिटी अधिनियम बन गया, इसी तरह से जिला परिषद् अधिनियम भी पास हो चुका है, और इसी प्रकार से और भी कई अधिनियम बन गये हैं और उन सबके द्वारा सरकार ने एक ही काम किया है और वह यह कि विकेन्द्रीकरण के नाम पर उसने सत्ता का केन्द्रीयकरण किया है और जितने भी अधिकार अपने हाथ में ले सकती थी उनको लिया है ।

आज, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी योजनायें सफल नहीं हुई हैं और जो इनकी नीति है उसके कारण सफल होने की आशा भी नहीं की जा सकती । इनकी नीति बिलकुल एक जुआरी और सट्टेबाज की सी है । जिस तरह एक जुआरी एक दांव को हारने के बाद अपने हर दांव को बढ़ाता चला जाता है, ऐसी उसकी मनोवृत्ति होती है, उसी प्रकार की मनोवृत्ति इनकी देखने को मिलती है । युधिष्ठिर के बारे में हम सब को मालूम है कि ज्यों ज्यों वह जुए में अपने दांव हारता जाता था त्यों-त्यों उसको बढ़ाता जाता था और अंत में उसने द्रौपदी तक को दांव पर रख दिया । इसी तरह से हमारी सरकार की यह योजनायें चल रही हैं । यह सरकार अपने देश की द्रौपदियों को आज दांव पर लगा रही है और हारती चली जा रही है । आप देखेंगे कि इसके पहली वाली योजना यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना २५३ करोड़ की थी और अब यह तीसरी योजना ६०० करोड़ की बनने जा रही है । तो इन सारी बातों को देखते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं का मार्ग समृद्धि का मार्ग नहीं है, इससे देश की और प्रदेश की समृद्धि नहीं हो सकती और न समाजवादी समाज की स्थापना हो हो सकती है । हमारे देश और प्रदेश को सर्वोदय समाज की आवश्यकता है और अगर सरकार अपनी गलत नीतियों को छोड़ कर सही नीति का मार्ग अपनाये तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा देश और प्रदेश तरक्की कर सकता है । सही नीति को अपना कर ही हम अपने देश को सुखी और समृद्धिशाली बना सकते हैं ।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, श्री पालीवाल जी की स्पीच मैंने बड़े गौर से सुनी और मुझे काफी नाउम्मेदी भी हुई । मैं उनका एक बात के लिये कृतज्ञ हूं कि उन्होंने बहस को एक नया रस दिया । उनका कहना है कि वे प्लानिंग के खिलाफ हैं और समाजवादी समाज के आदर्श के भी खिलाफ हैं । इसलिये अब प्रश्न यह रह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाता है कि क्या प्लानिंग जरूरी है या नहीं। उनका यह भी खयाल है कि प्लानिंग हमारे प्राचीन के प्रतिकूल है, हमारी संस्कृति के प्रतिकूल है। कुछ हद तक उनकी ये बातें सही हैं। प्लानिंग निस्संदेह प्राचीन के प्रतिकूल है और प्लानिंग और सोशलिज्म अब जो दुनिया में फैला हुआ है वह प्राचीन के प्रतिकूल है, बल्कि यह पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म भी उसके प्रतिकूल है। जहां तक प्राचीन का ताल्लुक है उसकी लकीर पीटने से कुछ होता नहीं है। प्राचीन को मशीन युग ने समाप्त कर दिया है, उसकी कल्पना और सोचने का ढंग सब मिट चुका है। सवाल यह है कि क्या प्राचीन ही अच्छा था? मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूं। उसकी अपनी देन थी। प्राचीन के बाद अर्वाचीन कैपिटलिज्म आया। उसकी भी कुछ देन थी, लेकिन आज उसका भी विघटन हो रहा है और आज दुनिया समाजवाद की तरफ बढ़ रही है। पालीवाल जी कितनी ही जोरदार आवाज से कहें लेकिन प्लानिंग और सोशलिज्म को कोई रोक नहीं सकता। यह दुनिया का प्रवाह है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि प्लानिंग और सोशलिज्म के जरिये से पिछड़े देशों की कायापलट हुई है। मैं टोटैलिटेरियन सोशलिज्म या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात नहीं कहता, लेकिन जहां तक प्लानिंग और सोशलिज्म का ताल्लुक है पिछड़े देशों की काया-पलट हुई है और दुनिया ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। उनकी प्रोग्रेस कहीं ज्यादा है बनिस्बत उस व्यवस्था के जिसे पालीवाल जी लाना चाहते हैं।

जहां तक इसका ताल्लुक है कि इंग्लैंड में ग्रोथ रुकी है, तो यह सही बात है कि एक जद्दोजहद चल रही है, लेकिन ओवर आल पिक्चर जो है दुनिया की उसमें प्लानिंग और सोशलिज्म बढ़ रहा है। इंगिलस्तान की पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में जो आज जद्दोजहद है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता।

पालीवाल जी ने एक बात बड़े मजे की कही कि कुछ लोग पुराने मूल्यों को, पुरानी मान्यताओं को मिटाना चाहते हैं, लेकिन वह कौन हैं यह नहीं बतलाया। यह सही है कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म बेतहाशा उन्हें मेट रहा है। अब से १५ साल पहले लाखों आदमी बंगाल के फेमिन में एड़ियां रगड़-रगड़ कर मरे, लेकिन विद्रोह नहीं किया, क्योंकि वह समझते थे कि भूखा मरना उनके भाग्य में लिखा है। लेकिन अब लोगों में जो तबदीली हो रही है, खयालात में तबदीली हो रही है उसको कोई रोक नहीं सकता। आज हर नागरिक चाहता है कि उसके गल्ले की, सेहत की जिम्मेदारी सरकार की हो और दुनिया की कोई ताकत इन उमड़ी हुई भावनाओं को रोक नहीं सकती। जब आप मानते हैं कि अनाज की जिम्मेदारी राज्य की है, शिक्षा और सेहत की जिम्मेदारी राज्य की है तो दुनिया का कोई राज्य इन बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकता है जब तक कि वह प्लानिंग नहीं करता है, जब तक वह प्रोडक्शन के स्टेज से डिस्ट्रिब्यूशन तक अपना काम नहीं बढ़ायेगा। आज मेरा प्लानिंग में इतना ही विश्वास है जितना कि धर्म में किसी का होता है। इसके जरिये से ही किसी पिछड़े हुए देश के साधनों का ठीक उपयोग हो सकता है, उसकी मानव शक्ति का उपयोग हो सकता है। हमें यह पहले से तय करना पड़ेगा कि पहले ५ वर्ष में यह प्राबलम साल्व करनी होगी, दूसरे पांच वर्ष में यह करनी होगी। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मैं अब पालीवाल जी की बातों के बारे में ज्यादा कहना उचित नहीं समझता।

अब सवाल यह है कि थर्ड फाइव ईयर प्लान के बारे में हमारे क्या विचार हैं? मैं इसे दो नजर से देखता हूं। एक तो यह कि जो दागबेल पहली पंचवर्षीय योजना के जरिये से डाली गयी थी उसे निभाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है या नहीं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जहां तक उस दागबेल का ताल्लुक है जो पहली पंचवर्षीय योजना के जरिये से पड़ी है, उसका काफी फैलाव होने जा रहा है। इसलिए उसमें किसी को ज्यादा मुखालिफत की वजह नहीं है। जहां तक तरक्की के आंकने का ताल्लुक है, उसमें मत-भेद हो सकता है

(इस समय १ बज कर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुए।)

[श्री गोविन्द सहाय]

मैं खुद समझता हूं कि प्लानिंग में दो बातों के बारे में मतभेद हो सकता है और है और मेरा भी मतभेद है। पहले तो यह कि जो रुपया हम खर्च करते हैं, जो फैलाव हम करते हैं, जो ढांचा बनाते हैं, क्या वह फैलाव और ढांचा उस ध्येय की तरफ ले जाता है? दूसरे यह कि क्या उसका इम्पलीमेन्टेशन उस स्पिरिट से हो रहा है जिससे हम करना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि जो कुछ भी क्रिटिसिज्म हो सकता है वह इसी बात पर हो सकता है कि इम्प्लीमेन्टेशन जो हो रहा है वह उस स्पिरिट से नहीं हो रहा है, उसमें वह रूह नहीं है जिससे हम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं इसके बारे में जो हमको थर्ड फाइव ईयर प्लान का ड्राफ्ट दिया गया है, बहुत कम गवर्नमेंट पब्लिकेशन्स में इतनी ईमानदारी से अपनी सफलताओं और विफलताओं की चर्चा एक साथ की जाती है जितनी कि इसमें है। इसमें बहुत ईमानदारी के साथ कबूल कर लिया गया है कि कहां-कहां हमारी खामियां हैं, कहां कहां हमारी बाटिलनेक्स हैं, क्या-क्या हम नहीं कर पाये हैं। इसके साफ माने यह हैं कि प्लानिंग को चलाने वाले जो सूत्र हैं वह पूरी तरह से आगाह हैं कि जितनी सफलता होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है। यह डिसअप्वाइन्टमेन्ट हो सकता है। लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि हम उस चीज को ही खत्म कर दें।

हमको कहना होगा कि यह वाकया है कि जो फैलाव हुआ है उस फैलाव में जितने नतीजे होने चाहिये थे और जो नतीजे हम लोगों तक पहुंचने चाहिये थे वह उस मात्रा में और उस स्पिरिट में नहीं पहुंच पाये हैं। मिसाल के तौर पर इम्प्लीमेन्टेशन के सम्बन्ध में दो एक बातों का जिक्र करना चाहता हूं। इम्प्लीमेन्टेशन ही बड़ी चीज होती है। रुपये का एलाटमेन्ट उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि जो उसको एक्जीक्यूट करता है उसकी स्पिरिट महत्वपूर्ण होती है। एक मिसाल मैं अपने ही जिले की देना चाहता हूं। एक साहब ने ट्यूबवेल बनाने के लिये तकावी ली। तहसीलदार साहब ने उनसे कहा कि आप तकावी वापिस करिये। उन्होंने कहा कि मेरी ईख खड़ी है। आपका एक हजार रुपया है, मेरी ५ हजार की ईख है, तीन महीने के बाद मैं रुपया दे दूंगा। तहसीलदार साहब जरा रायल किस्म के आदमी थे, बोले मैं तो कुएं से ही रुपया वसूल करूंगा और फौरन हुक्म दे दिया कि कुएं की मशीन निकाल लो। मशीन निकल जाती है और ईख भी सूख जाती है। दो साल से वह मशीन तहसील में पड़ी है और उनके पास नोटिस आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल एक्जीक्यूशन का है, हमारी जो मशीनरी है वह किस तरह से एग्जीक्यूट करती है।

मैं समझता हूं कि आप जितने भी डैम वगैरह बनाते हैं और जो भी करते हैं हर चीज में जो एग्जीक्यूशन मशीनरी है उसका ओरियन्टेशन जरूर होना चाहिये, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को लायल होना चाहिये और सरकार की जो बुनियादी पालिसी हो उसी की स्प्रिरिट में उन्हें एग्जीक्यूशन करना चाहिये। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इस प्रकार की गलतियों की एक नहीं हजारहा मिसालें दी जा सकती हैं। मेरा जाती तजुर्बा है कि एक्सपर्ट्स पर लाखों रुपया खर्च होता है। खुद मेरा ही ट्यूबवेल बना हुआ है लेकिन ६ वर्ष हो गये आज तक मैं एक गैलन पानी भी उससे नहीं ले पाया, कभी इंजीनियर का झगड़ा कभी मेकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर में नहीं बनती। किसी एक जगह ही यह किस्सा नहीं है, कितनी ही जगहों पर यह किस्से हैं। मैं चाहूंगा कि थर्ड फाइव ईयर प्लान से पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है जिससे हमको काम लेना है उसमें हमें वह विचाराधारा डालनी है। इस मशीनरी को भी हमें एक प्रोजेक्ट की तरह से ट्रीट करना चाहिये। ऐडमिनिस्ट्रेशन में हमें वह स्पिरिट लानी है जिससे वह जब लोगों के सम्पर्क में आयें तो मालूम हो कि एक बदला हुआ युग है, बदला हुआ राज्य है, बदला हुआ जमाना है। इस बात पर जितनी भी इम्फैसिस दी जाय वह जरूरी है।

अब दूसरा सवाल आता है। मैं आशा करता था कि जब पालीवाल जी बोलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। अभी बहुत से लोग नहीं बोले, मैं चाहूंगा वह उस पर चर्चा करें। आज जहां

जहां प्लानिंग हो रही है, उसका फैलाव हो रहा है उसमें जो आत्मा और सोल होनी चाहिये वह नहीं पैदा हो पा रही है। प्लानिंग का ध्येय केवल कल कारखाने बनाना ही नहीं होता है, इसका असल ध्येय होता है एक नये आदमी का निर्माण करना। एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करे। मैटीरियल क्षेत्र में तो हमने तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई इस बात से इनकार करता है तो मैं उसको मानने के लिये तैयार नहीं। मैटीरियल क्षेत्र में काफी फैलाव हुआ है। जिन हालात में हमारे यहां प्लानिंग शुरू हुई, मैं कह सकता हूं कि मैटीरियल तरक्की के लिहाज से उस जमाने में रूस को सफलता से भी ज्यादा सफलता हमारे यहां हुई। इसे माना कि आज जो चीजें हमारे यहां नामुमकिन समझी जाती थीं उनको हमने पैदा किया है यानी स्वीइंग मशीन, साइकिलें वगैरह गैर मामूली तौर से हमारे देश में बनने लगी हैं। पहले साइकिलें केवल १६ हजार बनती थीं लेकिन अब उनका फैलाव २६ लाख तक हो गया है। इसके अलावा स्वीइंग मशीन और डीजल इंजिन भी बनने लगे हैं लेकिन बावजूद इस फैलाव के उससे लोगों के अन्दर स्फूर्ति नहीं आयी है बल्कि बेचैनी पैदा हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि जितनी बेचैनी पैदा होगी उतनी ही विकास के लिये प्रेरणा मिलेगी, फिर भी मैं समझता हूं कि हमारे प्लानर्स को सोचना होगा कि मैटीरियल तरक्की के साथ-साथ मानसिक और नैतिक उन्नति की तरफ भी हमारा कदम जाना चाहिये, कल्चरल डेवलपमेंट की तरफ हमारा कदम उठना चाहिये।

पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा बायस एग्रीकल्चर था। उसको ही उसमें प्राथमिकता दी गयी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में खेती के अलावा उद्योग पर जोर दिया गया। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन दोनों का कांसोलीडेशन तो होना ही चाहिये लेकिन उसके साथ-साथ उन दोनों योजनाओं से हमें जो यंत्र मिले हैं उनके जरिये से हमें प्लानिंग करना चाहिये और नये प्रकार के आदमी को हमें बनाना चाहिये। आदमी के ट्रान्सफारमेशन की तरफ हमारा ध्यान जाये, बिना उसके मेंटल और मारल डेवलपमेंट एक साथ नहीं हो सकता। मुझे इसमें कुछ गलतफहमी नहीं है और मैं इसको जरूरी समझता हूं कि हमें यह देखना होगा कि हमारी थर्ड फाइव ईयर प्लान का मूल आधार क्या है। यह चीज आंकड़ों से सिद्ध नहीं होती बल्कि पालिसी से होती है।

यह मैं मानता हूं कि यह पंचवर्षीय योजना पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के बिलकुल अनुकूल और व्यावहारिक है और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, हमें यह कहने में गर्व है कि यह प्लान एम्बीशस है। एम्बीशस होना कोई बुरी बात नहीं है। इस बात को स्वीकार करने में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। ६९० करोड़ का हमारा यह प्लान है, इसलिये इसमें भी कोई दो मत नहीं हो सकते कि इससे जो फैलाव होगा उससे अवश्य ही हमारे प्रदेश का लाभ होगा। लेकिन विरोध सिर्फ इस स्थान पर आता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होता, उसमें खामी रह जाती है और इसको हमें विभिन्न तरीकों से नोटिस में लाना चाहिये। थर्ड फाइव ईयर प्लान में इस तरफ इशारा भी किया गया है। कुछ काम करने की प्रणाली हमारी ऐसी है कि छोटी से छोटी बात भी हमें बहुत अर्से के बाद मालूम पड़ती है। मैं समझता हूं कि पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर हमें जो अनुभव हुआ है उसका हमें पूरा-पूरा फायदा उठाना चाहिये। हमारे जो नियम बने हुए हैं वे सब पुलिस स्टेट के लिये बनाये गये थे। इसलिये अब वक्त आ गया है कि जो ढांचा इस वक्त बना है उसमें समयानुसार बदलाव करने के लिये निश्चित कदम उठाये जायं।

शिक्षा के बारे में खासतौर से मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब भी मुझे मौका मिला है मैंने इस प्रश्न को उठाया है और आदरणीय मंत्री जी से भी मुझे इस मामले में मदद ही मिली और जब मेरी उनसे बातें हुईं तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उसमें तब्दीली की जरूरत है। लेकिन उनका कहना यह है कि शिक्षा को बदलने का काम हमारा नहीं है, वह

[श्री गोविन्दसहाय]

काम शिक्षा विशेषज्ञों का है। मैं आपके जरिये उन तक यह बात पहुंचाना चाहूंगा कि मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरा कहना यह है कि जब समाज का बड़ा नक्शा आपने तय किया है, इसलिये इसके बारे में भी प्रेरणा पहले आपको ही देनी होगी। विशेषज्ञ तो खुद पैदावार इसी एजुकेशन सिस्टम की है फिर वह उसको किस प्रकार से बदल सकता है। इसलिये आज नहीं तो कल हमें ही यह कदम भी उठाना होगा।

शिक्षा बचपन से ही नयी मान्यतायें पैदा करती है। मिसाल के तौर पर समाजवाद के लिये यह जरूरी होता है कि लोग सरकारी संपत्ति को निजी संपत्ति से ज्यादा प्यार करें। लोग स्वयं अपने हाथों से काम करें। इसमें विश्वास करें कि "वर्क इज वर्शिप।" पूंजीवाद समाज ने एक तो लोगों को काम से हटाया और दूसरे आर्थिकता को अधिक महत्व दिया। तो पूंजीवादी समाज में जरूर हमने एक नयी महत्ता पैदा की है। हम उसकी इज्जत करते हैं जिसके मकान ऊंचे होते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं जिसके पास दौलत ज्यादा होती है। समाजवादी समाज का फर्ज हो जाता है कि वह इसके बजाय नयी मान्यतायें पैदा करे कि जो हाथ से काम करते हैं, जो नये नये आविष्कार करते हैं तथा समाज की सेवा करते हैं वे ही सही माने में समाज के देशभक्त हैं। तो नयी मान्यतायें पैदा करने के लिये छोटे बच्चों के अन्दर इन विचारों को प्रवेश कराने की जरूरत है कि बच्चे किस प्रकार से मिल जुल कर काम करें। सिर्फ कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाने से ही कोआपरेशन नहीं हो जाता। इसलिये मुझे यह कहने में आज जरा भी हिचक नहीं है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की देहली पर होते हुए आज हमारे सामने अजीब स्थिति है कि एक तरफ हम समाजवादी व्यवस्था बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे यहां व्यक्तित्व रिजनलिज्म और कम्युनलिज्म की भावना पैदा होती जाती है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें कसूर एक का है और दूसरे का नहीं है लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि इसका कसूर मूलतः आज की शिक्षा प्रणाली का है। शुरू से बच्चों के अन्दर कोआपरेशन से, मिल जुल कर किसी काम को करने की भावना पैदा करनी चाहिये।

इसी तरह से न्याय प्रणाली की भी बात है। मेरा यकीन है कि जितना भ्रष्टाचार होता है--श्रीमान्, जिस चीज के ऊपर में अब आ रहा हूं, हो सकता है कि काफी दोस्त नाराज भी हो जाय और विरोध भी करें। आजकल हमारे देश में सदाचार गिरने की, चरित्र के गिरने की बड़ी चर्चा है और मेरा शुरू से ही यह खयाल है कि इस चरित्र के गिराने में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यवस्था का हाथ है तो वह हमारी जुडिशियरी व्यवस्था का हाथ है। आज अदालतों का एक नियम सा बन गया है कि जो सच बोले उसे बेवकूफ कहा जाय और जो अनट्रूथ हो, फ्राड हो, गलतबयानी हो, उसे सच माना जाय। आज कल का जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि जिसके अन्दर लोगों को गैरमामूली हेरासमेंट होता है, एक बार जो किसी मुकदमे के सिलसिले में कचहरी में पहुंच गया, वहां से निकलने के लिये उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। कचहरी का माने ही इस तरह से किया जाता है कि कच माने बाल और हरी माने जो हर ले, अर्थात् जो बाल को साफ कर दे, टी० बी० की तरह से वह चिपक जाता है। यह जो जुडीशियल सिस्टम है उसमें आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा।

हमारे देश के अन्दर दो तीन साल से जजों की इज्जत काफी बढ़ गयी है। लोग यह समझते हैं कि यह जो किस्म है, यह जो स्टील है, इससे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं हो सकता। मैं किसी की ईमानदारी बेईमानी में नहीं जाता, मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि जिस किस्म का इंसाफ का दृष्टिकोण उनका है वह इतना जुडिशियल नहीं है। वे प्राइवेट प्रापर्टी उसूलों पर पले हैं, उनके सोचने का ढंग कुछ दूसरे किस्म का है, तो इस जुडीशियरी सिस्टम को हमें बदलना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ शिक्षा प्रणाली तथा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा। हमारे लिये आवश्यक है कि अपने देश के अन्दर एक नयी व्यवस्था लाने के लिये, एक नयी मान्यता लाने के लिये, नयी विचारधारायें लाने के लिये नये किस्म की प्रणालियों को मानें।

एक बात मैं और कह कर समाप्त करूंगा कि जिस प्रकार का प्रयोग यहां किया गया, उस तरह का प्रयो। करने के लिये हमारा हाथ रवां न हीं था इसलिये हमको प्लानिंग ऐसी बनानी चाहिये जिसके लिये हमारे हाथ रवां हों। हमें अपने को उनके अनुकूल बनाना होगा। अगर आप अपने को नहीं बदलेंगे तो मुझे अन्त में पालीवाल जी की बात से इत्तफाक करना पड़ेगा कि कोई रेवोल्यूशन होने पर जब जनता की आकांक्षा की पूर्ति न हो जाय तब काउंटर रेवोल्यूशन आता है और उसका यही नारा होता है कि प्लानिंग खराब है, समाजवाद असम्भव है, समजवाद में तबाही आने वाली है। तो इस डर से बचने के लिये इतिहास ने जिम्मेदारी का बोझ डाला है पोलीटिकल लोगों के ऊपर और अगर इस जिम्मेदारी के साथ-साथ सामाजिक तथा आर्थिक जिम्मेदारी का बोझ लेने में किसी तरह की कमी हो जाय तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। मैं निवेदन करूं कि प्लानिंग के ऊपर बहस होनी चाहिये और वह ऐसे ढंग की बहस होनी चाहिये जिससे कि इन योजनाओं के मंजूर होने पर इतना वजन पड़ सके कि इसके अन्दर जो त्रुटियां रह गयी हों वे तीसरी पंच वर्षीय योजना के शुरुआत में ही सफाई के साथ दूर की जा सकें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, दुख दारिद्र्य तथा गरीबी को इस प्रदेश के नियोजन के मार्ग में इसके चक्र के तोड़ने का जो हमारा प्रयास है उसके १० वर्ष बीत गये। अब तीसरी योजना का प्रारूप हमारे सामने है। अच्छा होता कि यह प्रारूप हमारे सामने आज से कम से कम ६ महीने पहले आ जाता। सभी माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग की कि पहले ही प्रारूप हमारे सामने आ जाय। इसी महीने की २३ तारीख को प्लानिंग कमीशन को इस पर विचार करना है और आज केवल एक सप्ताह पहले हम उस पर विचार कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि सुझाव जो विभिन्न पक्षों की ओर से यहां दिये जायेंगे उनका समावेश इस ड्राफ्ट में कैसे हो पायेगा। अन्य प्रदेशीय सरकारों ने समय-समय पर अपने ड्राफ्ट्स आज से कुछ महीने पहले ही निकाल दिये थे। खैर, इतनी प्रार्थना मैं अवश्य करूंगा आपसे श्रीमन्, कि जिस प्रकार लोकसभा में माननीय अध्यक्ष ने ५ कमेटियां बना दीं कि ड्राफ्ट प्लान पर विचार करें और सुझाव दें ताकि जो मुख्य प्लान है उसके प्रारूप को ठीक से बनाया जा सके, उसी प्रकार मेरी प्रार्थना होगी इस पक्ष की ओर से कि आप माननीय अध्यक्ष तक हमारी इन भावनाओं को पहुंचा दें कि इस प्रारूप पर विचार करने के लिये समितियां सदन की ओर से माननीय अध्यक्ष नाजमद करें जो कि प्लानिंग कमीशन में इस पर विचार हो जाने के बाद विचार करें।

प्रारूप में जिस प्रकार से तथ्यों की विवेचना की गई है और आत्मालोचना की गई है, गवर्नमेंट ने अपना सेल्फ-क्रिटिसिज्म किया है, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी और वर्तमान विकास प्रशासन बधाई के पात्र हैं। जिन तथ्यों को विरोधी पक्ष वर्षों से कहता आया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय सुझाव दिये, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय दिये,उस समय उन्हें स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन आज सत्य का उद्घोष हुआ है और पहली बार सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के इस प्रारूप में उन कमजोरियों को, उन आर्थिक सच्चाइयों को स्वीकार किया है जो आज उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था का अनिवार्य अंग बन गई है। अच्छा होता यदि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के बनाने वाले इन बातों को मान लेते और प्रचार के दृष्टिकोण से, इलेक्शन के दृष्टिकोण से न चलते।

दो योजनायें बीत गईं। आज सत्य हमने प्लानिंग कमीशन के सामने रखा है, भारत सरकार के सामने रखा है। शायद कोई परिणाम निकले। लेकिन फिर भी, जो प्रारूप है उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, आधारभूत त्रुटियां हैं। पहली चीज, हमारा उद्देश्य क्या है, आब्जैक्टिव क्या है? जो सीमित उद्देश्य है और जो अल्टीमेटम आब्जैक्टिव है उनमें क्या संबंध और किस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्रकार रहेगा, यह स्पष्ट नहीं है । केवल यह कहा गया है कि जो राष्ट्रीय उद्देश्य है उस तक हम नहीं पहुंचे। राष्ट्रीय उद्देश्य क्या था ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि २५ परसेन्ट राष्ट्रीय आय बढ़े । उसका उद्देश्य यह था कि ५ परसेन्ट पर कैपिटा इन्कम बढ़ाई जाय । यह राष्ट्रीय उद्देश्य था । यह प्रारूप स्वयं कहता है कि उसकी पूर्ति हमने पिछले ५–१० वर्षों में नहीं की बल्कि पीछे हटे हैं । अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा आब्जेक्टिव रह जाता है । यह तो वह आब्जेक्टिव है जो केन्द्र के फाइव ईयर प्लान में है । इसमें फिर कहा गया है कि २५ परसेन्ट आय अगले पांच वर्ष में बढ़ायेंगे । क्या हमने इसी ध्येय का उद्घोष अपने इस ड्राफ्ट में किया है ? क्या हमने जो मांग की है वह इसके अनुसार सही कसौटी पर उतरती है ? मेरे विचार से ऐसा नहीं है ।

६०० करोड़ की जो बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य २५ परसेन्ट राष्ट्रीय आय बढ़ाने का है जिसका अर्थ यह भी है कि उत्तर प्रदेश की भी २५ परसेन्ट आय बढ़ाई जाय, तो ६०० करोड़ के प्लान से वह पूरा होने वाला नहीं है । कम से कम, जैसी कि अध्ययन मंडलों ने सिफारिश की, ७५० करोड़ का थर्ड प्लान होना चाहिये । प्लान के जो अध्ययन मंडल बने थे, उन्होंने जो संस्तुतियां की थीं उन्हें क्यों नहीं माना गया और कम करके ६०० करोड़ का प्लान क्यों रखा जा रहा है ? हो सकता है कि हमने व्यावहारिक रूप से यह मांग की हो, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्देश्य है वही हम अपना उद्देश्य कहते हैं तो हमें वही मांग करनी चाहिये थी ।

दूसरी बात, हमारा उद्देश्य था कि हम समाजवादी समाज की ओर कदम बढ़ायें । स्वयं इस प्रारूप में माना गया है कि समाज में जो असमानता थी वह कम होनी चाहिये थी, लेकिन वह कम नहीं हुई है, बढ़ी है । पिछले १० वर्षों का जो इतिहास है उसमें यह माना गया है । तो क्या इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट में कोई ऐसा कदम बतलाया गया है जिससे आज जो आमदनियों में असमानता की खाई बढ़ी है उसे कम करने के सम्बन्ध में बढ़ाया गया हो ? एक भी कदम ऐसा नहीं है जिससे हम समझ सकें कि अपने राज्य की ताकत के अनुसार हम समाजवादी समाज की स्थापना की ओर कोई कदम बढ़ा रहे हैं । या जो असमानता है उसको दूर करने के लिये कौन-सा कदम बढ़ा रहे हैं, यह इसमें स्पष्ट नहीं है । जैसे बेकारी का कोई चैप्टर नहीं है जो आज की सबसे बड़ी समस्या है । श्रीमन्, मैंने हिसाब लगाया जो हमारे राजकीय आंकड़े हैं उनके अनुसार २ लाख पढ़े-लिखे बेकार, स्किल्ड और अनस्किल्ड के नाम से एमप्लायमेंट एक्सचेंज में दर्ज हैं । ४४ हजार प्रति महीने एमप्लायमेंट ऐक्सचेंज में नाम लिखे जाते हैं उसमें से ७ हजार को नौकरी मिलती है । यह जो अनएम्प्लायमेंट की समस्या है इसको हल करने के लिये क्या इसमें सुझाव दिये गये हैं ?

हमारे प्रदेश की इसमें सुन्दर विवेचना की गई है कि हमारे प्रदेश की नवीन प्रवृत्तियां क्या हैं । इसमें एक प्रवृत्ति का उल्लेख नहीं है । वह यह है कि ग्रामीण आमदनी और शहरी आमदनी में खाई बढ़ती जा रही है, यह बड़ी भारी प्रवृत्ति है इसको रोकने के लिये इस योजना में क्या प्रबन्ध है ? जब हम उद्योगों का हिसाब देखते हैं तो ग्रामोद्योग और भारी उद्योगों में जो संतुलन रखा गया वह इस प्रकार किया गया कि इन दोनों उद्योगों से जो आमदनी बढ़ेगी उससे किसी प्रकार का संतुलन पैदा होगा ऐसी बात नहीं है बल्कि खाई बढ़ती जायगी ।

हमारी इस योजना में जो मौलिक त्रुटि दिखाई देती है वह २, ३ प्रीजम्पशन किये गये हैं । पहली बात तो यह मानी गई है जो तीन प्रकार के सेक्टर होते हैं, एक तो निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और तीसरा केन्द्रीय क्षेत्र जिसमें केन्द्रीय सरकार खर्च करेगी । तो राज्य क्षेत्र का वितरण तो इस प्लान में है लेकिन निजी क्षेत्र का विवरण कहीं नहीं है कि कितना निजी क्षेत्र होगा, कितना इनवेस्टमेंट होगा । इसका कोई भी मूल्यांकन नहीं किया । केवल रूरल मैन पावर कितनी मिलेगी उसका एक अंदाज है । ब्लाक्स से जो स्कीम आयी है उसके अनुसार सवा ६ मिलियन टन फूड ग्रेन बढ़ा पायेंगे । लेकिन प्राइवेट सेक्टर का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया । यह कहा गया कि द्वितीय योजना में प्राइवेट सेक्टर में ३०० करोड़ रुपया इनवेस्टमेंट किया गया था ।

आश्चर्य का विषय है कि जब प्रथम द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में राजकीय सेक्टर में कुल २७३ करोड़ रुपया इनवेस्ट हुआ लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ३०० करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट हुआ। किस आंकड़े के आधार पर यह मान लिया गया। यह प्रीजम्पशन गलत है। जब राष्ट्रीय स्तर पर भी यह परसेंटेज नहीं बैठता है तो हम कैसे मान लें कि प्रदेशीय स्तर पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में यह परसेंटेज होगा ? इसी एजप्शन को ले कर हमने आगे की योजना बनायी है और उसमें मान लिया गया है कि आगे जो बिजली पैदा करेंगे उसका प्राइवेट सेक्टर इतने बड़े पैमाने में उपयोग कर लेगा। दूसरी जो धारणा गलत बनायी गई है वह रिसोर्सेज के बारे में है। इस प्रारूप में कहा गया है कि हम लड़खड़ाते रहे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्योंकि साधनों की कमी थी, उनका पता नहीं था। तो खर्चे का पूरा ब्योरा इस प्रारूप में मिलता है लेकिन साधनों का पूरा ब्योरा नहीं मिलता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमको कमर कसनी पड़ेगी लेकिन कहीं कमर के बजाय पेट न कसना पड़े। कमर कसने का जो प्रश्न है यह स्पष्ट होना चाहिये कि साधन क्या है ?

अब जहां तक रिसोर्सेज का सवाल है मैंने अपनी ओर से हिसाब लगाया कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप है उसमें १६५० करोड़ रुपये के टैक्स केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें लगायेंगी। अगर हिसाब लगाया जाय तो २०० या २५० करोड़ रुपया टैक्स या अन्य प्रकार से इस शासन को या सदन को स्वीकार करना पड़ेगा। पर कैपिटा इनकम की यह स्थिति है। इस तरह से सवा ७०० करोड़ रुपया चाहिये तो यह कहां से आने वाला है। कौन इस पर विचार करेगा ? साधनों के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं है। यह योजना खर्च बतलाने वाली योजना रह जाती है और आशा के स्थान पर बाद में निराशा पैदा करती है। तो यह वास्तविक योजना इस मानी में नहीं है।

दूसरी बात यह है कि इसमें आबादी बढ़ने का जिक्र है। सन् १९७६ में १० करोड़ आबादी हो जायगी। परिवार नियोजन शब्द कुछ लोगों को बुरा लगेगा। हमें लांग टर्म प्लानिंग करना है लेकिन परिवार नियोजन को हम कम स्थान दे रहे हैं। नाम मात्र का रुपया खर्च कर रहे हैं और उधर ध्यान नहीं गया। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से अशोक मेहता जी ने जो ड्राफ्ट पेश किया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि जिन जिन मुल्कों में वे गये हर मुल्क में पहला सवाल यह किया गया कि बढ़ती हुई आबादी का नियोजन किस प्रकार से कर रहे हैं ? फेमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में दो लाइन्स इसमें लिखी हुई है। कोई अधिक विवेचना इस सम्बन्ध में नहीं है। जो प्राथमिकता उसे दी जानी चाहिये थी वह नहीं दी गयी।

रोड ट्रान्सपोर्ट और कम्युनिकेशस के बारे में अध्ययन मंडल ने सिफारिश की कि ४६ करोड़ ४७ लाख का प्रबन्ध होना चाहिये। इसमें फारेन एक्सचेंज नहीं लगता। हमारे यहां खुद स्टील पैदा होने लगा है। पुल बन सकते हैं। सड़कों के सम्बन्ध में रुपया खर्च कर सकते हैं लेकिन कटौती करके साढ़े २६ करोड़ कर दिया है। इस प्रकार यह जो कार्य है जिसको हम कर सकते हैं, जिसके लिये फारेन ऐक्सचेंज की आवश्यकता नहीं है उसके लिये इस प्रकार रुपया कम किया है।

यही बात उचित है कि कृषि के सम्बन्ध में और बिजली के सम्बन्ध में जो प्राथमिकतायें दी गई हैं वे उचित हैं। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने क्या सबक प्राप्त किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने ५ बिजली की योजनायें बनाई थीं लेकिन बिजली के प्राप्त करने के लिये जोर अब हम दे रहे हैं। एक ओर तो प्राइवेट सेक्टर में हेवी इंडस्ट्रीज के लिये फारेन एक्सचेंज के लिये २ १।२ करोड़ रुपये की मांग रखी है और दूसरी ओर पावर के लिये ८० करोड़ रुपये की मांग की है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों किया गया। यह ठीक है कि बिजली से उद्योग-धन्धे बनेंगे लेकिन दोनों का अनुपात भी तो कुछ होना चाहिये कि कितना धन बिजली में लगायें और कितना भारी उद्योग-धन्धों में। जो अनुपात रखा गया है वह अनुपात उचित नहीं है।

प्राइस पालिसी के सम्बन्ध में इस प्रारूप में कोई निश्चित बात नहीं है लेकिन कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ सिद्धान्त बतलाये। मेरा निश्चित मत है कि अगर हमने दामों का संतुलन

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

नहीं किया तो थर्ड फाइव ईयर प्लान स्मेश हो जाने वाला है । प्रत्येक प्रदेश में प्राइस स्टेबिलाइजेशन बोर्ड होना चाहिये जो मूल्यों का स्थिरीकरण करे और यह देखे कि चीनी से लेकर प्रत्येक अनाज में किस प्रकार से प्राइसेज का संतुलन हो सकेगा, इसका रोजमर्रा वह नियंत्रण करे, तब हम यह आशा कर सकते हैं कि वास्तविक मानों में किसी प्रकार हम अपनी तरक्की कर सकते हैं ।

श्रीमन्, रिसोर्सेज के सम्बन्ध में मैं एक शब्द कहना चाहूंगा । अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये हमें रिसोर्सेज प्राप्त करने हैं तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना होगा । जिस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लाइफ इंश्योरेंस का समाजीकरण किया गया उसी प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में बैंकों का समाजीकरण करना पड़ेगा नहीं तो हमारे सीमित साधनों से काम नहीं चल पायेगा ।

टेक्निकल एजुकेशन का जहां तक सम्बन्ध है, उसके लिये प्रायोरिटी दी गयी है । यह उचित है । लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जहां एक ओर यह कहा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बहुत से कार्य इसलिये पूरे नहीं हो सके क्योंकि हमें टेक्निकल प्रशिक्षण नहीं मिल पाया, वहां मैं देखता हूं कि ५६ हजार क्राफ्ट्समेन की जरूरत तृतीय पंचवर्षीय योजना में होगी लेकिन केवल ४४ हजार का ही प्राविजन किया गया है, १२ हजार की कमी रह गयी है । यह कमी पूरी होनी चाहिये और जो हमारा फाइनल प्लान हो उसमें जितनी हमारे टेक्निकल प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसका पूरा प्रबन्ध होना चाहिये ।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं इतना अवश्य कहूंगा कि कोई योजना तब तक सफल नहीं होगी जब तक लोगों के हृदय में विश्वास पैदा नहीं होगा, जब तक जनतांत्रिक रूप से योजना को सफल बनाने के लिये जनता के सभी वर्गों में चाहे वह किसी राजनीतिक विचारधारा के क्यों न हों, विश्वास नहीं पैदा करेंगे । इस सम्बन्ध में मैं माननीय गोविन्द सहाय जी से सहमत हूं । मैं बर्मा के प्रधान मंत्री, श्री ऊ नू की घोषणा की और इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें उन्होंने ग्राम से लेकर केन्द्र तक किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये इसकी विवेचना की है । जब तक यह होता रहेगा कि फलां क्षेत्र में स्कूल नहीं खुलेगा क्योंकि वह हमारी राय का नहीं है,फलां जगह कारखाना नहीं खुलेगा क्योंकि हमारा पक्ष वहां कमजोर है, तब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती । मैं नहीं कह सकता कि ऊ नू साहब ने जो फारमूला ले-डाउन किया है उसी को हम ले-डाउन करें लेकिन उसी के आधार पर हमें कुछ करना चाहिये । जब तक पार्टीविहीन योजना नहीं चलायी जायगी तब तक प्रजातांत्रिक ढंग से योजना सफल होने वाली नहीं है । स्कैन्डिनेवियन देशों में पीपुल्स कालेज मूवमेंट चलाया जाता है । वहां प्रत्येक वर्ग को सरकार और जनता के सहयोग से यह देखा जाता है कि बालिगों को शिक्षा प्राप्त हो । हमारे यहां राधाकृष्णन् कमीशन ने यह आयोजना की थी कि सभी प्रकार के बालिगों को शिक्षा दी जाय, इस प्रकार का कोई प्राविधान हो ।

श्रीमन्, तीन का शब्द हमारे यहां कुछ सुन्दर भी माना जाता है और असुन्दर भी माना जाता है; जहाँ एक तरफ तीन त्रिकट महाविकट कहा जाता है वहां दूसरी तरफ त्रिशंकु और त्रिवेणी भी हम जानते हैं । तो अगर हमें देश में विधान वाला जनतंत्र चलाना है तो इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना की सफलता या असफलता पर देश का भविष्य निर्भर करता है । इसलिये हम "आज या फिर कभी नहीं" के नारे से इसे करने की कोशिश करें तभी हम सफल हो सकेंगे अन्यथा अगर पहली और दूसरी योजनाओं की ही विचारधारा चलती रही हो तो मुझ नहीं मालूम कि तृतीय पंचवर्षीय योजना चल भी पायेगी और उससे जो हमारे उद्देश्य हैं उन तक हम पहुंच भी पायेंगे ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप हमारे सामने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, उन्होंने जो इस प्रदेश को समृद्धिशाली बनाने का लक्ष्य पेश किया है, उसमें दो

रायें नहीं हो सकती हैं। मैं जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इस बात को मानता हूं कि हर पंचवर्षीय में जो पिछले काम किये गये हैं उनका मूल्यांकन होता है और इसके साथ ही साथ भविष्य के लिये प्रेरणा देने वाली पुकार होती है। अगर इस दृष्टि से इसको देखें तो हम पायेंगे कि हमारी प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर हमारे प्रदेश में हर क्षेत्र में कुछ न कुछ उन्नति अवश्य हुई है और प्रगति भी हुई है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का हो, चाहे सिंचाई का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो यह ड्राफ्ट पेश किया है उसमें जो शुरू के दो अध्याय लिखे गये हैं, उनमें प्रदेश की वस्तुस्थिति का सच्चा और नंगा ज्ञान कराने की पूरी-पूरी चेष्टा की गई है।

मान्यवर, यह पहली ही बार है जब कि सरकार की तरफ से जो इस संबंध में एप्रोच हुआ है वह और सालों के मुकाबिले में ज्यादा यथार्थवादी है, Realist यह निश्चित है। जहां हम देखते हैं कि हमारे यहां दोनों यानी प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में प्रगति हुई है वहां अगर हम इस प्रगति को तुलनात्मक दृष्टि से उस अनुपात में देखें जो हमारे देश के अन्य प्रदेशों में हुई है तो हमें महसूस होता है कि हमारा प्रदेश पिछड़े हुये प्रदेशों में से एक है। मिसाल के तौर पर चाहे कृषि को लें, चाहे सिंचाई को लें, यातायात को लें, शिक्षा को लें, चाहे सड़कों को लें, चाहे विद्युत् शक्ति को लें, सबके अन्दर हम देखते हैं कि १९५०–५१ में सारे देश की तुलना में जो हमारा अनुपात था, जो प्रदेश की क्षमता थी वह दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। सब से अधिक चिन्ता की बात तो यह है कि यद्यपि हमारी स्टेट की जो आय है उसमें २२५ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन तमाम देश की जो राष्ट्रीय आय है उसके अनुपात में जहां हमारी प्रदेशीय आय पहले उसकी १८.४ प्रतिशत थी वह घटकर १६.४ प्रतिशत ही रह गई है। इसी प्रकार से यदि हम पर कैपिटा इनकम को लें तो जो पहले ५ प्रतिशत भारत के औसतन पर कैपिटा आय से ज्यादा थी वह घटकर १२ प्रतिशत नीचे आ गई है और योजना समाप्त होते होते इस बात की आशंका है कि यह १६ प्रतिशत नीचे आ जायगी। इतना ही नहीं, सन् १९५४–५५ के बाद पर कैपिटा आय बराबर प्रदेश में गिर रही है। प्रथम योजना में बढ़ी पर दूसरी में बराबर कम होती जा रही है। मान्यवर, यह इस बात का सबूत है कि हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है अपने देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में और यह स्थिति यदि मायूसी की न भी हो तब भी चिन्ताजनक अवश्य है।

मान्यवर, इस पृष्ठभूमि को दृष्टि में रख कर यह तृतीय पंचवर्षीय योजना ६९३ करोड़ की तैयार की गई है। मैं उन आदमियों में से हूं जो इसको महत्वाकांक्षी या एम्बीशस नहीं मानते हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत माडरेट एस्टीमेट्स हैं। मैं माननीय तिवारी जी की बात से इत्तफाक करता हूं कि इसको ७५० करोड़ का होना चाहिये लेकिन यदि तिवारी जी इसकी आवश्यकताओं के आधार पर कलकुलेट करेंगे तो वह इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सही माने में जिस तरह से आय के बढ़ने का लक्ष्य तृतीय योजना में भी निर्धारित किया गया है उसके लिये यह ७५० करोड़ की योजना काफी नहीं होगी। इसके अन्दर मान्यवर, दिया हुआ है कि ऐसी सम्भावना है कि १९७५–७६ तक इस प्रदेश की जनसंख्या लगभग दस करोड़ हो जायगी। अतः राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्यों यानी दूनी आय की प्राप्ति के लिये अगले १५ वर्षों में ९,००० से १०,००० करोड़ रुपये के विनियोग की आवश्यकता होगी। अगर हम राष्ट्रीय आय को बढ़ोत्तरी के अनुपात से देखें तो हमारे प्रारूप का बजट १,९०० करोड़ का होना चाहिये था लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकार ने योजना पेश की है यह केवल ६९३ करोड़ की है। जाहिर है कि रकम बड़ी नहीं है। एक बात के ऊपर चर्चा की गई है कि यह धनराशि आबादी के आधार पर हमने रखी है। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी को केवल यही मंशा नहीं थी, उनकी यह मंशा थी कि आबादी का भी एक मापदंड हो सकता है। स्टेट के अन्दर, जो सरकारी धन-कोष है उसके बांटने का। यद्यपि मैं जानता हूं कि मुख्य मंत्री ने स्वयं भी आबादी के मापदंड को तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वयं भी स्वीकार नहीं किया है। यदि हम देखें तो प्रदेश के अन्दर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जो धन बांटा गया है, वह साबित

[श्री नवलकिशोर]

करता है कि पापुलेशन के सिद्धान्त को उन्होंने नहीं माना, बल्कि उससे जो अच्छा सिद्धान्त है, वह माना गया है जो कि बहुत पिछड़े हुये हिस्से हैं उनको अधिक धन दिया जाय, यद्यपि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं जिनसे मालूम हो सके कि हमारे कौन-कौन से हिस्से किस किस अनुपात में पिछड़े हुए हैं। मैं इस धनराशि का इसलिये समर्थन नहीं कर रहा हूं चूंकि आबादी की बात है बल्कि इस लिये समर्थन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जो एक मानी में देश का हृदय है, वह बहुत पिछड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब आज देश की उत्तरी सीमाओं को खतरा है वहां उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमाओं को भी खतरा है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए मैं कहता हूं कि हमारा ड्राफ्ट बहुत एम्बीशस नहीं है।

इसमें हमें इस बात के भी आंकड़े मिले कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में आबादी के हिसाब से १७१ करोड़ रुपया हमें कम मिला। साथ ही दूसरे प्लान में शायद हम २० करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पायेंगे। उसके कुछ कारण भी दिये गये हैं। उनमें खास तौर से कुछ तो केन्द्रीय सरकार के हैं--फारेन एक्सचेंज की कमी, उनके सैंक्शन नहीं आये, और कुछ माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पहली मर्तबा यह स्वीकार किया है कि प्रदेश की तरफ से भी गलतियां हुई हैं, जैसे विभागीय कोआर्डीनेशन ठीक नहीं हुआ, कुछ पी० डब्लू० डी० की कमी रही, अनुभव की कमी रही। इसमें एक बात और है कि जो ३८७ करोड़ रुपया खर्च किया गया है पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में, क्या यह सही मानी में खर्च किया गया या नहीं। यह बात सही है कि २० करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ और १७१ करोड़ कम मिला। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि अनुभव की कमी की वजह से, ऐडमिनिस्ट्रेटिव इनएफीशेंसी और इंटेग्रिटी की कमी, भ्रष्टाचार न कह कर इंटेग्रिटी शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूं, जिसको श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने केरल की एक कानफ्रेन्स में फरमाया है कि अगर हमें इन योजनाओं में सफलता हासिल करनी है तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियंसी और इंटेग्रिटी को हर स्तर पर बढ़ाना होगा।

मेरा खयाल है कि इन कमियों की वजह से तथा और भी जैसा मेरे साथियों ने संकेत किया, जो हमारा इस्टीमेट्स बनाने का कायदा गलत है वह इनएफीशेंटली और केयरलेसली बनाये जाते हैं, और जो टाइम पर हमारी योजनाएं कार्यान्वित नहीं होतीं, इसका फल यह होता है कि जो हमारी एस्टीमेटेड आमदनी होती है वह नहीं हो पाती है। अगर माडरेट एस्टीमेट भी किया जाय तो ३८७ करोड़ रुपये में से बीस प्रतिशत अगर मान लें कि इसके अन्दर वेस्ट किया गया है, तो उसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि ७६ या ८०करोड़ रुपया ऐसा है जो हमने ठीक इस्तेमाल नहीं किया था या अपव्यय किया, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्री जी ने उसकी तरफ दबी हुई जबान में संकेत किया है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि हमने जितना पैसा खर्च किया, उसके अनुपात में हमारे एचीवमेंट उतने नहीं हुए। जो एचीवमेंट भी हुए उससे जो हमारे प्रदेश के अन्दर पोटेंशल पैदा हुआ उसका सही युटिलाइजेशन भी नहीं हो पाया।

यह भी वजह थी कि हमारी आय घटती गयी और हमारी आमदनी उतनी बढ़ नहीं पायी जितने की हमें आशा थी। इसका एक कारण और भी है। हमारा कल्याणकारी राज्य का विचार स्पष्ट नहीं है। जब मैंने बजट सेशन में यह बात कही थी कि सिंचाई विभाग की आमदनी घटती जाती है तो एक उपमंत्री जी ने कहा था कि सिंचाई विभाग बनिये की दूकान नहीं है। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि हम हर विभाग को कामर्शल दृष्टि से नहीं देख सकते। लेकिन यह भी सही है कि जन-कोष से हम खिलवाड़ करना शुरू कर दें तो वह भी उचित नहीं है। मेरा विश्वास है कि अधिक पैसा हमने अनप्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स पर खर्च किया है। प्रोडक्टिव पर बहुत कम खर्च किया है। मैं यह बात मानता हूं कि जब आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो डेवलपमेंट के बहुत से आइटम्स ऐसे होंगे जो अनप्रोडक्टिव होंगे। लेकिन सही प्लानिंग के माने यह हैं कि प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव आइटम्स में एक इस तरह का समन्वय

हो कि आन दि होल तस्वीर प्रोडक्टिव हो। अगर अनप्रोडक्टिव होगी मान्यवर, तो जो हम यह उम्मीद करते हैं कि हमको तमाम साधन उपबन्ध हो जायेंगे, वह मैं समझता हूं कि नहीं हो पायेंगे।

मान्यवर, इसके साथ साथ मैंने यह भी महसूस किया कि पिछले जो हमारे अनुभव हैं उनसे भी हमने कुछ बहुत ज्यादा सीखा नहीं। मिसाल के तौर पर फिजूलखर्ची रोकने की इसके अन्दर कहीं चर्चा नहीं है। एकोनामी हमारी प्लानिंग की नोट होनी चाहिए। मान्यवर, इस सम्बन्ध में, मैं केवल संकेत मात्र कहना चाहता हूं, और वह यह कि जो फिजूलखर्ची की, वह की, ज्यादा इस सम्बन्ध में इस समय मैं जाना नहीं चाहता। मगर सरकार को अब कमर कसकर इस बात को देखना पड़ेगा कि एक एक पाई जो हमारे कोष की है उसका सही इस्तेमाल हो। लेकिन मान्यवर, इसके अन्दर इसका कहीं संकेत नहीं है।

इसके अलावा जो टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है उसको कैसे कम करेंगे, इसकी भी इसमें कहीं चर्चा नहीं है। एक बात और भी है जिसके ऊपर मेरे कुछ साथियों ने संकेत किया। तिवारी जी ने भी कहा कि हमारा जो सोशल आब्जेक्टिव है वह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी है, समाजवाद की स्थापना करना है। माननीय गोविन्द सहाय जी ने भी इसकी चर्चा की। इसके ऊपर काफी बातें कही गईं। लेकिन यह सरकारी कर्मचारी जो हमारे हैं इसमें कोई शक नहीं कि वह इस काम के लिये नहीं बनाये गये थे उनसे आपने काम लिया। जिस सरकार ने उनसे काम लिया और हमारे जिन साथियों ने उनसे काम लिया, उनको मैं बधाई देता हूं। लेकिन उसके साथ-साथ यह बात भी सही है कि उस ब्यूरोक्रेसी में एक खूबी की बात यह भी है कि जो उसका आयरन फ्रेम है, स्टील फ्रेम है वह बहुत ही मजबूत है। उनकी मनोवृत्ति में तब्दीली बहुत कम हुई है। वह जो हमारे फिजिकल टार्जेट्स हैं उनको तो पूरा करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी स्पिरिट जो है वह मर जाती है। उसके अन्दर की प्रेरणात्मक भावना खत्म हो जाती है। हमारे प्लान के ऐक्जीक्यूटर्स की भी कितनी आस्था समाजवाद में है यह भी देखने की बात है। इसको दूर करने के लिये मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने तीन बातें पेश करना चाहता हूं। वह कम से कम तीन टाप कमेटीज़ बनावें चाहे उनका नाम कमेटी रखें, चाहे कमीशन रखें।

एक कमेटी इस बात को देखने के लिये बनावें कि अब तक जो हमने पैसा खर्च किया है वह कितना प्रोडक्टिव योजनाओं पर खर्च किया है और कितना अनप्रोडक्टिव पर खर्च किया है। उसके बाद जितना पोटेंशियल पैदा हुआ उसका कहां तक इस्तेमाल हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। मान्यवर, दूसरी बात यह भी है कि इस बात की भी एक कमेटी बननी चाहिये कि जो हमारी मौजूदा सर्विसेज़ हैं, जो हमारा परसोनेल है, जितनी हमारे पास उनकी तादाद है, यह तादाद कहां तक हमारे लिए उपयुक्त है, यह बढ़ाई जाय तो कहां तक बढ़ाई जाय? इस समय एक प्रकार का डिपार्टमेंटल इम्पीरियलिज्म है, विभागीय साम्राज्यवाद-सा चल रहा है, उसके अन्दर जिस समय बजट में मांग हो तो उस समय हर विभाग इस बात की कोशिश करता है कि जितने अधिकारी हो सकें हम बढ़ा लें। कोई ओवरआल पिक्चर उनके सामने नहीं होती है जिससे ऐडमिनिस्ट्रेशन का भार बढ़ता चला जाता है।

मान्यवर, इसके अलावा जहां तक कि नया प्लान है इसके बारे में मैं केवल दो ही तीन बातें कहना चाहता हूं। एग्रीकल्चर के ऊपर टाप प्रायरिटी दी गई है। मान्यवर, यह सही और उचित बात है। एग्रीकल्चर से जो आमदनी होती है वह करीब करीब ५३.७ होती है अपने प्रदेश की पूरी आय की लेकिन उसमें आप देखें तो उसका अनुपात भी देश की तुलना में घटता चला जाता है। आपने करीब ३८ परसेंट रुपया इसके अन्दर खर्च करने की बात कही है। इसके अन्दर कोआपरेशन भी है और इर्रीगेशन वगैरह का भी है। मैं समझता हूं कि कृषि का बढ़ाना एक अच्छी बात है और उचित बात है। मगर इतना एक संकेत करना चाहता हूं कि अब तक जिस प्रगति के साथ हम चल रहे हैं और जिस तरह से कोआपरेटिव डिपार्टमेंट का वर्किंग चल रहा है, मैं समझता हूं कि उसके ऊपर भी एक कमेटी बिठायी जाय तो ज्यादा उचित होगा क्योंकि मान्यवर,

[श्री नवल किशोर]

आज आम तौर से उसके बारे में धारणाएं हैं वह यही हैं कि उसके अन्दर चीजें सही ढंग से हो नहीं पाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि फेवरिटिज्म की बात है, निपोटिज्म की बात है। तो मैं चाहता हूं कि चूंकि यह बेसिस है हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना की इसलिये सरकार के लिये इस तरफ और भी ज्यादा सजग होने की बात है और सजग होना चाहिए। इतना ही नहीं, कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिये करोड़ों नर-नारियों को प्रेरित कर उनको प्लान की योजनाओं से सम्बद्ध करना होगा, उनका सक्रिय सहयोग लेना होगा। बलवन्तराय मेहता रिपोर्ट तथा गोविन्द सहाय रिपोर्ट यही कहती हैं कि जनसमूह का सक्रिय योग अभी तक न के बराबर मिला है। इस ओर अब अधिक सक्रिय होना होगा।

मान्यवर, हम को बताया गया कि इस समय जो श्रम शक्ति है वह २९ मिलियन के करीब है, यानी इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वह २९ मिलियन हो जायगी और जब हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी उस समय ३२ मिलियन हो जायगी और जब चौथी तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी तो वह ४० मिलियन तक पहुंच जायगी। यह भी कहा गया कि हमारी जो इस समय खेती पर निर्भर आबादी है वह ७४ फीसदी है, औसतन वह घट-कर ६० फीसदी हो जानी चाहिये तब तक। मान्यवर, इसके लिये एक ही तरीका हो सकता है कि हमारे प्रदेश में इंडस्ट्री बढ़ाई जाय तो उससे उस ओर प्रवृत्ति रुक सकती है। इस खेती के लिये लगभग २८३ करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है लेकिन इंडस्ट्री के ऊपर हमें ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कृषि पर से घटाने के लिये इसके अन्दर कौन सी योजना है। इसकी कोई रूपरेखा हमारे सामने नहीं है। यह सही है कि इस समय तक हमारे पास कोई बड़ा उद्योग नहीं था और यह भी इसके साथ-साथ सही है कि सरकार के पास अभी तक औद्योगी-करण के सम्बन्ध में कोई प्लान या स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी। अभी ऐसी रूपरेखा कोई नहीं है कि बिजली का उत्पादन ज्यों ज्यों बढ़ता जायगा त्यों त्यों उसके हिसाब से हमारे यहां औद्योगीकरण होता चला जायगा। इस प्रकार की कोई योजना हमारे सामने नहीं है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जहां तक औद्योगीकरण की बात है वहां तक इसके अन्दर और अधिक धनराशि रखने की जरूरत है।

यह भी कहा गया कि उत्पादक उद्योगों में अधिकांश विनियोग या तो सेन्टर सैक्टर से आएगा या प्राइवेट सेक्टरों से, उसी पर हम आधारित है। यह मजबूरी की बात हो सकती है लेकिन अपनी जगह पर यह उसूल की बात नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में स्माल इंडस्ट्रीज का एक जाल-सा बिछ जाना चाहिये जिससे हमारे देहात के भाइयों का आर्थिक स्तर ऊंचा हो ताकि जो उनकी आमदनी गिरती जा रही है वह बहुत हद तक पूरी हो जाय।

टेक्नीकल एजूकेशन की बात कही गई। वह अपनी जगह पर सही है। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ यह जानकर कि एक तरफ तो हमारी इतनी ज्यादा मांग होगी और दूसरी तरफ सप्लाई कम होगी और आज स्थिति यह है कि हजारों की तादाद में ओवरसियर्स मिल सकते हैं पर उनको नौकरी नहीं है तो यह कुछ एनामली सी है, इसको दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है यह मैं जानता नहीं।

मान्यवर, मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। एक चीज जो हमारे दोस्त तिवारी जी ने कही वह बड़े सिद्धान्त की बात है और मैं भी उसको मानता हूं कि हमारा जो नियोजन है वह पार्टीविहीन आधार पर होना चाहिये। वह किसी पार्टी विशेष के हित को देख कर नहीं होना चाहिये। मुझे ऐसा एहसास होता है कि हिन्दुस्तान के अन्दर डेमोक्रेटिक ढंग पर जो हमारा यह नियोजन है यह विश्व के अन्दर एक नया अनुभव है। प्रायः नियोजन का सम्बन्ध अभी तक साम्यवादी विचारधारा से रहा है और साम्यवादी देशों से रहा है, जहां तानाशाही है। विश्व के सारे देश हमारी ओर देख रहे हैं। हमारे लिये यह चेतावनी है, एक चुनौती है, एक इम्त-हान भी है कि इससे देश और प्रदेश उन्नति करते हैं या नहीं। हर एक राजनैतिक पार्टी का फर्ज है कि वह आज इस बात को साबित करे कि राजनैतिक दृष्टि से उसका दृष्टिकोण कुछ भी हो

किन्तु देश के अन्दर जनतांत्रिक ढंग पर नियोजन करके ही उन्नति हो सकती है और उससे आर्थिक स्तर ऊंचा हो सकता है। यदि हम ऐसा न कर पाये तो, मान्यवर, मुझे इस बात की आशंका है कि अगर यह नहीं हुआ तो कहीं ऐसा न हो कि जितने पिछड़े हुये देश हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई है, उनका विश्वास जनतन्त्र से उठ जाय। यदि ऐसा हुआ तो यह बड़े दुख की बात होगी।

मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि इसके सफलीभूत बनाने के लिये कमर कसना चाहिये, त्याग करने को तैयार हो जाना चाहिये, मैं उनके एक एक शब्द का समर्थन करता हूं किन्तु उनसे केवल एक बात की मांग करता हूं कि वह इस बात की कोशिश करें कि उनका जो मन्त्रिमंडल है, उनके जो मन्त्री हैं, उनकी जिन्दगी बहुत सादी होते हुए भी वे इस बात की कोशिश करें कि इससे भी अधिक सादी हो, और उनके कर्मचारियों पर जो खर्चा है उसको वह और कम करें ताकि देश में सादगी की एक लहर फैले और देश आगे बढ़ सके। एक बात के लिये मुख्य मन्त्री जी ने अपील की कि इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये तमाम पार्टियां एक होकर हमको सहयोग दें। मैं उनकी अपील का समर्थन करता हूं और उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वह स्वयं सब से पहले अपनी मिसाल कायम करें और जो सब से बड़ी पार्टी इस देश के अन्दर सत्तारूढ़ है, उसके अन्दर सहयोग और एकता की भावना पैदा करें ताकि सारे देश के लिये यह प्रदेश एक मिसाल बन सके और हम आगे बढ़ सकें।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पिछले ४० मिनट में केवल दो वक्ता बोले हैं और सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से, जो एक प्रमुख विरोधी दल माना जाता है एक प्रकार से, उसका एक भी वक्ता अभी नहीं बोल पाया है और आप के स्थान से निर्णय यह हुआ था कि साधारण वक्ता १० मिनट बोलेंगे और विरोधी दल के नेता को २० मिनट मिलेंगे। पूर्व वक्ता महोदय की ख्याति को मैं कम नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इस प्रकार आप २०, २० मिनट देंगे, तो काफी लोग अभी बाकी हैं, सब लोग बोल नहीं पायेंगे, और...

श्री अधिष्ठाता—आपने जो प्रश्न उठाया है वह मैं समझ गया। उस पर कल ही निर्णय हो चुका था कि साधारण सदस्य १० मिनट, विरोधी दल के नेता २० मिनट और कमेटियों के चेयरमन को २० मिनट दिये जायेंगे। लेकिन अगर कोई वक्ता ऐसी बात कह रहे हों कि जिसे मैं समझूं कि जो बात कही जा रही है वह ऐसी है कि जिससे तृतीय पंचवर्षीय योजना को लाभ हो सकता है, वह काम की बात है, तो मेरा अधिकार है कि मैं उनका समय बढ़ा कर २० मिनट कर सकता हूं और शायद आप को यह भ्रम है कि सोशलिस्ट पार्टी मुख्य विरोधी दल है। आप के यहां से भी दो आदमी बोल चुके हैं और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि अधिक से अधिक वक्ताओं को इस विवाद में भाग लेने का अवसर मिल सके।

श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)—मेरा भी, श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अवस्थी जी ने व्यवस्था का प्रश्न पूछ कर एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया है..

श्री अधिष्ठाता—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं उस पर अपना निर्णय दे चुका हूं।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, आज तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विवाद हो रहा है और यह अपने स्थान पर महान् महत्व रखती है। हमें भी इस विवाद में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिये।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की बात सुन कर और इसके साहित्य को देख कर आश्चर्य में पड़ गया। मैंने पाया कि प्रदेश की आय १३.८ बढ़ी और साथ साथ इस प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

की आबादी १३.४ प्रतिशत बढ़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि पर कैपिटा इनकम केवल .३ प्रतिशत बढ़ी। सरकार की तरफ़ से यह कहा जाता है कि जिस कदर स्टेट की आय में वृद्धि हुई उसी तरह से आबादी में वृद्धि होने के कारण आय स्टैटिक रही। मैं आप के द्वारा अपने दोस्तों से जानना चाहूंगा, गोविन्द सहाय जो अथवा मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं कि आबादी में वृद्धि होगी, इसको कौन नहीं समझ रहा था? यह लोग कोई मासूम बच्चे थे जो सारे प्रदेश के शासन की गद्दी पर आरूढ़ थे और राज्य का काम देखभाल रहे थे? उनको क्या इस बात का पता नहीं था? आज उनको फैमिली प्लानिंग की सूझ रही है। आज उस के लिये योजनायें बनाने के लिये वह तैयार हैं।

मैं नारायणदत्त जी से इस बात में बिलकुल सहमत हूं कि हमारे प्रदेश में फैमली प्लानिंग के आज उतने साधन नहीं हैं जितने कि होने चाहिये। हमारे दोस्त जो अवसर उसूलों की बात करते हैं या हमारे दोस्त नवलकिशोर जी जिनको समझना बड़ा कठिन होता है, वह भी हर तरह से मुख्य मंत्री जी को सहायता करने के लिये तत्पर रहते हैं। परन्तु कभी इन लोगों को न सूझी कि इसका परिणाम क्या होगा ? मैं यह कहता हूं कि हिन्दुस्तान की ही बात नहीं है, किसी भी मुल्क ने जब कि प्लानिंग की नीति चालू की है, तो उसने उसके साथ-साथ यह भी देखा है कि वह कितना पैदा कर रहा है और पापुलेशन किस रफ्तार से बढ़ रही है, उसकी पर कैपिटा तथा नेशनल इनकम में क्या अन्तर हुआ है। हमको अपनी प्लानिंग के साथ-साथ यह भी देखना चाहिये था कि हम कितना पैदा कर रहे हैं, हमारी पापुलेशन कितनी बढ़ी है तथा हमारी नेशनल और पर कैपिटा इनकम में कोई अन्तर तो नहीं पड़ा है।

श्रीमन्, कहा यह भी जाता है कि हमें इन योजनाओं को सफल बनाने के लिये कुछ त्याग करना चाहिये। त्याग जरूर करना चाहिये, किन्तु हमें यह भी तो देखना चाहिये आज हमारे नागरिक की अवस्था क्या रह गयी है? आज उसके शरीर की हड्डी जरजर रह गयी है, अब उसके पास रह क्या गया है, जो वह त्याग करे? टैक्सों के भार से वह इस कदर लदा हुआ है कि अब उसकी ताकत ही उसको देने की नहीं रह गयी है। आज उसकी आर्थिक क्षमता इतनी नहीं रह गयी है कि वह टैक्सों को दे सके। लेकिन इसके होते हुए भी हमसे त्याग की आशा की जाती है। हम त्याग कहां से करें।

श्रीमन्, प्लानिंग की जहां तक थ्योरी का सवाल है, वह अपनी जगह पर बहुत अच्छी है। लेकिन थ्योरी के बाद जहां पर उसकी व्यावहारिकता का प्रश्न आता है तो हमें यह कहना पड़ता है कि हमारे यहां प्लानिंग सफल नहीं हुई है। आज की स्थिति को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि आज प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है। त्याग किसी साधारण सदस्य के लिये करना असम्भव है। जो माननीय सदस्य रूस की मिसाल देते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि रूस और हिन्दुस्तान का मुकाबला तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि रूस और हिन्दुस्तान की हालत एक जैसी न हो। जब तक लाल झंडा हिन्दुस्तान में न फहराये, तब तक हिन्दुस्तान की तुलना रूस से करना व्यर्थ है। जब तक हर चीज़ बराबर न हो, तब तक तुलना नहीं की जा सकती। एक तरफ प्रजातंत्र का नारा है, दूसरी तरफ बिलकुल उसके उल्टा नारा है। तुलना तभी की जा सकती है जब दोनों चीजें बराबर की हों।

इसके अलावा, श्रीमन्, आप देखें, हमारी महंगाई बढ़ी है, कास्ट आफ लिविंग बढ़ी है और वह इस कदर बढ़ी है कि हम बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। हमारा कास्ट आफ लिविंग आमदनी के अनुपात में होना चाहिये। अमरीका में जाकर हम ५० रुपये और १०० रुपये का लंच भले ही खा आयें, मगर जब हिन्दुस्तान में लोगों के पास पैसा नहीं है तो वे कहां से खायें। पुराने वक्त में मैंने माना कि सामन्तशाही थी, सम्राट थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जैसा आदमी भी भावों पर नियंत्रण लगा सकता था।

लेकिन आज यह सरकार जो कि बड़े वादों से पीड़ित है, इसकी थियरी आइडियलिज्म परसीनिफाइड है तब भी भाव नहीं घटा सकी। आज किस दुनिया में मुख्य मंत्री रहते हैं ? मैं देहात का रहने वाला हूं । मैं जानना चाहता हूं कि वहां की हालत किस तरह से अच्छी हो गयी है। यह हो सकता है वह त्रिशंकु की तरह से जो कि न जमीन पर हों न आसमान पर, वह तो कह सकते हैं लेकिन जो देहात का रहने वाला है वह आज यह कह दे कि आज काश्तकार की हालत अच्छी है तो मैं दावे से कह सकता हूं कि .....

(लाल बत्ती होने पर)

कितने मिनट दे रहे हैं, श्रीमन् ?

श्री अधिष्ठाता—१० मिनट। आपको भी इतना ही समय है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मैंने समझा था कि और भी मिल जाता मगर मैं किसी की शिकायत नहीं करता।

श्री अधिष्ठाता—एक साधारण नियम है, सभी पर लागू है। अगर कोई विशेष बात कहनी हो तो दे दूंगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—मैं तो मोटी बात कह रहा हूं जो कि साधारण आदमी के जानने की थी, जो कि सरकार नहीं कर पायी, फिर योजना क्या कर पावेगी ? आज मिडिल क्लास मारी जा रही है जो कि किसी मुल्क की बैकबोन है। आज देहात और शहर की आमदनी में जो अन्तर होता जा रहा है इस योजना में उसके लिये क्या उपाय हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि हर योजना में संसार की बेरोजगारी दूर करने के लिये व्यवस्था होती है। इस प्लान में बेरोजगारी दूर करने के लिये क्या है ? आखिर किस कसौटी पर यह योजना समझी जाय। आखिर में एक लाइन है और यह लज्जा की बात है सबके लिये, कोई दलगत विषय नहीं है, एक ही लफ्ज है कि ५,८८,००,३०० आदमियों को अन्त में रोजगार मिल जायगा। यह सूत्र की तरह हमको सुना दिया गया। आखिर उसके बाद बेरोजगारी किस हद तक इस प्रदेश में रहेगी इसका भी उल्लेख नहीं है ? तो कहां तक कहा जाय, बेरोजगारी नहीं दूर होने की, कास्ट आफ लिविंग नहीं कम होने की, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, फिर होगा क्या ? कृषि, जिस पर हर योजना में प्राथमिकता दी गयी है मैं कहता हूं कि फी एकड़ पैदावार उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी।

आज ऐडमिनिस्ट्रेशन की हालत क्या है ? क्या डेमाक्रैसी के माने यह हैं कि नौकरशाही अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाय ? आज हम रोज देखते हैं, आप देखते हैं कि इनकी इमारतें कैसी बनती हैं ? जितना रुपया कंस्ट्रक्शन पर खर्च हो रहा है वह देखा जाय और जिस साल बनती हैं उसी साल चूती हैं और दूसरे साल समाप्त हो जाती हैं, यही योजना है।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री शिवराज सिंह यादव** (जिला बदायूं)—अधिष्ठाता महोदय, मैंने थर्ड फाइव ईयर प्लान को अधिक ध्यान से पढ़ा। सरकार इस बात के लिये बधाई की पात्र है कि उसने पिछले ८ वर्षों में प्लानिंग के क्षेत्र में जो अचीवमेंट्स किये हैं उनसे संबंधित जो आंकड़े, तथ्य और निष्कर्ष निकलते हैं उनको बड़ी सफाई से उसमें रख दिया है। भले ही उससे उस क्षेत्र में नाकामयाबी की झलक दिखाई देती हो। मेरी नाकिस राय में उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक इस प्रारूप को पढ़े तो उसका दिल दर्द से और दिमाग फिक्र से भर जायगा—इसके कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। वास्तविकता स्पष्ट है कि १९५१ में आय के क्षेत्र में मुख्तलिफ सीगों में, जो दौलत पैदा होती थी या पर-कैपिटा आय के क्षेत्र में जहां सारे देश की तस्वीर में हमारा प्रदेश सबसे आगे था आज उन तमाम क्षेत्रों में हमारा प्रदेश सबसे पीछे है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराजसिंह यादव]

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को पढ़ने के बाद भी हममें कोई उल्लास की लहर नहीं दौड़ती। उसकी वजह भी साफ है—इस प्लान में जो आब्जेक्ट्स बताये गये हैं वह यह नहीं बतलाये गये हैं कि पिछले ८ वर्षों के अन्दर किन्हीं भी वजूहात से हमारा प्रदेश जो और प्रदेशों के मुकाबिले पीछे रह गया उसको पूरा करने की कोशिश है बल्कि यह कहा गया है कि हम स्टेट्स को कायम करना चाहते हैं उसी पिछड़ेपन के अन्दर। इसी वजह से इस पंचवर्षीय योजना को पढ़ने के बाद किसी प्रकार की कोई उल्लास की लहर हमारे हृदय में नहीं दौड़ती। इस प्रारूप के अन्दर ८ वर्षों के जो अचीवमेंट्स हैं उनके आंकड़े सारे देश और प्रदेश के साफ-साफ दिये गये हैं। उनकी असली शक्ल देखने के लिये यह आवश्यक है कि उनका ग्राफ खींच लिया जाय। अगर उनका ग्राफ खींचा जायगा तो उनके आंकड़ों से हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि पंचवर्षीय योजना के हर वर्ष के अन्दर चाहे वह आय का ग्राफ हो, चाहे पर-कैपिटा आय का ग्राफ हो, एक प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन बनती है।

१९५६ तक हर सीगे के अन्दर इस प्रदेश ने तरक्की की पंचवर्षीय योजना के काल में और यह सारे फ्लक्चुएशन्स, गिरावट या पिछड़ापन जो आया है यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में आया है। सारे देश के ग्राफ भी आप देखेंगे तो सारे ग्राफ प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइंस के होंगे। हर साल देश के आंकड़े आगे बढ़ते गये हैं, आय के क्षेत्र में, पर-कैपिटा आय के क्षेत्र में, लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्राफ में आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल से फ्लकचुएशन्स मिलेंगे जोकि हमको वापस लौटा कर सन् १९५१ की लाइन के बराबर ले आते हैं। यह एक बहुत ही अहम सवाल पैदा करता है।

दूसरी बात, श्रीमन्, आप यह देखें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमने केवल १५३ करोड़ रुपया ही खर्च किया था जिससे हमारे प्रदेश की आय में करीब १३३ करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। दूसरी योजना पहली योजना से काफी बड़ी थी। उसमें हमने करीब २३४ करोड़ रुपया खर्च किया लेकिन हम अपने प्रदेश की आय में केवल ९२ करोड़ रुपये का इजाफा कर पाये हैं। यह आंकड़े हमारे सामने एक अहम सवाल पेश करते हैं कि केपिटल आउटपुट रेशियो दूसरी योजना काल में क्यों घटा। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन दो सवालात की जांच के लिये वह एक जांच कमेटी बिठाये। जिन सरकारी कर्मचारियों और मुहकमों के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई उन्हीं के द्वारा दूसरी योजना भी चलाई गई तो फिर हम प्रथम योजना के अनुसार दूसरी योजना में क्यों तरक्की नहीं पा सके। मैं चाहूंगा कि सरकार तीसरी योजना शुरू करने से पहले इस संबंध में जांच करने के लिये एक कमेटी बिठाये और उस के नतीजे को सदन के सामने रखे।

जहां तक खाद्यान्न का सवाल है, हमारा प्रदेश देश की आबादी के लिहाज से उसका छठा हिस्सा है। मुझे खेद है कि सन् १९५१ में पूरे देश के खाद्यान्न का जितना परसेंटेज पैदा करते थे उससे आज कहीं कम पैदा करते हैं। इतना ही नहीं पिछले ८ वर्षों में जहां पूरे देश में ४० प्रतिशत पैदावार बढ़ी है वहां हमारे प्रदेश में केवल १० प्रतिशत ही बढ़ी है। मुझे खेद है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर खाद्यान्न पर जो हमने रुपया रखा है, वह सारे देश में जो रुपया रखा गया है उसके अनुपात में, बहुत कम है। सारे देश के अन्दर ५०० करोड़ रुपया रखा गया है लेकिन हमारे प्लान के अन्दर ३४ करोड़ से कम रुपया रखा गया है जबकि असलियत यह है कि हम खाद्यान्न के मामले में तरक्की नहीं कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार खाद्यान्न के उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दे और उसके लिये एलोकेशन्स बढ़ावे।

श्रीमन्, इस सदन में अक्सर कोआपरेटिव फार्मिंग की बात कही जाती है। मैं सरकार से केवल यही कहना चाहूंगा कि अनइकानामिक होल्डिस की कोआपरेटिव फारमिंग में कोई मशीन पावर ड्रिवन नहीं इस्तेमाल होनी चाहिये। आबपाशी के जराये में कोई काम किसी कल या मशीन से न लिया जाय। सारा रुपया मेसनरी वेल्स पर खर्च होना चाहिये।

जिन इमारतों से कोई फायदा नहीं होता है उनसे रुपया बचाकर और मैटीरियल बचा कर कुओं पर खर्च होना चाहिये। इसी प्रकार अधिक आबपाशी होकर अधिक अन्न पदा हो सकता है। इस प्लान में आबपाशी की बहुत-सी ऐसी योजनायें हैं जिनकी यूटीलिटी डेफर्ड है। जिनके लिये कहा गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में उनसे कोई रिटर्न होने वाला नहीं है। जब हमारे साधन सीमित हैं तो हमको ऐसी योजनायें पहले लेनी चाहिये जिनसे जल्दी लाभ हो।

मुझे खेद है कि हमारे प्रदेश की पर-कैपिटा आय जहां हम पहले थे वहीं फिर आ गई है। सरकार की यह पालिसी होते हुए भी कि प्रदेश में दौलत की तकसीम न्यायसंगत हो, आंकड़े उसके विपरीत जाते हैं। देहात और शहर की आय देखने से मालूम होता है कि वह शहर की ओर भाग रही हैं। सन् १९५५-५६ में टोटल रूरल आय १,०८८ करोड़ रुपये थी और अरबन इनकम ६७७ करोड़ थी। इससे रूरल इनकम ६२ परसेंट और अरबन ३८ परसेंट थी। १९५९-६० में यह प्रतिशत ५४ और ४६ हो गयी। इसी प्रकार पर-कैपिटा इनकम के लिये भी हम यह नहीं कह सकते कि देहाती क्षेत्रों में कोई इजाफा हुआ है। कहा जाता है कि देहात में आज पक्के मकान बन रहे हैं और रोशनी आ रही ह। जिन मोहल्लों में पहले रोशनी थी उन्हीं में आज भी रोशनी बढ़ रही है और जो पहले रईस थे उन्हीं के पक्के मकान भी बन रहे हैं। गरीब की झोपड़ी पर अभी भी छप्पर ही मुश्किल से है, उसकी झोपड़ी में अब भी अंधेरा है।

रिसोर्सेज के बारे में मैं सरकार को थोड़ी-सी चेतावनी देना चाहता हूं। स्माल सेविंग्स बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सन् १९५५-५६ में जितनी स्माल सेविंग्स हमारे प्रदेश में हुई उससे कम हम १९५८-५९ में कर पाये हैं। १९५५-५६ की १,३४७ करोड़ से १९५८-५९ में ९३० करोड़ पर आ गये हैं। जैसा नवलकिशोर जी ने कहा, मैं भी सरकार से चाहूंगा कि उसे इकानामी और आस्टैरिटी की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। जापान जब लड़ाई लड़ रहा था तो सारे मुल्क का सोना इकट्ठा कर लिया गया था। औरतों ने अपनी कीमती साड़ियों में से सोने के धागे निकाल कर दे दिये थे। यहां भी जरूरत है कि उस फिजां को पैदा करने के लिये मंत्री जी कोई कदम उठावें।

*श्री भजनलाल (जिला इटावा)—अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम हमारे सम्मुख जो उप मंत्री जी विराजमान हैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी यह पंच-वर्षीय योजना देश के आधुनिकीकरण और अ द्योगीकरण की है। जितने भी माननीय सदस्य अभी तक बोले हैं सभी ने इस योजना की भर्त्सना की है और यह मान लिया है कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना असफल हुई है। किसी देश की योजना तभी सफल हो सकती है जबकि उसकी आबादी के आधे से ज्यादा हिस्से में उद्योग-धंधे हों। भारतवर्ष की आबादी ४० करोड़ है और हमारे हिन्दुस्तान के लिये कम से कम ३० करोड़ उद्योग-धंधे चाहिये। अमरीका और यूरोप में आधे से ज्यादा आबादी के लिये उद्योगधंधे चल रहे हैं। अगर आधे नहीं तो १८ करोड़ ही उद्योग-धंधे अगर हमारे देश में खोल दिये जावें तो भी काम चल सकता है।

अमरीका और रूस में एक धंधे के पीछे आमदनी का अनुमान १५,००० रुपया है तो हमारे देश में इस योजना के हिसाब से ३०० वर्ष तक भी यह नहीं हो सकता है। १५,००० में गुणा कर दीजिये १८ करोड़ का, तो करीब २७ खरब रुपया होता है। इतना रुपया हो तब हमारा देश आधुनिकीकरण की दशा में आ सकता है। ४८ अरब रुपया इस योजना में खर्च किया जा रहा है जो ३०० वर्षों में होता है। इससे आमदनी का हिसाब भी लगाया जाय तो ७०-८० वर्ष से कम में हमारी आमदनी इतनी नहीं होगी। आज के विज्ञान के युग में हमारे धोबी के धंधे पर ५०-१०० रुपये लागत होती है और अमरीका में ३० या ४० हजार रुपया है। १०० या २०० एकड़ जमीन जोतने वाले हिन्दुस्तान के किसान की लागत ३-४ हजार रुपया होती है जबकि अमरीका में १ या २ लाख होती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भजनलाल]

सवाल यह है कि आज हिन्दुस्तान के फी धंधे के पीछे जो औसतन २५० रुपये की पूंजी है, उसे १५,००० रुपये में कैसे परिवर्तित किया जाय। सारी योजना की नींव इसी पर मुनहसिर है। सरकार सोचती है कि एक छलांग मार कर १५,००० पर पहुंच जावें, यह असंभव बात है। हमारा देश गरीब है। अन्न की कमी की भयंकर मार से आज हम गुजर रहे हैं। हमको अपने देश के आधार पर ही पंचवर्षीय योजनाओं का गठन करना चाहिये। क्या जरूरत है कि हजरतगंज में सीमेंट की ही सड़कें विस्तारपूर्वक बनाई जावें? क्या आवश्यकता है कि तरह-तरह से लखनऊ को सजाया जाय? क्या जरूरत है कि तरह-तरह से दिल्ली को सजाया जाय? जबकि देहात में छप्पर की झोपड़ी में दीपक की रोशनी भी न हो? देश में ४ प्रकार की सड़के हैं—मिट्टी की कच्ची सड़क, दूसरी कंकड़ की, तीसरी अलकतरे की और चौथी सीमेंट की।

एक मील कच्ची सड़क के निर्माण करने में ४–५ हजार रुपया लगता है, कंकड़ की सड़क को निर्माण करने में ८–१० हजार रुपया लगता है, अलकतरे की सड़क को बनाने में ४०–५० हजार रुपया लगता है जब कि सीमेंट की सड़क को बनाने में ४–५ लाख रुपया लगता है। अगर हम कच्ची सड़क पर नहीं चलना चाहते हैं तो कंकड़ की सड़क बनायी जा सकती है न कि सीमेंट की सड़क पर इतना रुपया खर्च किया जाय।

आज हिन्दोस्तान में प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक को ४०–५० रुपया माहवार दिया जाता है जब कि वाइस-चांसलर को ५–६ हजार रुपया दिया जाता है। योरोप और अमरीका की प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों को १२–१३ सौ रुपया माहवार मिलता है और वाइस-चांसलर को ८–१० हजार रुपया माहवार। हमारी सरकार योरोप और अमेरिका की नकल तो करती है और उसकी नकल करके पंचवर्षीय योजना बनाती है, आइजन-हावर और ख्रुश्चेव की नेहरू जी नकल तो करते हैं लेकिन विदेशों की नकल करके हम किस प्रकार से अपने देश की गरीबी को छिपा सकते हैं। आज विदेशों से अरबों रुपया कर्जे का लिया जा रहा है और आज तक भारत ६० अरब के कर्जे में डूब गया है। नेहरू जी और हमारी सरकार विदेशों से अंचल पसार-पसार कर कर्जा लाते हैं। यह कर्जा हमारी भावी संतानों को अदा करना होगा। इसलिये आपकी ये पंचसाला योजनायें किसी प्रकार से भी सफल नहीं हो सकतीं अगर हमारे पेट की ज्वाला शांत न होगी। इसलिये जरूरत आज इस बात की है कि हमारे लिये खाने, कपड़े और रहने का प्रबन्ध हो। इसके लिये हमें जरूरत है कि अपने देश की पैदावार बढ़ायें। आज हमारे यहां अन्न की समस्या बड़ी भयंकर है। भारतवर्ष जो एक दिन सोने की चिड़िया कहलाता था और लाखों टन अनाज बाहर भेजता था उसको आज बाहर से अरबों टन अन्न मंगाना पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं भू-सेना बनाकर सैकड़ों एकड़ भूमि जो बेकार पड़ी हुई है, उसको खेती के योग्य बनाया जाता। साक्षरता सेना क्यों नहीं बनायी जाती है जिससे अशिक्षा का नाश हो, क्यों नहीं देहात में सिंचाई के लिये कुएं बनाये जाते। जब तक ऐसा आप नहीं करते हैं तब तक आप इन योजनाओं के द्वारा कोई तरक्की नहीं कर सकते। आपके सीमा आरोपण विधेयक से जनता की आशायें टूट चुकी हैं।

अब मैं अपने जिले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। औरैया के पास जालौन-औरैया सड़क को बनाया जाय। शेरगढ़ घाट पर पीपे का पुल बनाया जाय। उससे वहां के इलाके में बहुत से उद्योग-धंधे खुल सकते हैं और बहुत सी आमदनी बढ़ सकती है। नैनीताल की मीटिंग में भी मैंने जिक्र किया था जमुना-चंबल-क्वारी सड़क को बनाया जाय। हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है जो काम में आ सकती है। आगरा की बाह तहसील से इटावा के पछहां गांव को बिजली दी जानी चाहिये। उससे वहां ट्यूबवेल लगा कर पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से बीजलपुर-अथाना सड़क को फफूंद तक

बढ़ाया जाय और मुराद-फफूंद सड़क को बनाया जाय। औरैया से कानपुर को बिजली का कनेक्शन दिया जाय ताकि इटावा की तरक्की हो सके।

इन तथ्यों की ओर मैं आपका ध्यान दिला कर कहना चाहता हूं कि आपकी इन पंचवर्षीय योजनाओं की जड़ बिलकुल कमजोर है। अगर उसकी बुनियाद ही कमजोर होगी तो किस प्रकार से इमारत अच्छी बन सकती है और उससे किस प्रकार मजदूरों और किसानों का और छोटे कर्मचारियों का भला हो सकता है? अगर निम्नवर्ग का ध्यान इन योजनाओं में रखा जायगा तब तो योजना सफल होगी वरना कभी सफल होने की नहीं है।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)—मान्यवर, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आज जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप हमारे सामने प्रस्तुत है, उस पर विवाद के लिये आपने समय दिया। अभी जो पूर्व वक्ता बोल रहे थे, उनकी बातों से बहुत कुछ सहमत होते हुए भी मैं उनकी तरह से निराशावादी नहीं हूं। इस संबंध में मैं एक बात सामने रखना चाहती हूं:

"Frustration is born of our own weaknesses and loss of faith, so long as we do not lose faith in ourselves, it is well with India."

श्रीमन्, हम खुद अपने पर भरोसा करें। अगर हमने अपने ऊपर भरोसा खो दिया तो हम भारत को आगे नहीं ले जा सकेंगे चाहे कितनी ही योजनायें बनावें या और कोई बात करें। इसलिये आप अपने ऊपर विश्वास रखें, इतना निराशावादी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, इस सदन के माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं कि प्रजातांत्रिक ढांचे के अन्दर किसी एक व्यक्ति के मन की योजना नहीं हो सकती और न किसी एक व्यक्ति के मन की सारी चीजें हो सकती हैं। जो भी ढांचे बनते हैं, जो भी चीजें बनती हैं वह सामूहिक रूप में सब की भावना का समावेश करती हैं। हो सकता है कि जनहित की दृष्टि से हम अपनी विचारधारा से यह समझें और कहें कि अगर इस ढांचे को इस तरह से ले चलें तो ज्यादा अच्छा होगा। परन्तु मौलिक बातों पर हर परिस्थिति में ध्यान देना होगा।

मान्यवर, जब मैंने इस आंकड़े को पढ़ा तो यह देखा कि पर-कैपिटा इनकम जो हमारे देश की है वह वहीं पर खड़ी है जहां पर १९५०-५१ में थी, और साथ ही यह भी देखा कि लगभग १,९४६ करोड़ पया चाहिये यदि उसी अनुपात में हम अपनी आमदनी रखना चाहते हैं जितना कि भारतवर्ष की सन् १९६०-६१ तक की है। हमारे उत्तर प्रदेश की आमदनी जहां कि २६० रु० है वहां सारे भारतवर्ष की ३०० रु० है। उसी अनुपात में अगर रखना चाहते हैं तो कम से कम इतने धन की अभी आवश्यकता होगी और हम उसी अनुपात को लाना चाहें जैसा कि सारे देश का है तो हमें इससे भी अधिक धन चाहिये। तिवारी जो ने कहा कि हमें ७५० करोड़ रु० चाहिये और हमारे सामने जो योजना है इससे यह तथ्य पूरा होता नहीं है। मेरे पास गरीब जनता की लेबोरटरी है जिनके घर में जाकर मैं बैठती हूं और जिनके बीच में रह कर अपनी सरकार को नम्र सुझाव देने की चेष्टा करती हूं कि शायद उनकी आप तक वह आवाज पहुंच सके। इसलिये मैं गरीब जनता की आवाज के आधार पर दो-तीन आंकड़े रखते हुए बतलाऊंगी कि मेरे सुझावों का इसमें कितना समावेश किया गया है।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय सदन से और माननीय मंत्री जी के सामने कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार अपने उद्योग-धंधे के सिस्टम को ही देख ले। हम जानते हैं कि आज हमारे यहां बेरोजगारी है और यह एक दुर्भाग्य की ही तो बात कही जा सकती है कि आज एक आजाद देश के अन्दर रहते हुए भी हम अपने यहां के नौजवानों को इस तरह का कोई काम नहीं दे सके कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आजकल हमारे यहां शिक्षा की जैसी हालत है उसको देख कर बड़ी निराशा होती है। हमने क्यों नहीं अपने यहां ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं जिनसे वे समझें कि हम अपने देश के अन्दर अपने आप को खुद किसी कार्य के अन्दर लगा सकते हैं? इस योजना के पन्ने १२ पर लिखा है कि चौथी तथा पांचवीं योजना तक हमें १६,०००

[कुमारी कमलकुमारी गोइंदी]

करोड़ और २२,००० करोड़ रुपये अपने गोल तक पहुंचने को चाहिये; और हम सब समझते हैं कि इतना रुपया सम्भव नहीं है तो भी हमारी योजना गरीबी तरीके से सब को रोटी कपड़े के लायक बनाने की होनी चाहिये। उद्योग-धंधों को लीजिये मृगतृष्णा हैं जिसके लिये हमें फारेन एक्सचेंज चाहिये, मशीनरी चाहिये, उसके हम विरोधी नहीं है, लेकिन बिजली चाहिये। बिजली हमारे पास उतनी नहीं है और हम उतना बना भी नहीं सकते हैं। तो बिजली आएगी तो रोजी मिलेगी। ऐसी बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिये प्रदेश का अधिक धन रख दिया गया है फारेन एक्सचेन्ज की आशा में। हमारे इस प्रदेश में उद्योग की योजना ही नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि घरेलू उद्योग-धंधों की ओर ध्यान दिया जाय।

उद्योग-धंधों की जड़ खादी है। उसके लिये ५ वर्ष के लिये केवल ५० लाख रुपया है उसको एक्सक्लूड करके जो कि खादी उद्योग वाले करेंगे। ५० लाख से ५ वर्ष में क्या तरक्की होगी, यह देखना होगा। हम अगर खादी के उद्योग को देखें तो मैं कहना चाहती हूं और पहले भी कहा होगा कि अगर एक गांव की जनसंख्या एक हजार के लगभग हो तो कम से कम वह गांव दो हजार रुपया माहवार का कपड़ा अवश्य लेता है। इसलिये सबसे आवश्यक कार्य खेती के बाद है तो वह कपड़ा है। अगर उस कपड़े को वह घर बना लेते हैं तो २४ हजार रुपया सालाना गांव के अन्दर रह जाता है। अब सवाल यह होगा कि मिल का कपड़ा कहां जाय? मैं कहना चाहती हूं कि जब उनके पास बाइंग कैपेसिटी होगी तभी तो लेंगे। इसके अलावा अनेकों और धंधे भी हैं। रंगने, धोने और बुनने का कार्य जो खादी के साथ-साथ गांव में होगा। खेती के ऊपर बोझा कम होगा। शहरों में भीड़ नहीं लगेगी और गांवों को एट्रेक्टिव बनाया जा सकेगा। जो हमारी योजना प्रस्तुत है इसमें सत्य को छिपाया नहीं गया है, यह सब मानते हैं। सब ने कहा है कि सत्य हमारे सामने है। अगर हम पर-कैपिटा इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो उनको घर पर काम देने का प्रबन्ध करना होगा। घरेलू उद्योग-धन्धे की योजना का रूप भी कोई इस सदन के सामने नहीं रखा, आत्मा के न होते हुये शरीर का चलना सम्भव नहीं। घरेलू उद्योगों की ठीक-ठीक योजना बननी आवश्यक है।

हेल्थ से सम्बन्धित आंकड़े लीजिये। आल इंडिया से हमारे कम हैं। लेकिन फिर भी हमने तरक्की की है। और कमेटी के हिसाब से उस अनुपात तक तो नहीं पहुंच सके जितना कि चाहिये था, लेकिन फिर भी तरक्की की है। डाक्टरों की कमी है इसलिये मेडिकल कालेजेज खोलें। सब चीज को मानते हुए मैं एक बात कहना चाहती हूं कि गांव के अन्दर और गरीब जनता जो कि शहर में नहीं आती है उनके लिये मेडिकल आउट-पोस्ट होने चाहिये। मैंने कई बार सुझाव दिया लेकिन फिर भी उसके लिये कोई व्यवस्था इस योजना में नहीं है। मोबाइल हास्पिटल्स से डाक्टरों की कमी का सामना किया जा सकता है। मैं समझती हूं कि इस तरफ सरकार का ध्यान जाएगा और उन लोगों की मजबूरी को देखते हुए इस स्कीम के लिये अधिक से अधिक पैसा रखने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारे पास डाक्टरों की संख्या पूरी न हो, तब तक उस निस्सहाय जनता तक पहुंचने का साधन केवल यही हो सकता है कि मेडिकल आउट-पोस्ट्स रखे जायं जिस स्कीम का नाम तक इस में नहीं है।

तीसरी बात मुझे शिक्षा के क्षेत्र में यह कहनी है कि जो विद्यार्थी फाइनल क्लासेज के हों, जैसे हाई स्कूल, इंटर और बी० ए० के, इनको इम्तहान के बाद जो खाली समय होता है, अनपढ़ जनता के बीच में भेज कर कुछ हिस्सा अशिक्षा को दूर करने के लिये भेजा जाय ताकि उनके दिल में देश भक्ति और गांवों की जनता के साथ स्नेह उत्पन्न हो सके। इस ओर भी सरकार को कदम उठाना चाहिये।

जैसा माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा कि यह न देखा जाय कि किस आधार पर क्या चीज कही जाती है बल्कि प्रायरिटी लिस्ट बना ली जाय कि इस चीज की आवश्यकता यहां

पर है और उसके अनुसार हम अपनी योजना बनाते चले जांय । अन्त में मैं एक अंग्रेजी की कहावत कहती हूं :

"A voice in the wilderness has a potency, which voices uttered in the midst of the maddening crowd, lack."

चाहे आज छोटे उद्योग धंधों की बात जो मैं कहती हूं ऐसी मालूम पड़ती हो कि स्वप्न है लेकिन मेरा निश्चित मत है कि हमारी आर्थिक उन्नति का आधार सिवाय इसके और कुछ नहीं है ।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--अधिष्ठाता महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जो बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही मैं उसका समर्थन करता हूं इस आशय के साथ कि हमारे देश और प्रदेश का विकास जब तक योजनानुगामी अर्थ व्यवस्था के आधार पर काम नहीं किया जाता है तब तक देश का निर्माण नहीं हो सकता है । इसके साथ साथ मैं यह भी कह दूं कि अपने प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये जितने ज्यादा साधनों की आवश्यकता है उतने अपेक्षित साधन केन्द्रीय सरकार की तरफ से प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये नहीं दिये गये हैं और जहां तक इस प्रदेश की जनसंख्या का विस्तार का सवाल है इसमें बहुत से ऐसे पिछड़े हुए इलाके हैं जहां यातायात के साधनों का अभाव है, उद्योग नहीं हैं, जहां के आर्थिक विकास के लिये बहुत से साधन अपेक्षित हैं । उन इलाकों के आर्थिक विकास की आवश्यकता को देखते हुए जितने साधन और सामग्री की आवश्यकता इस प्रदेश के लिये थी उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार से साधन नहीं प्राप्त हुए हैं । परन्तु इसके साथ जो शोचनीय बात है वह यह है कि जब हम यह बात कहें कि किसी प्रदेश का आर्थिक विकास योजना के अनुसार होना चाहिये तो योजना का अर्थ यह बिलकुल नहीं होता कि किसी विभाग के लिये इतनी मात्रा में रुपया अलाट कर दिया जाय । किसी विभाग के लिये या समाजवादी समाज की स्थापना के लिये रुपया की मात्रा का निश्चित किया जाना ही निश्चित नहीं है बल्कि दृष्टिकोण भी होना चाहिये ।

सब से बड़ी बात यह है कि हमारे प्रदेश के आर्थिक निर्माण में, यह बात चाहे बारबार क्यों न कही गई हो, और मैं सैद्धान्तिक रूप से समर्थन करते हुए कहता हूं, बगैर समाजवादी और योजनानुगामी अर्थ-व्यवस्था के इस देश का विकास नहीं हो सकता । परन्तु यह बात भी सत्य है कि समाजवाद की रचना अटूट आस्था और सामूहिक प्रयास के बिना सम्भव नहीं हो सकती है । पिछली योजनाओं का इतिहास इस बात का गवाह है कि इस प्रदेश और देश के शासकों के अन्दर समाजवाद के लिये वह अटूट आस्था नहीं है जो होनी चाहिये और जिसके बगैर समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती । जहां तक जनता के सामूहिक प्रयासों का प्रश्न है वह निरपेक्ष दर्शक की तरह खड़ी हुई है क्योंकि सरकार समझती है कि इतना रुपया हमने फलां कार्य की पूर्ति के लिये दे दिया है और उसको सरकारी मशीनरी ही करेगी । जनता का सहयोग सरकार की ओर से नहीं लिया जाता । अगर सरकार यह समझे कि साधनों की कमी है, तो साधनों को इकट्ठा करने के लिये सरकार की तरफ से जितने भी प्रयास किये गये हैं वह बहुत ज्यादा हैं ।

इन प्रयासों में सबसे बड़ा प्रयास चाहे समाजवादी कैम्प का देश हो या पूंजीवादी कैंप का कोई देश हो, हरएक के सामने इस देश के मंत्रिगण भिक्षा पात्र लिये खड़े हैं और इस देश की जनता के ऊपर इतने टैक्सों का भार लाद दिया गया है जो अभूतपूर्व है । किसी देश की जनता पर आज तक इस प्रकार के टैक्सों का बोझ नहीं लादा गया है । तो विदेशों से जो कर्जा या सहायता के रूप में धन एकत्रित किया गया और देश की जनता से ज्यादा से ज्यादा टैक्सों के रूप में धन जमा करने की कोशिश की गयी लेकिन साथ ही साथ मैं यह जानना चाहूंगा कि सारे के सारे साधन कहां गये । हमारे देश के प्रधान मंत्री इस बात के लिये चिन्तित हैं कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय सम्पत्ति कहां गयी । इस देश के शासकों को इस बात का पता नहीं है कि साधन कहां गये । मुझे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[आचार्य दीपंकर]

अन्देशा है कि हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना का वह हश्र न हो जो पहली तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का हुआ। इस बात की गारंटी तभी हो सकती है जब हमारे देश व प्रदेश में एक आन्दोलन बड़े पैमाने पर अपव्यय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के विरुद्ध और रिश्वतखोरी के विरुद्ध किया जाय। जब तक यह आन्दोलन व्यापक रूप में नहीं चलता है तब तक यह जो अपव्यय है उसके कारण जहां पर १०० रुपये से काम चल सकता है वहां पर १,००० रुपया खर्च करके लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती। आज पूरी मशीनरी के अन्दर अपव्यय का बोलबाला है और राष्ट्रीय सम्पत्ति का इस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। यह दुरुपयोग जब तक बन्द नहीं होता है, और कदम-कदम पर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और पुरानी जो आदतें हैं उनको समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक देश और प्रदेश के आर्थिक साधन कितने ही क्यों न लगाये जांय वे सब अगाध कुएं के अन्दर डूबते चले जायेंगे।

इसी तरह से आज हम अपने प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को लें, अगर चीनी के उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं होता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता है, दस्तकारी, उद्योग तथा कृषि एवं शहरी उद्योगों का सामंजस्य नहीं होता है तब तक पूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक विकास का चित्र देखने को नहीं मिल सकता। मैं यह समझता हूं कि इन तमाम बातों पर कार्य करते हुए जितने विभाग सरकार की तरफ से संचालित होते हैं उन विभागों का मूलभूत आधार प्लानिंग का होना चाहिये। प्लानिंग से सम्बन्धित जितने कार्य ह उनकी पूर्ति के लिये सरकार को एक विभाग चलाना चाहिये लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह से प्लानिंग विभाग चलाया जाता है उसमें और अन्य विभागों में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं है। लेकिन अगर यह प्रदेश और इस प्रदेश की सरकार समाजवाद की स्थापान करे या न करे कम से कम वह आर्थिक विकास का स्वप्न तो देखना चाहती ह तो जब तक योजना विभाग का कार्य एक जगह केन्द्रित तथा संगठित नहीं होता है तब तक आर्थिक विकास की आशा करना बिलकुल बेकार है।

मैं यह जानता हूं कि पिछले १०,१२ वर्षों से साधन जुटाये गये हैं और उनका प्रयोग किया गया है। उनका प्रतिफल हमारे प्रदेश की जनता को क्या मिला ? हम यह जानते हैं कि साथ ही साथ चीन आजाद हुआ उन्होंने भी अपने देश के आर्थिक निर्माण के लिये साधन जुटाये और हमारी ही तरह से उन्होंने भी योजना के अनुसार अपनी आर्थिक व्यवस्था को संचालित करने की कोशिश की मगर पिछले १० वर्षों का परिणाम हमारा और उनका अलग अलग है। मिसाल के तौर पर म ५ चीजों की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। चीन में मुक्ति के पहले स्टील ९ लाख टन पैदा होता था, १९५२ में १३ लाख टन, ५७ में ५३ लाख टन, ५८ में ८० लाख टन और ५९ में १ करोड़ ३३ लख टन पैदा हुआ।

इसी तरह से कोयला कम्युनिस्ट राज्य आने के पहले वहां ६ करोड़ टन पैदा होता था, उसके बाद ६ करोड़ ६४ लख टन पैदा हुआ, फिर १३ करोड़ टन सन् ५७ में पैदा हुआ, २१ करोड़ सन् ५८ में हुआ और ५९ में ३४ करोड़ हुआ। अनाज को ले लें तो आजादी मिलने के पहले वहां १३ करोड़ टन अनाज पैदा होता था। सन् ५२ में १५ करोड़ टन हुआ, ५७ में १८ करोड़ टन, ५८ में ३७ करोड़ टन और ५९ में १ अरब २५ करोड़ टन पैदा हुआ। इसी प्रकार से जितने भी अलग-अलग क्षेत्र हैं उनमें समाज और आर्थिक साधनों को जुटा कर चीन में जो आर्थिक विकास हुआ है वह आज वहां किसी प्रकार के डिमारलाइजेशन को नहीं लाता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि समाजवादी व्यवस्था का सूत्रपात भी हो और जनतंत्र भी स्थापित रह सके तो इससे अच्छी बात दूसरी नहीं हो सकती है लेकिन जनतंत्र के नाम पर करोड़ों जनता को घुट घुट कर मरने के लिये मजबूर करना, जनतंत्र के नाम पर खुला भ्रष्टाचार और राष्ट्र की सम्पत्ति का अपव्यय होना और एनार्की अर्थ-व्यवस्था के अन्दर पैदा करना, यह डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी की आड़ में कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स का अपने स्वार्थ को पूरा करना है।

आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सदन के सामने रखी है उसमें हम इस बात का स्वागत करते हैं कि बावजूद इसके कि हिन्दुस्तान के प्रतिक्रियावादी

तत्वों की तरफ से भारत के विशाल रथ के पहिये को, जो समाजवाद की ओर अग्रसर हो रहा है, जहां बहुत से रूढ़िवादी और प्रतिगामी तत्व उस पहिये को रोकने की कोशिश करते रहे हैं, वहां यह पहिया रुका नहीं बल्कि आगे बढ़ता ही रहा, और इसलिये कम से कम शाब्दिक रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो योजना रखी है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जितना महत्वपूर्ण है योजना की रूपरेखा तैयार करना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके ऊपर व्यवहार करना। आज योजना के ऊपर व्यवहार और उसकी रूपरेखा, इन दोनों में इतना अन्तर्विरोध पैदा हो गया है कि उसकी वजह से जो भी हमारे देश और प्रदेश का निर्माण होता है उसका प्रतिफल लोगों को देखने में नजर नहीं आता है। मैं इस वजह से बार-बार इस बात पर जोर देते हुए यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो हमारा बजट का सिस्टम है उसके अन्दर दस महीने तक तो वह रकम, जो किसी विभाग में खर्च करने के लिये रखी जाती है, खर्च नहीं होती है और उसके बाद सवाल यह उठता है कि फाइनैन्शल ईयर क्लोज हो रहा है, अब अगर हम इस पैसे को खर्च नहीं करेंगे तो यह खत्म हो जायगा। लिहाजा चटपट फाइलें उठायी जाती हैं और वह रकम ले ली जाती है और फिर उसका क्या उपयोग होता है इसको पूरा सदन जानता है।

अन्त में, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आर्थिक विकास की जो हमारी दिशा है वह उचित होते हुये भी, और उसके साथ-साथ हमारे प्रदेश के जो अलग-अलग क्षेत्र हैं उनकी आवश्यकताओं को देखते हुये भी, हमारे साधनों का उचित सदुपयोग नहीं किया जाता है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। इसके पढ़ने से मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि जहां तक मेरठ और दूसरे पश्चिमी जिलों का सम्बन्ध है उनको यह कह कर नजरअन्दाज कर दिया गया है कि उनका विकास तो पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। मैं पहले भी इस सदन में कह चुका हूं और आज फिर अर्ज करना चाहता हूं कि अंग्रेजी राज्य में जो मेरठ और अन्य पश्चिमी जिलों का विकास हुआ वह अंग्रेजों की किसी पूंजी की वजह से नहीं हुआ बल्कि वहां की जनता ने अपना पेट काट कर, सिंचाई और कृषि के जो साधन जुटाये थे उसकी वजह से हुआ। लेकिन पिछले १०–१२ वर्षों से लगातार उनकी उपेक्षा की गयी है और मुख्य मंत्री जी ने बड़ा घृणित प्रचार किया कि वहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं ह। क्योंकि वहां बहुत कुछ होता रहा है। आज अकेले मेरठ को ले लीजिये जिसके लिये कहा जाता है कि वहां तो बड़ा विकास हो चुका है, ३० प्रतिशत से लेकर ३५ प्रतिशत से ज्यादा वहां की जमीन की सरकारी साधनों से सिंचाई नहीं होती है।

इसी प्रकार से सड़कों का बड़ा ढोल पीटा जाता है लेकिन सरकार का जो फारमूला है अगर उसके अनुसार देखा जाय तो हमारे यहां कम से कम १०० मील कम सड़कें होंगी। इसी प्रकार से गन्ने का विकास, चीनी उद्योग का विकास, दस्तकारी का विकास तथा अन्य साधनों का विकास सरकार द्वारा बहुत कम हुआ है। लेकिन इस बात के लिये सरकार तैयार रहती है कि हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा गल्ला तैयार हो और ज्यादा से ज्यादा टैक्सेज लिये जायं। आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पांच दाने भी नहीं देना चाहते हैं जिससे वह जिन्दा भी रह सके। मैं जानता हूं कि बुन्देलखंड का विकास होना बहुत जरूरी है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का विकास होना बहुत जरूरी है और कुमायूं के पहाड़ों में रहने वाली जनता का विकास होना भी जरूरी है मगर इतना ही जरूरी उन का विकास करना है जो इलाके अपने प्रयत्न से कुछ न कुछ विकास कर सके हैं और प्रदेश के आर्थिक विकास का संतुलन कायम रख सके हैं।

श्री अधिष्ठाता—समय समाप्त।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के ऊपर अपने विचार प्रगट करने के लिये समय दिया है। लक्ष्य तो हमारा निर्धारित है समाजवादी समाज को पैदा करना। देश की गरीबी को दूर करके इसको मालदार बनाने के लिये हमने योजनायें बनायीं। पहली योजना मार्च, १९५६ में समाप्त हो गई और दूसरी योजना अब समाप्त होने वाली है। इन योजनाओं का

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

उद्देश्य यह था कि हमारे देश की गरीबी और बेकारी दूर हो जाय। मुझे नियोजन विभाग के ऊपर पहले भी बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है और उस समय मैंने अपनी आशंका प्रगट की थी कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और नियोजन में टारपीडो हो रहा है।

आज मुझे बड़ी खुशी है और सेक्रेटरी प्लानिंग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस पुस्तिका में हमारे सामने बहुत-सी स्पष्ट बातें रखी हैं।

(इस समय २ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपालसिंह, पीठासीन हुए।)

सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हम जहां के तहां रहे, न आगे बढ़े न पीछे हटे, अगर्चे हमने पहली योजना में १५३ करोड़ और दूसरी योजना में २३४ करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं। इस पुस्तिका में जो हमें मिली है बहुत से आंकड़े दिये हुए हैं लेकिन इतना समय नहीं है कि मैं उनको सदन के सामने रखूं और अपनी बात को सिद्ध करूं। लेकिन इस पुस्तिका में से मैं एक दो बातें पढ़ कर दिखाना चाहता हूं कि मेरी आशंका ज्यों की त्यों है और उसमें तथ्य भी है। इसमें लिखा हुआ है, "स्पष्ट है कि अभी तक अपनी गरीबी को दूर करने के लिये हम पहला कदम भी नहीं उठा पाये।" इतने वर्ष बाद भी हम पहला कदम तक गरीबी दूर करने के लिये नहीं उठा पाये। इस पृष्ठभूमि में हम तीसरी योजना को देखें। हम देख रहे हैं कि जो योजना बनती है उसमें सुन्दर सुन्दर चीजें दिखाई देती हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, इसको हमें देखना है। जो योजनायें इम्प्लीमेंट हुई हैं उनको देख कर हम कह सकते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। हम ज्यों के त्यों, जहां के तहां, जैसे के तैसे अब भी हैं।

मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं, वह यह कि हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है। जिस वक्त योजनाओं का युग शुरू हुआ उस वक्त हम अपने देश की २० फीसदी पैदावार किया करते थे। अब वह पैदावार २० फीसदी से १७ फीसदी रह गयी है। यह है हमारी ऐग्रीकल्चर की तरक्की। हम इतने रुपये ऐग्रीकल्चर में खर्च कर चुके हैं। उसके बाद नेशनल प्रोडक्शन में जो हमारा २० फीसदी हिस्सा था वह १७ फीसदी रह गया। उसके बाद एक चीज हम और देख रहे हैं। वह यह है कि परकैपिटा इनकम पहले हमारी २५८ थी, जबकि देश के और प्रदेशों में २४६ थी, तो हम २५८ से केवल २५९ तक पहुंच पाये हैं, और जगह जबकि २४६ से २९३ तक पहुंच गये हैं। एक कृषि प्रधान प्रदेश में कृषि पर क्या कर रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत गम्भीर सोचने की बात है। यू० पी० में १९५०–५१ में ११.३ मिलियन टन पैदा होता था। १९५८–५९ में १२.४१ हुआ और अन्य हिस्सों में ५२.१ था उसका ७३.५ हो गया है। यह है उस कृषि प्रधान प्रदेश की कृषि की उन्नति। १० फीसदी हम बढ़ा सके, जबकि देश के अन्य प्रदेश ४० फीसदी बढ़ा पाये। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, यह हमारे लिए समझने की बात है और अगर यही रफ्तार कायम रही तो मैं यह दिखलाना चाहता हूं, जैसा कि उस पुस्तक में लिखा है, अगर हमारी रफ्तार यही रही, जो रफ्तार हमने पिछले नौ वर्षों में दिखलायी है, तो हम देश के सबसे पिछड़े हुए अंग होंगे। यह कृषि प्रधान प्रदेश कृषि में भी उन्नति न कर सका तो हमारे लिए शर्म की बात है। हमें देखना है कि कहां पर गल्ती है और किस तरह से यह नियोजन का शिप टारपीडो हो गया।

हमारा देश गरीब है। इस गरीब देश की जनता ज्यादा से ज्यादा गांवों में रहती है। गांवों में ८६ फीसदी आदमी रहते हैं देश के, और हमारे प्रदेश में करीब ८२–८३ फीसदी आदमी रहते हैं गांवों में। उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति यह है कि उनके पास खाने को पूरा भोजन नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सुख-सुविधा के कोई साधन नहीं। इस पुस्तिका में लिखा है, और माननीय मुख्य मंत्री ने भी कहा है कि गांव के आदमी पक्के मकान बनाते चले जा रहे हैं, गुड़ की जगह शकर खाते हैं, मोटे अनाज की जगह पर गेहूं खाते हैं, इत्यादि, इत्यादि। मैं समझता हूं कि शायद उनको गांव का तजुर्बा नहीं है। गांव उन्होंने कभी देखा नहीं है। गांव

में गुड़ तो खाते थे रोज लेकिन वह गुड़ जब से मिलों द्वारा शकर में परिणत हो गया है, तब से शक्कर शायद कभी खाने को मिल जाती होगी, लेकिन गुड़ से चाहते तो दोनों वक्त रोटी खा लिया करते थे। लेकिन अब गुड़ नहीं पैदा होता। अब गुड़ के बजाय शक्कर पैदा होती है और वह शक्कर शायद कभी किसी आदमी को मिल जाती हो अगर उसका भाग्य हुआ। गेहूं को लीजिये क्या वह गेहूं खाता है? उत्पादन जरूर उसका करता है। थोड़ा-सा जब कभी खा भी लेता होगा। लेकिन वह गेहूं शहरों में चला जाता है और शहरों में उसका परिवर्तित रूप करके दूसरा आदमी उसका फायदा उठाता है। एक चीज खास जो इस पुस्तिका में नहीं लिखी गई है वह यह है कि यहां की परकैपिटा इनकम यू० पी० की २५७ रुपये के करीब दिखला दी गई है, लेकिन उस परकैपिटा इनकम में गांव वालों के साथ वह मिलियनियर्स और मल्टी-मिलियनियर्स भी शामिल हैं जो कि लखनऊ और कानपुर इत्यादि बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं। मैं यह बतलाना चाहता हूं—अगर आप पांच मिनट मुझे और दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अधिष्ठाता—दो मिनट आपको और मैं देता हूं।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—मान्यवर, पांच मिनट दे दें. . . .

श्री अधिष्ठाता—बोलिए आप। मैं देखूंगा।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—तो उस २५७ में वह मल्टी-मिलियनियर्स भी शामिल हैं। यह जो पुस्तिका बजट के समय हमको मिली थी उसमें यह लिखा हुआ है कि १९५ हमारे ग्रामीण की आय पर-कैपिटा पहले थी और अब १९३ हो गई। तो जब १९५ से १९३ हमारी पर-कैपिटा आय हो गई तब यह कहा जाता है कि हम गांवों में पक्के मकान बना रहे हैं। पक्के मकान जरूर बना रहे हैं कुछ आदमी गांवों में, लेकिन वह अपनी उस काश्तकारी से पैदा करके नहीं। वह कुछ थोड़े से छोटे-छोटे कैपिटलिस्ट्स भी गांवों में है जिनका शहरों से सम्बन्ध है और वह शहरों की आमदनी लाकर के गांवों में कुछ पक्के मकान बना रहे हैं। लेकिन जिस आदमी का वास्ता केवल खेती से है उसके मकान के छप्पर टूटे हैं, उसके मकान की छत भी टूटी है।

अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत थोड़ा-सा है। हमने नियोजन एक गलत तरीके से स्टार्ट किया है। हमें अपने कृषि प्रधान प्रदेश को कृषि के ऊपर ले जाने की कोशिश करने की जरूरत थी। उसके लिए हमें वह साधन गांव में जुटाने की जरूरत थी जिससे कृषि में तरक्की हो। वह साधन हमने जुटाने की कोशिश नहीं की। हमने कुएं बनवाये, ठीक है। रुपया तो उस कुएं में गल गया। लेकिन उस कुएं से पानी निकल कर के खेतों में नहीं पहुंच रहा है। नालियां नहीं हैं। बाज-बाज कुओं में बिजली तक नहीं पहुंची है। तो यह रुपया जरूर हमने खर्च किया उसका फायदा हम नहीं उठा रहे हैं।

दूसरी चीज जो हम देखते हैं वह यह है कि ब्लाक्स बन रहे हैं। लेकिन इन ब्लाक्स पर क्या काम हो रहा है? मुझे एक गांव वाले ने बताया कि इन ब्लाक्स में बी० डी० ओज० के तीन काम मोटर, मीटिंग और सलाम। दिन भर घूमो मोटरों में, मीटिंगें करो, लेक्चर दो। असल काम तो प्रोडक्टिव, क्रियेटिव था। लेकिन वह प्रोडक्टिव और क्रियेटिव न होकर के केवल रिफार्मेटिव वर्क हो गया है। लेक्चर क्या देते हैं कि सफाई करो, बच्चों को पढ़ाओ, पानी इस तरह से साफ करो इत्यादि, इत्यादि। यह नहीं बताते कि उत्पादन इस तरह करो और इस प्रकार के साधन जुटाओ। मैं समझता हूं कि हमारे लिये यह नियोजन एक समस्या हो गयी है। यह नियोजन ऊपर से शुरू हुआ, नीचे से शुरू नहीं हुआ जब कि यह नियोजन नीचे से काश्त और काश्तकार से ही शुरू होना चाहिए था। नियोजन के सारे साधन और सुविधायें गांवों में रखने की जरूरत थी, वह शहरों में रखी गई और उसको पूरा करने वाले कौन? जिनको गांवों से कोई वास्ता नहीं, जो गांवों की समस्याओं को समझते नहीं और जैसा मैंने पहले कहा वही अब भी कहने को तैयार हूं कि अब अगर यह नहीं कता तो हमारे देश की जो नाव है उसमें टारपीडो लग गया है, वह डूब जायगी। हमारा मुल्क पहले से २५ वर्ष पिछड़ जायगा। पर-कैपिटा इनकम घटी, उत्पादन घटा। सुख का कोई साधन और

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

सामग्री गांवों में नहीं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मैं भी देश का शुभचिन्तक हूं, और देश का हर आदमी ऐसा है लेकिन जो चीज गलत तरीके से हो रही है, अगर उसे हम सही नहीं करते तो हम गड्ढे में गिर जायेंगे, और रसातल में पहुंच जायेंगे। हम कहीं के भी नहीं रहेंगे।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज दूसरा दिन है जब इस तीसरी पंचवर्षीय योजना पर इस सदन में विचार हो रहा है। हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई और अब तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होने वाली है। कागजों को देखने से और पुस्तिकाओं को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सरकार ने हमारे प्रदेश को कहां का कहां उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया है लेकिन श्रीमन्, कागजात में चाहे जैसा लिख दें परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि आज प्रदेश में इतनी ज्यादा भुखमरी, बेकारी और बेरोजगारी बढ़ गई है कि जिसका अन्त नहीं। उसका कारण क्या है इस पर सरकार ने और सरकार की मशीनरी ने कोई विचार नहीं किया है जब कि देश का इतना अधिक रुपया व्यय किया गया। आज देश का किसान तथा गरीब तबका टैक्स नहीं दे सकता है। वह टैक्स के मारे बहुत परेशान है। उन्नति के नाम पर उससे टैक्स वसूल किया जाता है लेकिन प्रदेश और देश की उन्नति नहीं हो रही है। हां, इतना जरूर है कि अगर उन्नति हो रही है तो वह भ्रष्टाचार की उन्नति हो रही है। भ्रष्टाचार बढ़ रही है। उसका एकमात्र कारण है, और वह यह है कि हमारी सरकार को योजना बनाने के पहले यह चाहिये था कि वह पहले प्रदेश के चरित्र को बढ़ाती।

आज चरित्र के नाम की कोई चीज देश में रह नहीं गई है। अब अगर कोई व्यक्ति कहीं सर्विस ढूंढना चाहता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि किसी तरीके से सिफारिश से जैसे भी हो वह वहां पहुंच जाय। उसके मस्तिष्क में यह बात नहीं होती है कि वहां तनख्वाह कम मिलेगी। उसके मस्तिष्क में केवल यह बात होती है कि यदि वह वहां पहुंच जायगा तो रिश्वत से उसका घर भर जायगा। यह एक मात्र कारण है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम स्वतंत्र देश के व्यक्ति या यहां की मशीनरी जिनके ऊपर यहां का भार है, देश की तरक्की करने का भार है, उनके दिमाग में यह बात हो और एक मात्र यह लक्ष्य हो कि किस तरह से पैसा घसीटा जाय। जब तक देश में और प्रदेश में, यहां के बच्चों में, यहां की जनता में चरित्र नाम की चीज नहीं भरी जायगी, चरित्र बढ़ाया नहीं जायगा, जब तक यह नहीं बतलाया जायगा कि उनकी जिम्मेदारी क्या है तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता, यह मेरा निश्चित मत है। वरना जितनी योजनायें यहां पर बनाई गईं यदि वे ठीक प्रकार से कामयाब होतीं तो यह निश्चित है कि प्रदेश की स्थिति जिस माने में आज दिखाई देती है वह सही माने में दिखाई देती।

आज तो ऐसा हो रहा है कि जो भी काम होता है और जिस प्रकार का काम होता है उसमें सर्व प्रथम यह देखा जाता है कि उसके रिसोर्सेज क्या हैं। कहां पर आवश्यकता है, कैसी आवश्यकता है, प्रदेश के किस कोने को जरूरत है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। न और सरकार की मशीनरी इस पर ध्यान देती है। आज तो सर्व प्रथम यह देखा जाता है कि यह अनुदान किस व्यक्ति को दिया जाय? जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है वह किसी मिनिस्टर से संबंधित है या नहीं या किसी अधिकारी से संबंधित है या नहीं।

मान्यवर, आज विचार करने की बात यह है कि जो योजना बनाई जाय वह किसी परिवर्तन के साथ होनी चाहिये। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो पुराने स्तर की पढ़ाई चल रही है उसमें आमूल परिवर्तन किया जाय। आज हमारे बच्चों को वही शिक्षा दी जा रही है जो स्वतंत्रता मिलने के पहले दी जाती थी। उन बच्चों का चरित्र देश के लिये किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, भावी नागरिक बनने पर उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयेगी, उनको देश के लिये भी कुछ करना है, इस प्रकार की न तो कहीं चर्चा है और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न कोशिश हो रही है। जो चीज पढ़ाई जाती थी वही आज भी पढ़ाई जाती है, न घर वाले देख पाते हैं और न सरकार कि यह जो देश के भावी कर्णधार हैं वे किधर जा रहे हैं।

मान्यवर, जो उद्योग-धंधे चलाये जा रहे हैं उनसे ऐसा मालूम पड़ता है कि भारतवर्ष में कहीं भी कोई काम हो, दो तीन आदमियों का ही यह काम है कि वे उसे संपन्न करेंगे। टाटा हैं, बिरला हैं, साहू जैन हैं, इनके द्वारा ही सारे काम पूरे किये जायंगे। हमारी सरकार गांव पर आधारित है लेकिन किसानों के लिये जो योजनायें बनायी जाती हैं, उन योजनाओं पर जो विचार होता है वह उन लोगों द्वारा किया जाता है कि जो चना और मटर का पेड़ नहीं पहचानते। हमारी योजनायें जीपतियों के माध्यम से बन कर तैयार होती हैं और हम अपनी योजनाओं में रूस और अमरीका की नकल करते हैं और उसे जबरदस्ती यहां फिट करना चाहते हैं। न हमें यह खयाल है कि हमारी आबादी कितनी है, न हमें यह खयाल रहता है कि हमारे साधन कितने हैं। योजनाओं में करोड़ों पया लगा कर भी जब योजनायें सफल नहीं होतीं, तो उनका फायदा क्या? यदि हम इस पैसे से देहात में कुटीर उद्योग की स्थापना करते तो देहात के लोग काम में लगते और पैसा कमाते।

आज देहात के लोग शहर की तरफ भागते हैं और वहीं के होकर रह जाते हैं। अगर देहात में कुटीर उद्योग बढ़ते तो वहां की बेकारी कम हुई होती, लोगों को रोजगार मिला होता, लेकिन हमारी सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और बड़े-बड़े उद्योग खोले और बेकारी बढ़ा दी। बड़ी-बड़ी मशीनें लगाकर जो कारखाने सरकार ने यहां खुलने दिये उनका क्या फल होगा इस पर उसने बिचार नहीं किया। मान्यवर, आज वहां बिजली दी जाती है, लेकिन वह वहीं दी जाती है जहां पहले बिजली थी। उनसे लगे हुए कस्बों में बिजली नहीं दी जाती। सरकार को चाहिये था कि बड़ी जगहों से बिजली लेकर गांव-गांव में बिजली देती और उनसे छोटे-छोटे कुटीर उद्योग चलवाती ताकि गांव के किसान ट्रेन्ड होते और उनके बच्चों को वह काम करने की कला आती और वहां बेकारी और बेरोजगारी दूर होती। लेकिन आज लोग हाई स्कूल और बी० ए० पास करके कोई काम नहीं करते और छोटी-छोटी नौकरी के लिये दफ्तरों की ठोकरें खाते फिरते हैं। मान्यवर, सरकार को बिचार करना है, सोचना है कि आया हमको क्या करना चाहिये।

आज जिधर चले जाइये, २०, ५० लोग भीख मांगते मिलेंगे। बाहरी व्यक्ति देश में घूमने आते हैं और देखते हैं कि लोग भीख मांग रहे हैं। सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिये कुछ नहीं किया और न कुछ विचार करने के लिये वह इस बारे में तैयार है। आज तो सरकार के दिमाग में सहकारिता भर गयी है, वह सफल होती है या नहीं यह उसे देखने की जरूरत नहीं, लेकिन वह किसानों के बीच तक आ गयी है और अब सरकार उन्हीं किसानों को मदद देगी जो सहकारी खेती में शामिल होंगे। भारतीय जनसंघ का यह निश्चित मत है कि सरकार की सहकारिता कभी सफल नही हो सकती इसलिये कि देश का चरित्र ठीक नहीं है और जब तक चरित्र ठीक न होगा तब तक सहकारिता सफल नहीं हो सकती। आज भाई-भाई में बनती नहीं, और यह सरकार सहकारिता ला रही है और जबरदस्ती उसको लादना चाहती है। सहकारिता के आधार पर जो सहकारी फार्म चल रहे हैं वे तक सफल नहीं हो रहे हैं। आज किसी भवन का निर्माण होता है तो कल वह टूट जाता है। आज कोई बांध बनता है, कल वह टूट जाता है। मैं एक उदाहरण अपने यहां का देना चाहता हूं। हमारे जौनपुर में एक पुल है जो २०० वर्ष पुराना है। पिछले वर्ष जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ से वह पुल ७–८ दिन तक डूबा रहा और पानी उससे टक्कर खाता रहा, किन्तु जब वह पानी साफ हुआ तो ज्यों का त्यों था, उसमें कहीं दरार तक न थी। लेकिन आज क्या हो रहा है .....

श्री अधिष्ठाता––अब आपका समय खत्म हो गया।

श्री तिरमलसिंह (जिला एटा)––अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। कल से श्रीमन्, तृतीय पंचवर्षीय योजना

[श्री तिरमलसिंह]

पर बहस चल रही है। हमें जो पुस्तिका मिली है उसमें जो आंकड़ों की हालत है उसको देखने से पता चलता है कि हम इतने समय के बाद भी न आगे बढ़े हैं और न पीछे। मजबूरियां उसमें इस तरह जाहिर की गयी हैं कि चूंकि आबादी बढ़ गयी, इसलिये हमारी आमदनी भी कम हो गयी। स १९५०-५१ में हमारी राष्ट्रीय आय ५ फीसदी ज्यादा थी, लेकिन १९५९-६० में १२ फीसदी कम हो गयी। आखिर क्यों हो गयी? इसकी वजह है। इसकी वजह यह है कि हमारे देश में दो तरह से उत्पादन होता है। एक उत्पादन तो खेती से होता है और दूसरा उत्पादन फैक्टरीज से होता है। किसी भी देश को अपनी योजनाओं में कच्चे माल की बढ़ोत्तरी की तरफ ध्यान देना चाहिये। जब तक किसी योजना की तहत में हम कच्चे माल को प्राथमिकता नहीं देते तब तक उस देश की जो कृषि प्रधान देश हो, पर कैपिटा इनकम तथा आर्थिक व्यवस्था सुधर नहीं सकती। इसके अलावा हमारे यहां अब तक जो काम हुए हैं वे भेदभाव के साथ हुए हैं।

कानून का जहां तक सम्बन्ध है वे हमारे यहां दोहरे बने हुये हैं। गांव के लिये दूसरे कानून हैं और शहर के लिये दूसरे प्रकार के हैं। सरकार के जो कानून हैं वे यह हैं, कब्जा आरजी और वाकई, दो प्रकार के हैं। आज उसके फलस्वरूप अधिवासी को सीरदार बनाया जा रहा है। सीलिंग भी हो गई और अब सहकारी खेती भी होने जा रही है। अब भूमि-व्यवस्था की कोई भी क्रांति गांव में बाकी नहीं रही। हमारे सामने एक तरफ गांव की तस्वीर है और दूसरी तरफ शहर की तस्वीर है। आज शहरों में मकान-बार जो हैं वे आरजी हैं और किरायेदार वाकई हैं। आज गांव में ३०० रुपये माहवार की इनकम पर सीलिंग लगाया गया है, किन्तु शहर में क्यों नहीं सीलिंग हुई? ५०० की आमदनी पर शहर में भी सीलिंग लगाया जाता। वहां पर भी ५०० की आमदनी पर सीलिंग लगाना चाहिये। जहां आप ने गांव में जमीन्दारी खत्म की, वहां शहरों में भी जमीन्दारी खत्म करनी चाहिये। तो यह जो आप का दोहरा कानून है इसको आपको खत्म करना चाहिये।

दूसरे, कानून का जहां तक ताल्लुक है दो-तीन कानून ऐसे हैं जिनका असर गांव वालों पर बड़ा खराब पड़ता है। एक कानून बाढ़ क्षति और सूखा से फसल मारे जाने का है। वह एक साल में १६ आने का नुकसान किसान का मानता है और किसान की पैदावार ६ माह में १६ आना है। जब किसान की पूरी फसल मारी गई तो कानून के तहत में ८ आना नुकसान हुआ। लगान और आबपाशी अगली फसल के लिये मुल्तवी की जाती है जब कोई उद्योग फेल हो जाता है। सेल्स टैक्स या कोई कर नहीं लिया जाता, सारा कर्जा भी माफ हो जाता है। उस पर किसी की जिम्मेदारी नहीं लगाई जाती। तो फिर किसान का लगान और आबपाशी आधे साल के लिये मुलतवी क्यों होती है, माफ क्यों नहीं होती? इसलिये इन कानूनों की तरमीम होनी चाहिये।

लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट का जहां तक ताल्लुक है, वह किसानों को बरबाद करता है। जहां कालोनी बनाने की बात होती है या आवश्यकता पड़ती है वहां तो यह नितान्त सत्य है कि मकान वह बनायेगा जिसके पास रुपया होगा। अगर सीधा कानून होता तो काश्तकार जमीन बेचता तो मकान बनाता और जो कीमत तय होती वह लेता। लेकिन कानून बीच में पड़ कर लैन्ड को एक्वायर कर लेता है और २०० रुपये एक एकड़ के उसको मिल जाते हैं और मकान बनाने वालों के लिये वह २०,००० रुपये की हो जाती है हाथ से निकल जाने के बाद। तो इस कानून में तब्दीली होनी चाहिये।

तकावी का कानून कितनी परेशानी पैदा करता है। सरकारी कानून बना बनाया है कि २० गुना सीरदार को मिलेगा और ४० गुना भूमिधर को और उसके तहत में इस हिन्दुस्तान के स्वतन्त्र प्रदेश में उस काश्त की कीमत एक पटवारी निकालता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सारे सूबे का सर्वे कराकर उस कानून को बदले और सीधा कानून

बनाव। बीस पंजे सौ होते हैं और ४० गुना लगाने से ज्यादा हो जाते हैं तो जो भी मुनासिब समझें एक रेट रखें, चाहे २०० रुपये, डेढ़ सौ रुपया या ढाई सौ रुपया, ताकि काश्तकार को मालूम हो कि मेरे पास ५–१० एकड़ जो भूमि है उसकी कीमत इतने रुपये हो गई। वह अपनी कीमत दिखा सकता है तहसीलदार को या कलक्टर को। इस प्रकार से कानून बनने पर ही पैदावार बढ़ने में असर पड़ेगा।

अब मुझे यह निवेदन करना है कि जहां उद्योग और उत्पादन का सम्बन्ध है, उद्योग करने वाले १५ और उत्पादन करने वाले ८५ होते हैं। उद्योग करने वाले सिर्फ कच्चे माल की शक्ल बदलते हैं, जबकि उसको पैदा करने वाले ८५ होते हैं, लेकिन अब तक, जो पंचवर्षीय योजनायें बनाई गईं और मेरी स्मृति जहां तक काम करती है प्रति योजना में कृषि पर ५ अरब या उससे ज्यादा खर्च हुआ है और इन्डस्ट्रीज पर २० अरब खर्च हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो बनने जा रही है, तो कृषि मन्त्री केन्द्र ने १०,९२ करोड़ की मांग पेश की, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने ६,२५ करोड़ का उसे कर दिया और सामुदायिक विकास योजनाओं पर ४ अरब की योजना घटा कर कर दी।

(लाल बत्ती होने पर)

मुनासिब समझें तो दो मिनट समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—जी हां, दो मिनट तो हैं आपके।

श्री तिरमलसिंह—जहां तक उद्योग का ताल्लुक था, अगर मेरी स्मृति सही काम करती है तो १९ अरब इसको कर दिया। तो जो हालत पिछले दस सालों में रही है, वही अगले ५ वर्षों में रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि प्राथमिकता ऐग्रीकल्चर को मिलनी चाहिये जिससे उत्पादन बढ़ेगा और कच्चे माल की जब बढ़ोत्तरी होगी तो चूंकि राष्ट्र की सम्पत्ति कच्चा माल होती है, नोट नहीं होती, उसी से राष्ट्र सुखी और सम्पन्न होता है, प्रदेश सुखी होता है। तो मैं आशा करता हूं कि सरकार जैसा मैंने अर्ज किया है उन कानूनों को बदलेगी।

दूसरे, जो इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन और ऐग्रिकल्चरल प्रोडक्शन की बातें हैं उनमें जो सरकार कर्जा देती है उसमें भी भेद-भाव थोड़ा-सा रहता है। एग्रीकल्चर में ६ रुपये सैकड़ा तकावी और कोआपरेटिव में ९ रुपये सैकड़ा दी जाती है और बीज में २५ रुपया सैकड़ा मिलती है। लेकिन उद्योग वालों को तीन, चार और पांच रुपया सैकड़ा मिलती है। अब देखना यह है कि पर कैपिटा इनकम दोनों की क्या है? एग्रीकल्चर में परकैपिटा इनकम १९३.४ है और इन्डस्ट्री में ७७८ या ७७० है, जैसा कि पुस्तक में छपा है? तो इससे आभास होता है कि जहां १९३ को ६, ९ और २५ मिलता है वहां ७०० वालों को तीन, चार, पांच मिलता है, इसका नतीजा यह होगा कि ७०० तो ऊंचे जायगा और १९३ नीचे जायगा। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—श्रीमान आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्य मन्त्री जी की इसलिये प्रशन्सा की है कि उन्होंने अपने भाषण में स्पष्टवादिता की है, मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि उनकी स्पष्टवादिता का एक कारण है। वह कारण यह है कि उनसे जनता नाखुश हो चुकी है। अभी-अभी जो जिला परिषद् विधेयक पास हुआ उसमें इस सरकार ने जनता के अधिकार छीन लिये हैं। एक दूसरा बिल लैन्ड सीलिंग का जो पास हुआ उस बिल से सरकार न भूमि प्राप्त कर सकी और न जनता को कोई जमीन इस बिल द्वारा दे सकी है इसलिये जनता उनसे बहुत नाखुश हो गई है। इसलिये जनता को खुश करने के लिये माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने भाषण में स्पष्टवादिता की ताकि जनता लोभ में फंसी रहे और अगले एलेक्शन में उनका विरोध न करे।

[श्री भूपकिशोर]

श्रीमान् जी इस सरकार की दो पंचवर्षीय योजनायें उसी प्रकार से बेकार चली गई हैं जैसे कि कोई विधवा स्त्री हो बच्चा देने के लायक लेकिन कोई बच्चा नहीं दे सकती। श्रीमान् जी, सरकार ने जो सिंचाई के साधन बनाये उनसे केवल २४ परसेन्ट भूमि को ही सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त यह सरकार कृषि की पैदावार नहीं बढ़ा सकी है। पर कैपिटा इनकम भी नहीं बढ़ा पाई है।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं जानना चाहती हूं कि क्या उदाहरण देने के लिये स्त्रियां ही रह गईं हैं।

श्री भूपकिशोर—श्रीमान् जी, शिक्षा स्तर भी इस देश का और प्रदेश का गिरा है। मैं देख रहा हूं कि डिग्री कालेजेज में लड़कियों की बैकवर्ड क्लासेज और अछूत क्लास की तादाद नहीं के बराबर है। इसी तरह से प्राइमरी स्कूलों में भी लड़कियों की, बैकवर्ड और अछूत क्लास की तादाद ९ परसेन्ट होगी। शहरों में तो यह कुछ है लेकिन देहातों में वह भी नहीं है।

श्रीमान् जी, यह जो योजना बनाई गई है इसको अगर में पहाड़ी, पूर्वी और बुन्देलखन्ड की योजना कहूं तो ठीक होगा। इस प्लान के द्वारा पहाड़ी, पूर्वी, और बुन्देलखन्ड के क्षेत्रों में रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई है। इससे मालूम होता है कि जो मन्त्रिमन्डल है उसमें पूर्वी, पहाड़ी और रूहेलखन्ड के मन्त्रियों का गुट है। इस प्लान के द्वारा एलेक्शन जीतने की व्यवस्था की गई है। श्रीमान् जी, इस प्लान में पुलिस के सुधार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हम देखते हैं कि पुलिस ने मथुरा में, लखनऊ में, कानपुर में बलात्कार किया। हमने यह भी देखा कि पुलिस ने कई मर्तबे इस प्रदेश में गोलियां चलाईं। आज ही एक प्रश्न था जिसमें कहा गया था—और सरकार ने भी स्वीकार किया कि एक बेकसूर आदमी को थाने में ले जाकर मारा-पीटा जिससे वह आदमी मर गया, इस प्रकार से प्रान्त में पुलिस के पीटने से कई व्यक्तियों की मौतें हो गईं।

श्रीमान् जी, मैं आपका माल विभाग की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस प्लान में माल विभाग को सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज माल विभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल व पेशकार रिश्वत ले रहे हैं लेकिन इस रिश्वत को खत्म करने के लिये सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है।

अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान सहकारिता की ओर भी ले जाना चाहता हूं। इस प्लान में सहकारिता के सुधार के लिये कोई प्राविजन नहीं किया गया है। सहकारिता में लाखों रुपये का गबन होता है, इस सदन में रोजाना कोआपरेटिव सोसायटियों में गबन के प्रश्न होते हैं लेकिन उस ओर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब तक सरकार मुल्क में जाति-पांति को खत्म नहीं करेगी तब तक सरकार की यह योजना सफल नहीं हो सकती है। मैं इस प्लान के समर्थन में जरूर हूं लेकिन इसको हर जाति में लाभ के लिये सरकार को बनाना चाहिये था। इसमें बैकवर्ड और अछूत जाति के विकास के लिये कोई योजना नहीं रखी गई है। न बैकवर्ड व अछूतों में स्तर ऊंचा करने और पढ़ाने-लिखाने के लिये कोई योजना रखी है। इससे तो सारा फायदा १० फीसदी लोगों को होगा जो ऊंची जाति के हैं। ९० फीसदी के बैकवर्ड और अछूतों के लिये इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

आज इन लोगों में अशिक्षा का रोग-सा लगा हुआ है उनकी तरफ सरकार ध्यान दे। सरकार का यह फर्ज है कि उनको शिक्षा दिलाये, ऊंची क्लासों में उनकी फीस माफ करे। उनकी लड़कियों को पढ़ाया जाय। आज तक सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे जांति-पाति खत्म होती। ऊंची–ऊंची जातियों को ही हर साल सरकारी नौकरियां मिलती जाती हैं और बैकवर्ड तथा अछूतों की आबादी ८० प्रतिशत है लेकिन उनकी तादाद

के अनुपात से सरकारी नौकरियां नहीं मिलतीं। सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिये कि इस मुल्क के गरीब और अमीर का स्तर समान हो जाय। लेकिन बैकवर्ड लोगों में बराबर बेकारी बढ़ती जा रही है। सरकार को जल्दी इसको दूर करने की योजना बनानी चाहिये वरना ऊंचे और नीचे लोगों में ऐसी खाई बन जायगी जिसको पाट सकना मुश्किल हो जायगा। ऊंचे-ऊंचे वर्ग के आदमियों को नौकरी दी जाती है और अछूत और बैकवर्ड को काबिल होते हुये भी सरकारी नौकरियां नहीं मिलतीं, चपरासी की जगहें भी नहीं दी जातीं। इसलिये सरकार को ऐसा काम करना चाहिये जिससे सरकार का यह थर्ड फाइव ईयर प्लान थर्ड क्लास होकर न रह जाय। माननीय मुख्य मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि वे इस थर्ड फाइव ईयर प्लान में संशोधन करें और बैकवर्ड और अछूत क्लास को ऊंचा उठाने के लिये कोई कदम उठायें।

श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्ति पर है और तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारे देश और प्रदेश में चालू होने वाली है। कल से इस आदरणीय सदन में इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना पर बहस हो रही है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा अपनी सरकार को, पहली और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कार्य किये गये हैं और उनसे जो प्रदेश की प्रगति हुई है उसके लिये धन्यवाद देना चाहती हूं। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रदेश में आने-जाने के साधनों को सुगम किया गया तथा शिक्षा में विशेष प्रगति हुई। गांव-गांव में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल और कस्बों में हाई स्कूल, इन्टरमीडियेट कालेजेज और डिग्री कालेजेज तथा ट्रेनिंग कालेजेज की स्थापना की गई। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी प्रदेश में बहुत प्रगति हुई है। जगह-जगह पर डिस्पेंसरियां खोली गई हैं। प्रदेश में कृषि के उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। जहां तक कृषि उत्पादन की बात है, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कई गुना उत्पादन बढ़ा है और साथ ही प्रदेश की बेकारी और गरीबी को दूर करने की ओर भी इन योजनाओं के अन्तर्गत विशेष ध्यान दिया गया है और वे कुछ हद तक दूर भी हुई हैं। अब इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैं अपने बुन्देलखन्ड की कुछ प्रमुख समस्याओं को इस आदरणीय सदन में सरकार के समक्ष रख रही हूं। बुन्देलखंड आने-जाने के साधनों की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। जिसके लिये बुन्देलखन्ड में सड़कों तथा पुलों का विशेष निर्माण अधिक संख्या में होना चाहिये। झांसी जिले में बेतवा नदी के नोट घाट पर सन् १९५९ में २१ लाख रुपये से पुल निर्माण की बात तय हुई थी लेकिन आज तक उस पुल के निर्माण के लिये कोई कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि इस नोट घाट पर पुल का निर्माण का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाना चाहिये।

शिक्षा की दृष्टि से भी बुन्देलखन्ड काफी पिछड़ा हुआ है। वहां पर महिलाओं के लिये हाई स्कूल तथा इन्टर कालेजों की स्थापना बहुत कम संख्या में हुई है। इसके अलावा झांसी में जो इन्टर कालेज हैं उसमें लड़कियों के लिये साइंस की कक्षायें नहीं हैं जिससे बुन्देलखन्ड की लड़कियों का विकास रुका हुआ है और वे डाक्टरी तथा इन्जीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाया करती हैं।

स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बुन्देलखन्ड काफी हद तक पिछड़ा हुआ है। वहां पर विशेष तौर से कई जगहों पर डिस्पेंसरीज का अभाव है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर विशेष तौर से दिलाना चाहती हूं कि बुन्देलखन्ड में जगह-जगह पर डिस्पेंसरीज कायम की जायें।

उत्पादन की दृष्टि से बुन्देलखंड में बहुत ही कम कार्य हुए हैं, हालांकि हमारी सरकार इसके लिये बहुत प्रयत्नशील है। लेकिन जितना कार्य बुन्देलखंड में होना चाहिये था उतना नहीं हो पाया है। यों तो बुन्देलखंड अन्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है, यदि थोड़ा-सा कार्य और किया जाय तो और अधिक तादाद में कृषि उत्पादन हो सकता है। बुन्देलखंड में कई बांध भी बांधे गये जिनमें से एक बांध माता टीला का भी है। इस बांध से कृषि के मामले में अन्य जिले

[श्रीमती बेनी बाई]

तो सिंचाई के मामले में लाभान्वित हुए लेकिन झांसी जिले को उतना लाभ नहीं हो पाया है । इसलिये झांसी के बेतवा मास्टर प्लान पर पुनः विचार होना चाहिये। उद्योग धंधे की दृष्टि से बुन्देलखंड बहुत पिछड़ा हुआ है । यहां पर छोटे छोटे उद्योगधंधे कायम किये जाने चाहिये । इन उद्योगधंधों के लिये बिजली की आवश्यकता होती है, इसलिये बुन्देलखंड की प्रगति के लिये आवश्यक है कि माताटीला डैम से बिजली के उत्पादन का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाना चाहिये ।

मान्यवर झांसी जिले की सबसे जटिल समस्या डकैतों की है । झांसी जिले की ६ तहसीलों के लोग डकैतों से काफी आतंकित रहते हैं और झांसी जिले की दो तहसीलें—महरौनी और ललितपुर तो डाके के नाम पर मशहूर हैं । देवी सिंह का गिरोह तथा सूरत का बचा हुआ गिरोह इस इलाके में दिनदहाड़े डाके डाला करता है और सम्पत्ति तथा जायदाद ले जाने के अलावा ये लोग आदमियों को कत्ल तक करते हैं । यहां तक होता है कि वे नौजवान लड़कियों को उनके घरों से निकाल कर ले जाते हैं और उन लोगों को विवश होकर अन्त में डकैतिन बनना पड़ता है । इसके लिये मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करती हूं कि इस जनप्रिय सरकार द्वारा इन डकैतों से सुरक्षित रहने के लिये इस इलाके में जगह-जगह पुलिस चौकियों का निर्माण कराया जाय ।

मान्यवर, मेरी एक और प्रार्थना है । बुन्देलखंड के दो-तीन जिलों में तो रोडवेज चालू की गई है, लेकिन झांसी जिले का दुर्भाग्य है कि वहां रोडवेज के लिये कोई सुनवाई नहीं की जा रही है । मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहती हूं । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए सरकार से प्रार्थना करती हूं कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में बुन्देलखंड की उपरोक्त समस्याओं पर अवश्य ध्यान दिया जाय ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, बड़ी बैठकें करनी पड़ीं । बूढ़े को कसरत करनी पड़ी । मैं कल से सुन रहा हूं, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया । पहली योजना हो, दूसरी हो, तीसरी हो, पंचवर्षीय हो चाहे गैर-पंचवर्षीय हो, लेकिन जो पंचों की होगी वह कामयाब होगी । जब दो योजनाएं कामयाब नहीं हुई तो यह भी नहीं होगी । क्यों नहीं होगी ? क्योंकि दोनों तरफ से कोई कमी नहीं है । जनता की कोई खता नहीं है । खता है हमारी और विरोधियों की । जनता ने सन् ५२ में ही कांग्रेस को हरा दिया। ५५ परसेंट वोट विरोधियों को मिले । सन् ५७ में हमको ६२ परसेंट मिले और उनको ३८ परसेंट मिले । तो जनता ने सन् ५२ में कांग्रेस को हराया और सन् ५७ में हराया । कांग्रेस को हमने और विरोधी साथियों ने विजयी बनाया। यह हमारा पाप हमको और हमारे साथियों को ही ले डूबेगा । श्रीमन्, कोई नहीं पहुंचा जो बात कि मैं बता रहा हूं ।

जब चुनाव आता है तब एक स्वतंत्र हो जाय, एक पी० एस० पी० हो जाय, एक कम्युनिस्ट हो जाय, तथा एक जनसंघी हो जाय लेकिन यह सब सरकार के हितैषी निकले और सरकार की मदद करने वाले निकले और जनता का खून पीने वाले निकले और धोखा देने वाले निकले तो हम ही विरोधी निकले । कांग्रेस की कोई खता नहीं है । सब खता हमारी है । श्रीमन्, सर्प में जहर होता है, सर्प काट ले तो आदमी मर जाता है, लेकिन नागपंचमी आती है तो दूध पिलाते हैं । तो फिर क्या खता कांग्रेस सरकार की है ? कोई नहीं है ।

श्रीमन्, एक किसान यहां है, उसको मौका नहीं मिलता, अगाड़ी वाले नेता हैं, खड़े हो गये, उनको मौका मिल जाता है। वह बस्ता लेकर आते हैं कि मिडिल पास करने जा रहे हैं । तो नागनाथ और सांपनाथ में कोई भेद नहीं है । कोई कहता है रूस, कोई कहता है चीन, कोई कहता है सहकारिता, कोई कहता है जनता भूखों मर रही है, कोई कहता है निर्माण हो, कोई कहता है तीसरी पंचवर्षीय योजना हो । होगा क्या ? कुछ नहीं । सन् ६२ में भगवान् कुछ अक्ल दें तो किसान सरकार बना लें ।

मुझे एक बात याद आ गई, श्रीमन्, किसान के लिये एक ही बात है । किसान का गेहूं १४ रुपये मन मई में बिके तो उसके लिये जनवरी तक १५ रु० मन गेहूं मिल जाय किसान बच

जायगा । किसान का मोटा अनाज ६, १० रु० मन बिके तो १ रु० मुनाफ़ा लिया जाय चाहे नवम्बर में ले चाहे दिसम्बर में । अगर ऐसा किया जायगा तो किसान बच जायगा ।

तीसरी बात यह है कि हम अपने को सुधार लें । जब हमसे राजनीतिक पीड़ित कहा जाता है जिन्होंने अंग्रेजों को ठोकरों से निकाला, गर्की पीड़ित बाढ़ पीड़ित कहा जाता है ऐसे ही हम पीड़ित हैं कांग्रेस सरकार के मिनिस्टरों से भी राजनीतिक पीड़ित कहा जाय । जब हम पीड़ित हैं तो शक्ति कहां से आ जायगी । इसलिये यह पीड़ित नाम खत्म किया जाय । अगर आप किसानों का भला चाहते हैं तो आकाश को झुकाओ, पाताल को उठाओ । शिक्षा में समानता लाओ ।

कांग्रेस की नीति यही है छुपकर तीर चलाना सीखो,
अवसरवादी गद्दारों को दिल्ली का टिकट दिलाना सीखो ।

खद्दर की खादर में घुसकर सियारन शेर बनाना सीखो,
तिकड़म की घोड़ी पर चढ़ कर नई नई तान उड़ाना सीखो ।

राज को काज चले कह कैसे, पंचन में खुद गरज भरी है,
निश दिन दीन सतावन की विधि, नित नई रोज रचत जबरी है,

सहकारिता, कहीं चकबन्दी, टैक्स की भरमार पड़ी है,
विनाश काले विपरीत बुद्धि नेतन की नीयत बिगड़ी है ।

राहू और केतु दोनों ने मिल कर भारत के ऊपर झपट करी है ।
कैसे ? आपको मालूम है ? न पता होगा ।

राहु केतु दोनों ने मिल कर भारत पर झपट करी है,
१६५० अरब रुपये के नये टैक्स की काली घटा और उमड़ी है,

सच्ची बात पुजारी कह दे तो सब नेतन को अखरी है,
विनाश काले विपरीत बुद्धि, सरकार की नीयत बिगड़ी है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं कहना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजनायें ५ वर्ष के कार्य-क्रम का लेखा जोखा होती हैं । हम एक अपना निश्चित लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आगामी ५ सालों में प्रदेश के हर क्षेत्र में क्या-क्या लक्ष्य पूरा करना है । पिछली दो पंचवर्षीय योजनायें पूरी होने जा रही हैं और आगे तृतीय योजना प्रारम्भ होगी । मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी आज तक की प्रगति रही है, दो योजनाओं के जो कार्य-क्रम रहे हैं उनसे हमें ऐसा लगता है कि हमारी योजना शहरों को समृद्ध करती चली जा रही है और देहातों को गरीबी की तरफ ले जा रही है । विद्यार्थियों के समूह के समूह बेकारी की तरफ लाइन लगाये खड़े हुए हैं । वे आशा करते हैं कि अगली पंचवर्षीय योजना में हमको सरकार कोई काम देगी जिससे देश की सेवा कर सकें और अपनी शिक्षा का उपयोग कर सकें । हमारा किसान जो आज उत्पादन करता है उसकी पैदावार दिन प्रति दिन घटती चली जा रही है । जमीन बढ़ती चली जा रही है, सैकड़ों, हजारों एकड़ जमीन हर साल तोड़ रहे हैं लेकिन फिर भी उत्पादन कम हो रहा है । इन तमाम बातों पर हमें विचार करना है ।

दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हममें उत्साह की कमी है ।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

इन पंचवर्षीय योजनाओं में जिनमें हमने इस प्रदेश का पांच साल का लक्ष्य निर्धारित किया तो जनता को उत्साह और उमंग के साथ सारी शक्ति लगा देना चाहिये लेकिन पिछला जो अनुभव है वह यही है कि जो उत्साह और उमंग प्रथम पंचवर्षीय योजना में थी वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नजर नहीं आयी । कारण यह है कि जब पंचवर्षीय योजना बनती है और हम उसको

[श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी]

प्रसारित करते हैं तो हम जनता को बतलाते हैं कि हमने ये लक्ष्य निर्धारित किये हैं और जब जतना उन पर अमल-दरामत देखती है तो कागज तक ही उनको सीमित देख कर उसे निराशा नजर आती है, मायूसी नजर आती है ।

मैं थोड़ा सा अपने क्षेत्र बुन्देलखंड की बाबत अर्ज कर दूं । यह वह प्रदेश है कि "कछुक दिनन को रम रहे रहिमन अवध नरेश । जापर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश ।" जब भगवान् रामचन्द्र जी को बनवास हुआ तो उनको चित्रकूट में शान्ति मिली और उन्होंने वहां पर शक्ति प्राप्त कर राक्षसों का संहार किया और सारे देश में शान्ति स्थापित की । आज हमें अपनी योजनाओं के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो वह बुन्देलखंड को समृद्ध करके, सम्पन्न करके ही हो सकता है । पिछले वर्षों आपने सिंचाई के जो साधन दिये उसका परिणाम यह हुआ कि बुन्देलखंड आज कमर कस कर अन्न के मामले में सबसे आगे खड़ा है लेकिन अन्य बातों में कोई उत्साह नहीं है । वहां बेतवा पर और जमुना पर हमीरपुर और काल्पी में पुल नहीं है । झांसी जिला वह जिला है जहां महारानी लक्ष्मी बाई ने आजादी का लक्ष्य हमको दिखाया । लेकिन १३ वर्षों में एक मील सड़क वहां जमीन पर नहीं है । कागजों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३६ मील की सड़क दिखाई गयी थी । हमने जनता में प्रचार किया कि तुम पेट पर पत्थर बांध कर कमर कस कर इन योजनाओं की मदद करो, लोग तैयार हुए लेकिन ३६ मील की सड़क नदारत । यह देख कर मायूसी होती है ।

यही नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माताटीला बांध की योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखी गयी थी । अनेकों बार यहां यह कहा गया कि ६०-६१ में इसको पूरा करने जा रहे हैं लेकिन विदेशी मुद्रा का प्रभाव पड़ा माता टीला पर । प्रदेशीय सरकार व भारत सरकार को जब मैंने लिखा तो बराबर पत्रों द्वारा यह कहा गया कि इन योजनाओं को स्थगित नहीं किया गया है । इनको समय पर ही पूरा करना है लेकिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा । उसका नतीजा यह हुआ कि चन्द दिन हुए यह कहा गया कि ६४-६५ में हम पूरा कर सकेंगे ।

यह बिजली की बात नहीं है । बिजली होती तो उद्योग लगते, उद्योग पनपते । इस तरह से हमारी तरक्की पर कुठाराघात किया गया है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रीज लगेगी कानपुर में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, मुरादाबाद में तथा लखनऊ में । बड़े-बड़े शहरों में लगेंगी । नतीजा यह होगा कि हमारे गांव वीरान होते चले जायेंगे और शहरों की आबादी बढ़ती चली जायगी । इसलिये बुन्देलखंड की तरफ आप थोड़ी निगाह कीजिये ।

इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में बुन्देलखंड का नाम दो तीन जगह पर आया । इस बात को माना गया कि बुन्देलखंड पिछड़ा हुआ इलाका है । इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री का आभारी हूं और उन्हें बधाई देता हूं । उसके लिये कुछ पया विशेषतौर से रखने की कृपा सरकार ने की है । जो योजनायें और पया बुन्देलखंड के लिये आपने रखा है अगर उसका हश्र यही हो वाला है जैसा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ कि ३६ मील सड़क रखी गयी मगर एक इंच भी नहीं बनी या माताटीला बांध की बिजली योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था मगर अभी तक वहां कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं इसे एक खिलौना मात्र ही समझूंगा जो देखने में अच्छा लगता है लेकिन असलियत कुछ नहीं है । जब असलियत में चीज देखने में नहीं आती है तो जनता पूछती है कि कहां हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में तीन विश्वविद्यालय खुलने वाले हैं, कुमायूं, मेरठ और कानपुर में लेकिन बुन्देलखंड में न तो किसी विश्वविद्यालय की चर्चा है, न किसी मेडिकल कालेज की चर्चा है और न किसी टेक्निकल या इंजीनियरिंग कालेज की चर्चा है । पता नहीं सरकार की दृष्टि में वहां के नौजवान इस तरफ आकर्षित नहीं होते या इतनी कुबुद्धि के लोग वहां हैं जो तरक्की नहीं कर सकते । लेकिन हमारे अध्यक्ष, विधान परिषद् के अध्यक्ष और प्रदेश की कांग्रेस कमेटी

के अध्यक्ष तथा वर्मा जी व गुप्त जो इस बात के प्रमाण हैं कि वहां प्रगतिशील बुद्धि के लोग हैं । फिर उस क्षेत्र के साथ जो बरताव किया जा रहा है वह कुछ अच्छा नहीं लगता है ।

इसके अलावा बुन्देलखंड के लिये जो सिंचाई योजना आपने दी है उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप तृतीय पंचवर्षीय योजना में छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये वहां काफ़ी पया दीजिये जिससे इस प्रदेश की अन्न की कमी को काफ़ी मात्रा में हम पूरा कर सकें ।

इंडस्ट्रियल इस्टेट की बात तृतीय पंचवर्षीय योजना में है लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज की तरफ़ तभी लोग आकर्षित होंगे जब बिजली की सुविधा हो, पानी की सुविधा वहां हो । हैवी इंडस्ट्रीज वहीं लग सकती हैं । मुख्य मंत्री जी यह मानते हैं कि बुन्देलखंड में सड़कों की लम्बाई कम है, रेलों का भी समुचित विकास वहां नहीं है, चिकित्सा और शिक्षा में भी पिछड़ा हुआ है, खास-तौर से चित्रकूट और ललितपुर का इलाका, लेकिन ये सब बातें मानते हुये भी इन १३ वर्षों में जो वहां हुआ है कम से कम भविष्य में वैसा न हो । आखिर वहां भी इन्सान रहते हैं जो इन कारखानों, विश्वविद्यालयों, आदि से लाभ उठाना चाहते हैं ।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब हम अपने प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार कर रहे हैं तो मुख्य रूप से हमारे सामने दो प्रश्न उपस्थित होते हैं । पहला प्रश्न यह है कि हमने प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में जिस अर्थ नीति, जिस नियोजन नीति का पालन अपने प्रदेश के अन्दर किया है वह सही साबित हुआ, क्या उसके अन्दर किसी परिवर्तन की आवश्यकता है अथवा उसी नीति को हमें आगे बढ़ाना है ? अथवा उस नीति को कुछ आगे बढ़ाया है । दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे राज्य में और प्रदेश में एक कल्याणकारी और समाजवादी समाज की रचना का जो लक्ष्य निश्चित किया था क्या उसको हासिल करने की तरफ हमारा कदम आगे बढ़ा है ? क्या हमने उस ध्येय की प्राप्ति के लिये जो कुछ किया है वह पर्याप्त है अथवा नहीं ? इन्हीं दो प्रश्नों पर हमें यिचार करना है ।

अगर हम सरकार द्वारा प्रस्तुत तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को देखें और उस पर विचार करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि हमने पहली और दूसरी योजनाओं के अन्दर जिस नीति का अनुसरण किया है उसके अन्दर की गहरी त्रुटियां और भारी कमजोरियों से हमारी योजनायें ग्रसित थीं, इसीलिये हमारे प्रदेश को वह लाभ नहीं मिल सका और उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सके जहां हमें इन दोनों योजनाओं की समाप्ति पर पहुंचना चाहिये था । हम देखते हैं कि हमारे सामने कठिनाइयां हैं, हमारे प्रदेश की सरकार के सामने कठिनाइयां हैं, यह भी हो सकता है कि हमारी केन्द्रीय सरकार के सामने भी कुछ कठिनाइयां हों जिनका जिक्र प्रारूप में किया गया है लेकिन इनके होते हुये देश के सारे प्रदेश आगे बढ़े हैं तो क्या वजह है कि हमारा प्रदेश अपनी जगह पर ही स्थित रहा है या जहां पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरू करने के समय था उससे भी एक कदम पीछे हट चुका है ।

जब हमारे पूरे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ी है तो हमारे प्रदेश का योगदान गिरकर नीचे आ गया है । यह एक बड़ी गम्भीर बात है जिसकी ओर हमारी सरकार को और योजना निर्माताओं को सोचना चाहिये । श्रीमन्, मैं आंकड़े के जाल में नहीं फंसना चाहता हूं लेकिन एक दो चीजों की ओर संकेत करना चाहता हूं । आज की हालत यह है कि दूसरी योजना के पूरा होते-होते हमारे प्रदेश के अन्दर पर कैपिटा जो पावर होगी वह दूसरे प्रदेशों से कम होगी, उद्योग सारे देश के २६ प्रतिशत आगे बढ़े होंगे और हम उसी जगह पर होंगे । जहां हम योजना के प्रारम्भ काल में थे सड़कों के मामले में हमारा प्रदेश कम से कम २,००० मील पीछे होगा । श्रीमन्, इसी के साथ-साथ जब प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की तादाद दूसरे प्रदेश अपने यहां ८० प्रतिशत करेंगे तो हमारे यहां मुश्किल से ५६ प्रतिशत कर सकेंगे । क्या यह गंभीर बातें नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

हैं । श्रीमन्, हमारे देश के एक महान पुरुष विशेश्वररैया ने कहा है कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है और अपने देश का भविष्य उज्ज्वल करना है तो प्राइमरी शिक्षा पर सब से ज्यादा जोर देना चाहिये । ऐसी दशा में क्या हम इस बात से इंकार कर सकते हैं कि जिस काम को प्राथमिकता देकर सबसे पहले करना चाहिये था उसको हमने नहीं किया ।

श्रीमन्, मैं कह सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार से जितनी सहायता हमारी प्रदेशीय सरकार को मिलनी चाहिये थी नहीं मिली । इस मामले में हमारी पार्टी सरकार के साथ है कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये और प्रदेश की समस्याओं को देखते हुये केन्द्रीय सरकार से अधिक सहायता मिलनी चाहिये और इसको दिमाग में रख कर कि उत्तर प्रदेश देश का एक प्रमुख भूखंड है और देश की जनसंख्या की ५/६ जनसंख्या इस प्रदेश की है, उनको अलाटमेंट बढ़ाने चाहिये । लेकिन इसके साथ ही साथ मैं अपनी प्रदेशीय सरकार को आगाह भी करना चाहता हूं कि प्रदेशीय सरकार ने उपलब्धियों को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जो सरकार को प्राप्त थीं । हम देखते हैं कि इन दो योजनाओं में केन्द्रीय सरकार ने और योजना कमीशन ने जो अलाटमेन्ट दूसरे प्रदेशों को किये थे, उनके अनुसार उन्होंने तमाम परफारमेंसेज पूरे किये और उन्होंने इसी बीच में तमाम रकम का, जो उन्हें मिली थी सदुपयोग किया । लेकिन हमारा प्रदेश क्यों नहीं करता है ? मैं इस बात को जानना चाहता हूं । हमारे यहां उद्योगों की हालत यह है कि हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाये हैं । ऐसी हालत में जब हमको दो करोड़ रुपया दिया गया तो हमारी सरकार २० लाख रुपया ही खर्च कर सकी । इसका क्या कारण है ?

मैं जानना चाहता हूं कि जो फारेन एक्सचेंज की कठिनाइयां थीं और जो प्रदेश और केन्द्रीय सरकार की योजनाओं में विरोध था, क्या अन्य प्रदेशों के साथ वे कठिनाइयां नहीं थीं, क्या केन्द्रीय सरकार ने हमारे साथ भेदभाव की नीति बरती ? श्रीमन्, शुरू में हमने कह दिया था कि सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, जिस नीति को बना रही है, उससे योजनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती । हमने शुरू में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था, जब पंचवर्षीय योजना का निर्माण कर रहे थे, कि जब समाजवादी समाज की स्थापना और लक्ष्य को सामने रख रहे हैं तो हमें अपने पूरे समाज के स्वरूप में, और योजना की नीति के अन्दर परिवर्तन की आवश्यकता है । लेकिन सरकार ने इस तथ्य से आंख मूंद ली । हमने कहा था कि नौकर-शाही और लालफीताशाही के जाल में पड़ कर हमारी योजना नष्ट हो जायगी । आज सरकार इस तथ्य को स्वीकार करती है । यह सरकार की उदारता नहीं है । दस वर्षों के बाद वह तस्वीर हमारे सामने आ गयी है । सरकार के चेहरे से वह नकाब हट गया है । सरकार का सही स्वरूप जनता के सामने आ गया है और इस योजना के प्रारूप में स्वीकार किया गया है कि अगर इस नीति पर चलते रहे तो पंच वर्षीय योजनायें पूर्ण होने के बाद हम इस प्रदेश को देश का सबसे पिछड़ा हुआ टुकड़ा पायेंगे । सरकार ने इस बात को मंजूर किया है । सरकार आंख खोल कर अपनी गलतियों को देखे और अपनी नीतियों में परिवर्तन करे ।

आज मैं पूरी हिम्मत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार गम्भीरता के साथ सोच कर अपनी नीतियों में परिवर्तन करे, सरकार अपने लक्ष्य को निश्चित करे । अगर हमारा लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है, समाजवादी कल्याण की स्थापना करना है, तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये हमें अपने काम के तरीकों में सुधार करने पड़ेंगे । जो हमारी योजनाओं के आसपास एक विशस सर्किल कायम हो गया है, क्या हमने उसको तोड़ने का प्रयत्न किया है ? दावा किया जाता है कि हमने प्रदेश के अन्दर बड़े क्रांतिकारी भूमि सुधार किये । मैं जानना चाहता हूं कि इन क्रांतिकारी भूमि सुधारों के बाद भी हमारे देहात के अन्दर जो अर्द्ध सामन्ती व्यवस्था है उसको सरकार ने छूने की कोशिश की ? क्या उन सुधारों के बाद भी यह सत्य नहीं है कि लैन्ड टु दि टिलर (land to the tiller) का जो नारा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लगाया था, उसकी पूर्ति उन्होंने नहीं की ? क्या यह सत्य नहीं है कि आज भी लाखों की तादाद में किसानों की बेदखली हो रही है और हदबन्दी कानून के बाद भी

भूमिहीन किसानों को भूमि नहीं दी जा रही है ? क्या यह भी सत्य नहीं है कि हमने जमींदारी विनाश के समय इस बात की घोषणा की थी कि ६० लाख एकड़ भूमि भूमिहीन किसानों को बाट सकेंगे, उसमें से केवल १५ लाख एकड़ भूमि भूमिहीन किसानों को दी। बकिया जमीन उन्हीं शक्तियों के हाथ में गयी जिनके पास पहले से भूमि ज्यादा थी। अगर यही चीज कायम रही और सरकार का गठबंधन सामन्ती और अर्द्ध सामन्ती ताकतों से बना रहा, तो देहात किसी तरह से भी आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो सामन्ती और अर्द्ध सामन्ती ताकतें हमारे सामने हैं और दूसरी तरफ उद्योगपति हमारी सरकार के ऊपर हावी हैं। हमारी सरकार समय-समय पर उद्योगपतियों के सामने नत मस्तक होती रहती है। इसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं। हमारी सरकार की बनायी हुई एक समिति ने इस बात की सिपारिश की कि रिहन्द डैम जहां हम पांच हजार टन अल्म्युनियम पैदा करेंगे, वह फैक्टरी पब्लिक सेक्टर के अन्दर लगनी चाहिये। आगे चल कर सरकार ने निर्णय किया कि हम उसकी उत्पादन शक्ति को १० हजार टन बढ़ायेंगे। लेकिन जब बिड़ला साहब ने देखा कि १० हजार टन से ज्यादा अल्युनियम बनाने की बात नहीं है और १० हजार टन से मुनाफा कम होगा तो उन्होंने सरकार से सिपारिश की उसकी उत्पादन शक्ति को २० हजार टन कर दिया जाय। सरकार ने बिड़ला जी के सुझाव पर उनकी सहूलियत के लिये २० हजार टन अल्म्युनियम बनाने वाली फैक्टरी को स्वीकार कर के सार्वजनिक क्षेत्र की बात छोड़ कर निजी क्षेत्र के अन्दर उस फैक्टरी को लिया। मैंने केवल एक उदाहरण दिया है कि सरकार उद्योगपतियों के सामने कैसे नतमस्तक होती रहती है।

श्रीमन्, दूसरी बातें जो हमारे सामने प्रमुख रूप से इस समय उपस्थित हैं वह यह हैं कि सरकार का कहना है कि पूंजी की हमारे पास कमी है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर हमारी पार्टी ने सरकार से इस बात को कहा है कि आप जो अधिक से अधिक फिजूलखर्ची आपके यहां होती है उसको रोकिये। अनावश्यक मदों पर जो खर्चा होता है उसको रोकिये। तीसरी बात कि हमारे प्रदेश के अन्दर चीनी की मिलें जो हैं और जिनसे एक बहुत बड़ा मुनाफा प्रदेश के एक मुट्ठी भर उद्योगपति कमाते हैं, हमने बार बार इस बात की मांग की कि इन चीनी की मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये सरकार को सिफारिश करनी चाहिये। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि चीनी मिलों को यह मुनाफा कमाने और लूटने की छूट सरकार ने क्यों दे रखी है ? उनके राष्ट्रीयकरण की सिपारिश वह क्यों नहीं करती ? मैं नारायणदत्त जी की उस बात को दोहराना चाहता हूं कि आज वक्त आ गया है जबकि सरकार को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिये भी सिफारिश करनी चाहिये।

श्रीमन्, मैं एक बात से और आगाह करना चाहता हूं। दो पंच वर्षीय योजनाओं के बाद जो हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय घटी है जो हमारे प्रदेश की आय के पूरे योग के अन्दर घटती हुई है उसका एकमात्र नतीजा सामने आ रहा है कि आज प्रतिक्रियावादी शक्तियों को यह मौका मिल रहा है कि वह यह कहें कि समाजवाद इस देश में सफल नहीं हो सकता, वह यह कहें कि नियोजन की नीति यहां नहीं सफल हो सकती और आज वह शक्तियां न केवल कांग्रेस के बाहर बल्कि उसके अन्दर से भी जोर मार रही हैं। सरकार उनके सामने झुकती है। लेकिन उसके लिये समाजवाद जिम्मेदार नहीं है, उसके लिये नियोजन जिम्मेदार नहीं है बल्कि सरकार की वह दोषपूर्ण नियोजन की नीतियां जिम्मेदार हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना बनायी जा रही है तो सरकार उन तमाम त्रुटियों को, उन गम्भीर चीजों को अपने सामने रखकर के उसके प्रारूप में उसी के अनुकूल परिवर्तन करे।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—मान्यवर, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर बोलने का समय दिया। मैं चन्द बातें निवेदन करना चाहती हूं। पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, दूसरी पंच वर्षीय योजना चल रही है और तीसरी के ऊपर गौर हो रहा है। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी तहसील डुमरियागंज में जहां से दो सदस्य और भी हैं, उस पूरी तहसील भर में एक हास्पिटल है जिसके लिये

[श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी]

गवर्नमेन्ट से १,१०० रुपया ग्रान्ट मिलती है जबकि वहां की आबादी साढ़े चार लाख की है। मैं, मान्यवर, मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इतने पैसे से तो पानी भी उस जनता के पास नहीं पहुंच सकता है जबकि वह तराई एरिया है और वहां पर दवाइयों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। श्रीमन्, जनाना अस्पताल तो उस तहसील भर में एक भी नहीं है। एक ही जूनियर स्कूल है जिसके विषय में भी कई बार माननीय मंत्री जी से मैंने प्रार्थना की। लेकिन सारे काम वादे पर ही हो रहे हैं। आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मान्यवर, कि दो बजटों में कुछ पैसे मंजूर भी हुये हमारे यहां के लिये लेकिन पहले तो यह तय हुआ कि पीपे का पुल बनेगा। फिर पता नहीं कैसे जादू से वह पीपे का पुल नाव में बदल गया। श्रीमन्, ऐसी एरिया में जो कि काला नमक चावल का क्षेत्र है आने जाने का कोई साधन नहीं है। वहां आज तक पुल बनाने की कोई योजना सरकार की तरफ से नहीं बनाई गई। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में उस पुल का निर्माण करने की योजना अवश्य रखें।

थोड़ी सी बात और कहना चाहती हूं। जो स्कीमें आपकी हैं इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये सारी स्कीमें अच्छी हैं। पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन कर्मचारियों के द्वारा यह अमल में लायी जाती हैं उनका व्यवहार कुछ ऐसा है कि जिसके कारण आज जनता का सरकार की इन योजनाओं में विश्वास नहीं रह गया है। मान्यवर, मैं नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन इतना अवश्य कहूंगी कि मैंने ब्लाक के कर्मचारियों से पूछा कि यह जो खाद है गरीब जनता में आप इसका वितरण क्यों नहीं करते? ऊंचे ऊंचे लोगों को, राजा महाराजाओं को और सेठ साहूकारों को आप देते हैं, इन गरीबों को, गरीब जनता को नहीं मिलता है तो उन्होंने कहा कि माता जी, हम क्या बतायें, हमें तो कागज पूरा करना होता है। उस खाद को उनको बेचना रहता है तो चूंकि गरीब जनता के पास पैसा नहीं होता है तो वे ले नहीं सकते हैं इसलिये मजबूर होकर उनको देना पड़ता है। मैं यह जानना चाहती हूं कि आखिरकार जब खाद्य का उत्पादन करना है और खाद्य का उत्पादन बढ़ाना है तो उस गरीब जनता के पास खाद कैसे पहुंचेगा और उनको कैसे दिया जायगा ?

दूसरी बात यह है कि समाज सुधार के लिये हमारी सरकार ने बहुत सी योजनायें चलाई हैं। महिला मंगल योजना और समाज कल्याण योजना जो चलाई गई हैं उनके लिये मुझे यह कहने में शर्म नहीं आती है कि उसमें काम करने के लिये जो छोटी-छोटी उमर की लड़कियां रखी गई हैं जिनसे समाज कल्याण नहीं हो पा रहा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इन योजनाओं की तरफ दिलाना चाहती हूं कि उनका सही रूप में प्रबंध किया जाय ताकि जितना उनका काम है वह ठीक रूप में हो। मैं आशा करती हूं कि वह काम अच्छे रूप में चालू हो जायगा। इसी के साथ-साथ यह भी मैं निवेदन करूंगी कि स्त्री समाज का सुधार उस समय तक नहीं होगा जब तक कि गांव गांव में लड़कियों के स्कूल नहीं होंगे और हर तहसील में जनाना अस्पताल नहीं होगा। मुझे याद आता है टंडन जी के इतिहास में जो उन्होंने एक जगह किसी लेख में लिखा था कि यदि समाज का सुधार सर्वांगीण रूप में करना चाहते हैं तो वह गांवों से शुरू होना चाहिये। आज हम गांवों का रूप वही देखते हैं और वैसे ही जैसे के तैसे हमारे गांव नजर आते हैं। हमको आजाद हुये १२ वर्ष हो गये लेकिन गांवों में उतना सुधार नहीं हुआ है जितना कि शहरों के अन्दर हुआ है। शहरों का एक बटा तीन भी यदि गांवों में काम हो तो मैं समझती हूं कि गांवों का बहुत कल्याण हो सकता है।

इसी तरह से मैं महिलाओं के विषय में जानना चाहती हूं कि जब औरतें गर्भवती होती हैं तो उनको दूध पिलाया जाता है। अगर मैं यह कहूं तो दोषी नहीं गिनी जाऊंगी कि दूध पिलाने से बच्चा स्वस्थ उत्पन्न नहीं हो सकता है। जब तक माता रोगिणी है तब तक बच्चा भी अवश्य रोगी ही पैदा होगा। यही वह भारतवर्ष है जहां पर वीर अभिमन्यु जैसे बालक पैदा होते थे और आज भी यह वही भारतवर्ष है कि जहां पर पैदा होते ही बच्चे आंख के अंधे और कान के बहरे

और टी०बी० रोग से ग्रसित पैदा होते हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि यह इस प्रकार से क्यों होता है ? इसका कारण यही है कि रोग का प्रसार बहुत अधिक देहातों के अन्दर है। इसमें सन्देह नहीं है कि यदि मा-बाप स्वस्थ हैं तो सन्तान भी स्वस्थ ही पैदा होगी। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि कम से कम हर एक तहसील में एक जनाना अस्पताल अवश्य होना चाहिये क्योंकि स्त्रियों के अन्दर ऐसी बहुत सी अन्दुरूनी बीमारियां होती हैं जिनको वह मर्दाने अस्पताल में दिखाना पसन्द नहीं करती हैं। इस कारण हमारी बहनों की तरफ अधिक ध्यान दिया जाय। जब समाज के अन्दर हम आधे से ज्यादा हैं तो हमको भी बराबर की सुविधा मिलना चाहिये और उतनी ही सुविधा मिलनी चाहिये। जब समाज में कालेज और यूनिवर्सिटी खुल रही हैं तो फिर क्या कारण है कि महिलाओं के लिये स्कूल न खोले जायं। इसलिये मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि हरएक तहसील में, हर एक गांव में एक जनाना अस्पताल और एक स्कूल लड़कियों के लिये होना अनिवार्य है।

मान्यवर, तीसरी बात यह है कि जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको कागज पूरा करना होता है। कागज पूरा करके वह अपने आंकड़े दिखाते हैं क्योंकि इसी के ऊपर उनकी तनख्वाह निर्भर करती है। इसलिये जितनी योजनायें होती हैं वह गरीब जनता के लाभ के लिये नहीं हुआ करती हैं। जैसे कि ट्यूबवेल की ही बात लीजिये। गांवों में आप जायं तो आपको इमारत दिखाई देगी और बहुत सी बिल्डिंग नजर आयेंगी लेकिन ट्यूबवेल की नालियां जो हैं वह खराब पड़ी रहती हैं। पानी कोई लेता है लेकिन उसका पानी नाली से निकल कर दूसरे के खेत में चला जाता है और उसका चार्ज उस किसान को देना पड़ता है। इसलिये जब तक इन दोनों बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तब तक यह योजना सफल नहीं हो सकती। हमारा मंत्रिमंडल जब दौरा करता है तो इश्तहार छपवा कर बंटवा दिये जाते हैं। इससे कलेक्टर, तहसीलदार और चौकीदार सब सतर्क हो जाते हैं। उस समय हरएक जगह सब चीजों की सफाई दिखाई पड़ती है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि वह वहां ऐसे रूप में जायं कि जिससे जनता को मालूम न हो सके कि कोई हमारी इंक्वायरी करने आ रहा है तभी वह सही रूप में कागजात देख सकते हैं और सही काम देख सकते हैं और इस तरह से जब वह गलतियां पकड़ेंगे तभी हमारी योजना सफल होगी। इन शब्दों के साथ जिस क्षेत्र की ओर मैंने सरकार का ध्यान दिलाया है आशा है उस ओर वह ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा समय कम है इसलिये मैं सभी विषयों को न ले कर केवल दो ही विषयों पर अपने को सीमित रखना चाहूंगा। मैं आप के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में तृतीय योजना में जो सुधार करने की बात सोची गयी है उसे और अगर समय मिला तो कुछ शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा।

मेरा सौभाग्य है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भाषण करते समय इन्हीं दो विषयों पर मैंने कुछ निवेदन किया था और मेरे द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देते समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वह इस प्रकार निराश न हों, ग्रामीण क्षेत्रों में हम हर प्रकार की योजनाओं द्वारा और स्वायत्त शासन वहां स्थापित कर के वहां का सुधार करने की बात सोच रहे हैं। मुझे खुशी है कि उनके तीन साल के मंत्रिमंडल के कार्यकाल में इन दोनों बातों का कुछ नकशा हमारे सामने आ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वह क्या सुधार करने जा रहे हैं यह हम को देखने को मिला और वहां कैसा स्वायत्त शासन देने जा रहे हैं यह भी हमारे सामने आ चुका है और इन दोनों बातों के आधार पर ही मैं अपनी बात उन के सामने पेश करना चाहता हूं।

श्रीमन्, हमारे प्रारूप में जो कुछ बातें कही गयी हैं उनमें कुछ ऐसी स्पष्ट बातें हैं कि जिन से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। उसमें बतलाया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारे प्रदेश की आबादी बढ़ कर ७ करोड़ कुछ लाख हो जाने वाली है और उस में से २ करोड़ ९० लाख आदमी ऐसे होंगे कि जो श्रमिक होंगे। इन श्रमिकों में से ४२ लाख तो शहर में रहने वाले श्रमिक होंगे और बाकी ढाई करोड़ के लगभग देहात के श्रमिक होंगे। मुझे खुशी है कि वह संख्या उन के द्वारा सामने आयी। यदि ढाई करोड़ श्रमिकों में भूमिहीनों का भी

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

जोड़ लें तो यह संख्या ३ करोड़ के लगभग हो जायगी और उनके लिये इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया है इस पर हम को सोचना है।

यद्यपि इस योजना में खर्च में कुछ वृद्धि होने वाली है, प्रथम योजना १५३ करोड़ की, द्वितीय योजना २५३ करोड़ की थी और यह ६०० करोड़ की होने वाली है, लेकिन इसके साथ-साथ हमें यह देखना है कि देहाती क्षेत्रों में इस खर्च के साथ-साथ क्या उन्नति हुई है। मैं उन आंकड़ों की बात को दोहराना नहीं चाहता जो बार-बार इस सदन में दिये गये कि सरकार के प्रयास करने के बाद भी हमारी औसत आय बढ़ी नहीं। कुल आय ·३ प्रतिशत यानी नये पैसे का तीसरा हिस्सा बढ़ी है जबकि हम ने इतना रुपया इन पिछले १० वर्षों में खर्च किया है। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हमको इस योजना पर विचार करते समय यह अवश्य देखना चाहिये कि सरकार ने कृषि के बारे में क्या किया है? कृषि को मैं मुख्य रूप से लेना चाहता हूं।

इस तृतीय योजना में सरकार कृषि पर कम खर्च करने जा रही है। पहली योजना में उसने कृषि पर ४७ फीसदी खर्च किया, दूसरी में उसने ४० फीसदी खर्च किया और इस योजना में वह केवल ३८ फीसदी खर्च करने जा रही है। कृषि के लिये सरकार का कम पैसा देना उल्टी गंगा बहाना है, ऐसा ही मुझे मालूम पड़ा। माननीय मुख्य मंत्री जी के वह शब्द मुझे याद हैं कि जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कृषि की उन्नति के लिये हमें कुछ सिंचाई के साधन जुटाने पड़ेंगे और सिंचाई के साधनों में आमूल परिवर्तन करने की बात की घोषणा की गयी थी। उन्होंने कहा था कि नहरों का जाल बिछाने से हम पूरे क्षेत्र की सिंचाई नहीं कर सकेंगे, इसलिये हम कुओं का विस्तार करना चाहते हैं। उनकी घोषणा को मैंने बड़ी आशा से सुना और उन्होंने इसके लिये डेढ़ लाख रुपया तुरन्त देने की बात कही।

मैंने इस योजना में बहुत तलाश किया कि इस नये मोड़ ने इस योजना में क्या प्रगति की है, क्या कुंओं की कोई व्यवस्था इस योजना में है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं का जाल फैल जायगा। आप नहरों को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, किन्तु कुओं की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका ध्यान ज्यादातर बिजली के उत्पादन की ओर है और उस ओर आप अधिक ध्यान दे रहे हैं। इस वर्ष भी आप १०० करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में पाने वाले हैं और उसमें से आप ८० करोड़ रुपया बिजली के उत्पादन पर ही खर्च करने जा रहे हैं। लेकिन इससे होगा क्या? इससे उद्योगीकरण होगा, यह मैं मानता हूं, उससे काफी मजदूरों को श्रम मिलेगा, यह सही है, ४२ लाख मजदूरों को इससे थोड़ा वेतन मिलेगा यह ठीक है. लेकिन वह २ १/२ करोड़ श्रमिक जो देहातों में रहते हैं उनका इस बिजली से क्या फायदा होगा। क्या इस बिजली से उनका वेतन बढ़ जायेगा? क्या उन श्रमिकों को कुछ रोजगार मिलेगा? उनका वेतन तो तभी बढ़ेगा जब आपके द्वारा कृषि में सुधार होगा।

इसके अलावा एक तरफ तो यह कहा जाता है देश में १५४ लाख एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है और साल में ३ लाख एकड़ भूमि को दुरुस्त करने का सरकार का इरादा है। इस तरह से १५ साल में आप केवल ४५ लाख एकड़ जमीन को दुरुस्त कर पायेंगे। इस हिसाब से कुल जमीन को दुरस्त करने के लिये आपको ५० साल चाहिये। तो इस तरह से काम कैसे हो सकता है। इसको दुरस्त करने के लिये हमें ८० लाख एकड़ भूमि का सिंचन करना जरूरी है। लेकिन इसके लिये १५ साल की जो योजना सरकार ने रखी है वह नाकाफी है। इस समस्या का हल इन विद्युतीकरण की योजना या बड़ी बड़ी नहरों की योजना बनाकर हम नहीं कर सकते। इनके द्वारा हम देहात के श्रमिकों का भला नहीं कर सकते। आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम भूमिहीनों की मौलिक आवश्यकता को समझें और जो परती जमीन पड़ी हुई है उसको भूमिहीनों को दें। आपने इसके लिये जो विधेयक पास किया है उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें कहीं भी विधेयक में यह नजर नहीं आता कि भूमिहीनों को जमीन मिलने वाली है। यह जमीन जोतने वाले तो वही पूंजीपति लोग ही

होंगे जिनके पास बड़े-बड़े ट्रैक्टर्स होंगे तथा और साधन होंगे। आपकी जो सहकारी योजनायें हैं वे चालबाजों का गिरोह बन कर ही रह जायेंगी।

ऐसी हालत में श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि सरकार ने जो मौलिक घोषणा की थी उसकी ओर ध्यान दे और चारों ओर कुंओं का जाल बिछा दे। जब कुओं का जाल चारों तरफ बढ़ जायेगा तो उसी से हमारे देहातों का सुधार हो सकेगा। हमको चाहिये कि हम कोई ऐसा विधेयक लायें जिससे भूमिहीनों को भूमि मिल जाय। जितनी भूमि आप सीलिंग के द्वारा भूमिहीनों को देने जा रहे हैं उतनी भमि तो विनोवा जी ने बिना किसी कानून के मांग ली है। आप अलाभकर जोतों का लगान माफ करके, भूमिहीनों को जो पड़ती जमींनें देकर, तथा गांवों में कुओं का जाल बिछाकर ही आप कुछ कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले १० वर्षों में आप नें क्या किया? आप केवल दो कारखाने ही अपने यहां इस समय में खोल पाये हैं—एक बनारस में रेलवे कम्पोनेन्ट पार्ट फैक्ट्री और एक Antibiotic Project ऋषीकेश में। तो इन दो कारखानों से ही हमारा भला होने वाला नहीं है। सीमेंट फैक्ट्री भी खोली है, लेकिन उससे भी ग्रामीण समस्याओं का क्या भला होगा? यह तो मैंने श्रमिकों के बारे में कहा। अब कुछ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्रीमन्, हमारे संविधान में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि १४ साल तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा हो और उसके द्वारा हमारी यह ड्यूटी हो जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अयोग्य साबित होंगे। क्या उन लोगों की शिक्षा देने के लिये योजना तैयार की है? हमें बताया जाता है कि स्कूलों में ५ साल से ११ साल की उम्र वाले बच्चों की शिक्षा के लिये ६२ करोड़ रुपया खर्च करेंगे और ३४ करोड़ प्राइमरी पर करेंगे। योजनाएं बड़ी सुन्दर-सुन्दर हैं, लेकिन प्रदेश की फिगर्स हैं कि ५१ फी सदी ६ साल से ११ साल वाले विद्यार्थियों पर हिन्दुस्तान खर्च कर रहा है और अपने प्रदेश से ३२ फी सदी हो रहा है। ११ से १४ साल की उम्र वालों के लिये हिन्दुस्तान से १९ फी सदी और प्रदेश से १३ फी सदी हो रहा है। इन पर कितना खर्चा हम दे रहे हैं? इतना खर्चा देने के बाद भी देश में २७ फी सदी बच्चे बिना पढ़े रह जायंगे इस प्रदेश में और यह आपकी निःशुल्क करने की योजना कब पूरी होगी? बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का यह पहला ही कदम होगा।

आज बड़े से बड़ा अधिकारी, मुख्य मंत्री से लगाकर प्रधान मंत्री तक कहता है कि शिक्षा के दरवाजे बन्द कर देंगे, बहुत विद्यार्थी आ गये हैं, घुसने नहीं देंगे यूनिवर्सिटियों, कालिजों और स्कूलों में। वाह री सरकार? विद्यार्थी आगे बढ़ें और आप दरवाजे बन्द करना चाहते हैं। अगर यही बात है तो शिक्षार्थी आपके दरवाजे तोड़ देंगे और शिक्षा आप से मांगेंगे, और लेंगे। आप दरवाजे बन्द करना चाहते हैं? कहते हैं कि पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं है? ये विद्यार्थी विप्लव करेंगे—मैं नहीं कहता कि हिंसात्मक विप्लव करेंगे, अहिंसात्मक विद्रोह करके आपसे सरकार छीन लेंगे। आप कहते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाती है, आप १४ साल तक के बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाये जिसकी संविधान ने आपको आज्ञा दी ही। यूनिवर्सिटियों के लिये कमीशन मुकर्रर किया है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा कमीशन का कोई पता नहीं लगा कि कौन-कौन सदस्य होने वाले हैं और उसका क्या क्षेत्र होने वाला है। सन् ६२ आ रहा है, इसके बाद ही सब बातें आपको दिखाई पड़ेंगी।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज २ दिन से तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में विचार हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि किसी देश को यदि उठाना है तो उसके लिये योजनाबद्ध तैयारी करनी होगी। हमारे देश ने इसी दृष्टि से स्वतंत्रता के बाद अवसर पाते ही विकास की योजनाओं की तैयारी की और उसमें पहली और दूसरी योजनाएं कार्यान्वित हुई और तीसरी की तैयारी हो रही है। इसके पूर्व अपने देश के विकास के लिये कोई योजना किसी देश ने बनायी थी तो रूस ने और उसके बाद यह योजना हमारे देश में शुरू हुई। लेकिन हमारे देश की योजना और रूस की योजना में अन्तर

[श्री नागेश्वरप्रसाद]

है। रूस की सरकार ने जो योजना बनायी, उसे कार्यान्वित करने के लिये उस ने ऐसा तरीका अपनाया जो हमारे देश के तरीके से भिन्न है। हम उस योजना को चलाना चाहते हैं जो प्रजातंत्रात्मक ढंग से चलेगी। वह सत्य और अहिंसा के आधार पर शान्तिमय तरीके से प्रजातंत्रात्मक शासन के द्वारा चलायी जायगी। यहां ऐसी बात नहीं है कि सरकार किसी योजना को उस तरह से चलावे जिस तरह से रूस या उस तरह के दूसरे देश चला रहे हैं। इसलिये हमारे और दूसरे देशों की योजनाओं में अन्तर होगा और दूसरे देशों की योजनाओं के चलाने में और हमारे देश की योजनाओं के चलाने में अन्तर दिखलाई पड़ेगा और पड़ना चाहिये। इस दृष्टि से हमारे देश की जो योजनाएं चल रही हैं उसमें लोगों को फर्क दिखलाई पड़ता है। इसलिये उसके सम्बन्ध में विभिन्न विचार प्रकट हुआ करते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश को जब आजादी मिली और जिन परिस्थितियों में मिली वह किसी भी देश के लिये बहुत ही भयानक थी और हमारे देश में लोग परेशान थे कि आखिर होगा क्या। जहां देश को आजादी मिलते ही एक दो नहीं, ८०–८० लाख आदमी शरणार्थी के रूप में आवें, जहां पर कि इस देश को आजाद करने वाले नेता यकायक हमारे बीच से उठ जायं, जिनके पीछे हम आंख मूंद कर चलते थे, जिस देश से विदेशी शासन दो सौ वर्षों के बाद हटा हो और ऐसी हालत में हटा जब सारे देश में अकाल छाया हुआ था, जिस देश में अन्न, कपड़ा और तमाम छोटी–छोटी बातों की परेशानी थी उस देश की योजना बनाने के लिये दिमाग को संतुलित रखना पड़ेगा और सोच समझकर काम करना होगा। यही हुआ कि हमारे देश से एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद हुआ लेकिन मैं नहीं समझता कि उसने कोई ऐसी योजना बनाई हो जिससे वह हमारे देश के मुकाबले में आ सके। तो इन तमाम दिक्कतों के बावजूद भी हमारे देश ने योजनायें बनायीं और उनको कार्यान्वित किया जा रहा है।

दस वर्ष पहले और आज के भारत को जिसने ध्यान से देखा होगा, उसको जमीन आसमान का अन्तर मालूम हुआ होगा। यह दूसरी बात है कि वोट लेने की दृष्टि से लोग कहते फिरें कि कुछ नहीं हुआ। राजनीतिक पार्टियों से साधारण जनता ज्यादा समझती है कि देश और प्रदेश ने कितनी प्रगति की है। यह दूसरी बात है कि जितनी हमारी आवश्यकतायें थीं, जो हमारे लक्ष्य थे उनको हम पूरा नहीं कर पाये। किसी भी राजनीतिक पार्टी के हाथ में शासन सत्ता हो वह केवल एक रात में जादू की लकड़ी से परिवर्तन नहीं कर सकती, कुछ समय अवश्य चाहिये। एक मकान को गिराने में दस पांच दिन लगते हैं लेकिन बनाने में साल भर से कम नहीं लगता। इस प्रकार से २०० वर्ष तक जो देश बरबाद किया गया हो उसको बनाने में अगर २०, २५, ५० या १०० वर्ष भी लग जायं तो वह ज्यादा नहीं होंगे। जिस प्रकार से कोई किरायेदार किसी मकान को खाली करते समय उसमें तोड़ फोड़ कर दे और कुछ चीजें उठा ले जाय और जो चीजें न ले जा सके उनको दूसरों को दे जाय उसी प्रकार से अंग्रेजों ने इस देश का हाल किया। ऐसी हालत में भी हमारे देश के बुद्धिमान नेता देश को संभाल कर ले चले और आज एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनायें कार्याविन्त होती जा रही हैं।

आप सड़कों के निर्माण को ले लें, नहर निर्माण की ओर देखें, शिक्षा की दिशा में ध्यान दें या उद्योग-धंधों को देखें, हर तरफ प्रगति हुई है। पहले हमारे यहां सुई तक नहीं बनती थी लेकिन आज साइकिल, मोटर, हवाई जहाज और रेल के इंजिन तक बनने लगे हैं। पहले पूर्वी क्षेत्र के लोग जानते नहीं थे कि नहर और ट्यूबवेल क्या होते हैं लेकिन आज वहां नहरों का जाल बिछ गया है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, ४७ के पहले कितने स्कूल थे लेकिन आज कितनी संख्या में प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल खुल गये हैं, यह किसी से छिपा नहीं है।

मैं अपने जिले की कहूं कि १८ जूनियर हाई स्कूल सन् ४६ के पहले थे और आज ५२ हायर सेकेन्डरी स्कूल और हाई स्कूल हैं। क्या यह कम प्रगति की बात है? विश्वविद्यालयों की संख्या प्रांतों में दुगुने से ज्यादा हो गई है और इसी प्रकार कालेज भी बढ़े हैं। इस प्रकार हमारा प्रान्त इन योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि योजनायें बनाने

में त्रुटियां हों, उनके कार्यान्वित करने में त्रुटियां हों क्योंकि किसी को योजना का अनुभव नहीं था। पहला प्लान बिना सोचे-समझे बना, चलते रास्ते बना दिया गया। दूसरी योजना उससे ज्यादा अच्छी और अधिक सोच कर बनाई गई और मैं समझता हूं कि इस तीसरी पर और अधिक ध्यान दिया जायगा और वह अधिक अच्छी बनेगी। हमारे विरोधी दलों के सदस्य जो सुझाव देंगे उनको भी ध्यान में रखकर लाभ उठाया जायगा। मैं समझता हूं कि पहली से दूसरी योजना और दूसरी से तीसरी योजना उत्तरोत्तर सुसम्बद्ध और अच्छी होगी।

एक बात मैं मौलिक कहना चाहता हूं। वह यह है कि जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, वहां प्राइमरी शिक्षा बुनियादी शिक्षा के नाम से है। लेकिन शिक्षा की पद्धति का दोष अब भी बना हुआ है। इस बुनियादी शिक्षा के बारे में मेरी राय है कि वह कागज पर ही है। वास्तव में बुनियादी शिक्षा का महात्मा गांधी का जो अर्थ था उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर इसे बुनियादी ढंग से चलाना है तो वैसे चलाना चाहिये जैसे महात्मा गांधी चाहते थे। अन्यथा हमारी शिक्षा का विकास दो हिस्सों में बंट सा गया है। हम पूरी तरह से किसी को भी नहीं अपना पाये हैं। इस तरफ हमारा ध्यान जाने की बहुत आवश्यकता है

इन शब्दों के साथ, मुख्य-मंत्री जी ने जो विचार प्रकट किये हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं और जो योजना बनाई गई है उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, चूंकि अब घड़ी में ७ मिनट बाकी रह गये हैं, इसलिये मैं यह उम्मीद करता हूं कि ३ मिनट कल सुबह आप मेरे पूरे करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---आज ही कर दिये जावेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर---धन्यवाद।

श्रीमन्, प्रथम पंच वर्षीय योजना का श्रीगणेश वहां से हुआ जहां से हमारे संविधान का श्रीगणेश हुआ। उसके बाद प्रथम पंच वर्षीय योजना चली, वह खत्म हुई, दूसरी आई, वह भी समाप्त होने को है और तृतीय पंच वर्षीय योजना का श्रीगणेश हो गया है। मगर मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि पंच वर्षीय योजना का जो अर्थ है वह अर्थ सामने न रखकर पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। अगर इसका वास्तविक अर्थ समझाने की बात हो तो मैं मुख्य मंत्री जी को आज वह अर्थ समझाना चाहता हूं। मेरी धृष्टता अवश्य है मगर हर योजना के पहले उसका एक लक्ष्य होता है। जब लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है, तो फिर उसका एक संकल्प किया जाता है। जब संकल्प हो जाता है तब साधन जुटाये जाते हैं। साधन मुहय्या होने पर मुख्य मंत्री जी के ही शब्दों में मैं कहना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने कल कहा था---सहयोग की आवश्यकता होती है। परन्तु इस योजना के बनाने वालों का लक्ष्य कुछ और है, बरतनेवालों का संकल्प कुछ और है, साधन जुटानेवालों की निगाहें कहीं और हैं और सहयोग के लिये तो हमारे मुख्य मंत्री जी कल कह ही चुके हैं। ऐसा मालूम होता है कि योजना तो बन गई है मगर अब तक सारी योजनायें विभागीय सहयोग की कमी के कारण ही पूर्णतया सफल नहीं हुई। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इस प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि लक्ष्य कुछ है, साधन कुछ है, और सहयोग कहीं और है। टांडा पंप कैनाल के बारे में प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है---

"चूंकि रिहन्द बांध से बिजली मिलने की कोई निकट भविष्य में आशा नहीं है, इसलिये यही समझना चाहिये कि इस पूंजी लागत पर लाभ की दर, यदि अनुमान सही भी मान लिया जाय तो केवल १.५ प्रतिशत ही हुई जिसके माने यह हैं कि यह योजना अब अनुत्पादक रहेगी।"

[श्री शिवप्रसाद नागर]

इसके आगे प्राक्कलन समिति कहती है--

"विभागीय कर्मचारियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अगर बिजली सुहावल से ही लेनी पड़ी तो यह योजना उत्पादक नहीं हो सकती"

इसके आगे इसमें कमेंट दिया हुआ है कि कर्मचारी किस प्रकार से योजनायें बनाते हैं--

"समिति ने यह भी महसूस किया है कि इंजीनियरिंग विभाग में विशेषकर सिंचाई तथा विद्युत विभाग में एक नई प्रवृत्ति पैदा हो गयी है और वह यह है कि प्रारम्भ में वह योजनाओं को उत्पादक कह कर सरकार से स्वीकार करा लेते हैं और जब वे पूरी हो जाती है तब यह मालूम होता है कि वास्तव में अनुत्पादक हैं।"

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इन योजनाओं को बनाया जाता है तो उनके बारे में बड़ा-बड़ा ढोल पीटा जाता है। देहात और शहर की जनता को समझाया जाता है कि योजनाओं से चार चांद लग जायेंगे और प्रदेश स्वर्ग बन जायगा। लेकिन जैसा कि प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है उस ढोल में पोल ही होती है। योजना जब लाल फीते के अन्दर बन्ध जाती है तो उसकी यही हालत होती है जैसे कि जब लाल झंडी दिखलायी जाती है तो रेल रुक जाती है, जब चौराहे की लाल बत्ती जलती है तो मोटर, रुक जाती है। उसी प्रकार से लाल फीते में जब कोई योजना बांध दी जाती है तो उसका भी चलना रुक जाता है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि लाल फीते में यदि योजना को बांध कर रख दिया जायगा तो उसके सफलतापूर्वक कार्यान्वित होने की आशा नहीं की जा सकती।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशों के लिये ३६,००० करोड़ की कुल तृतीय पंच वर्षीय योजना रखी है और मुख्य मंत्री जी ने यह मांग की है कि पापुलेशन के बेसिस पर हमको उसमें से ६०० करोड़ रुपया मिलना चाहिये। यह हिस्सा आपका बिलकुल सही है। लेकिन जिस प्रकार से आप अपने सूबे के लिये क्लेम कर रहे हैं पापुलेशन के बेसिस पर उसी प्रकार से प्रत्येक जिले की भी यह मांग हो सकती है कि जिले की पापुलेशन बेसिस पर या और किसी अनुपात से योजना बनायी जाय और इसी प्रकार से जिले में भी खर्चा किया जाय। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम भीख नहीं मांगते केन्द्र वालों से। इसी प्रकार जिले वाले भी कह सकते हैं कि वे भी खैरात नहीं मांगते। लेकिन क्या आप जो रुपया खर्च करते हैं वह किसी इस प्रकार के बेसिस पर हर एक जिले में खर्च करते हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है कि सारा विकास बनारस में होता जाता है, मेरठ और बुलन्दशहर में होता जाता है। एक आंकड़ा मैं पेश करना चाहता हूं। जरा गौर कीजिये, तृतीय योजना में लखीमपुर खीरी में ४० ट्यूबवेल्स बनने जा रहे हैं, मेरठ में ८२, बुलन्दशहर में ८५ और अलीगढ़ में ८० बनने जा रहे हैं। क्या इसी तरह के बटवारे को आप सार्वजनिक और न्याय संगत कहते हैं। जब आप जनता से सहयोग चाहते हैं तो क्या सहयोग इस प्रकार से मिल सकता है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप ६०० करोड़ रुपया अपने लिये चाहते हैं तो क्या उसमें से आपने जो योजना बनायी है उसमें प्रत्येक जिले के लिये ११-११ करोड़ रुपया रखा है? लेकिन अब तक के जो आंकड़े हैं वे इस बात को साबित नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष--२-३ मिनट और जब तक आप बोलते रहेंगे, तब तक सदन बैठेगा। आप जारी रखें।

श्री शिवप्रसाद नागर--अध्यक्ष महोदय, खीरी जिले का महत्व प्रदेश के किसी जिले से कम नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री हमारे जिले में है और प्रदेश में सबसे अधिक जूट हमारा जिला पैदा करता है। अन्न और तेलहन के उत्पादन में हम किसी जिले से पीछे नहीं हैं सारे प्रदेश से अधिक जंगलात हमारे जिले में हैं। इक्साइज ड्यूटी और लैन्ड रेवेन्यू सब जिलों के

मुकाबिले हम सबसे अधिक भुगतान करते हैं आबादी और रकबे में भी हमारा जिला सब से बड़ा है। इन्हीं सब साधनों के द्वारा प्रदेश में सबसे अधिक महत्वशाली हमारा जिला है मगर योजनाओं में सबसे पिछड़ा है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने अपने जिले से करोड़ों पया पंचवर्षीय योजना के लिये दिया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल स्वीकार किया कि हमसे बड़ी-बड़ी गलतियां हुई हैं, इस स्वीकारोक्ति के लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। एक बात यह भी है कि कल जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने गलतियों को स्वीकार किया हम उन गलतियों को बड़ी फराखदिली से जनता की तरफ से बिल्कुल माफ कर रहे हैं।

अब हम कहना चाहते हैं कि पहली योजना के बाद दूसरी योजना समाप्त हो रही है और तीसरी योजना शुरू होने वाली है, तो इस बीच में आपने खीरी जिले में कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, कौन सा पुल बनाया, कौन सी फैक्ट्री बनायी, कौन सी नहर बनायी, कौन सी रेलवे लाइन बनायी, कौन सा नया अस्पताल बनाया, कौन सा कालेज बनाया? एक चीज भी तो नहीं बनायी। जब कहीं कोई बात आती भी है तो बुन्देलखंड की बात कही जाती है और बुन्देलखंड में झांसी की बात कही जाती है, फिर पूर्वी जिले की बात आती है और फिर पर्वतीय जिलों की बात कही जाती है, केन्द्र के जिलों के लिये तो कोई बात कहने वाला ही कोई नहीं है। हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं वे विरोधी दल के नेताओं में सबसे बड़े हैं, उनको कुछ कहने में हिचक भी लगती है कि मैं अपनी बात क्या कहूं? ठीक भी है, वे बड़े हैं, बड़प्पन की बात है, उन्हें अपनी बात कहना मुश्किल लगता है लेकिन हम कैसे मानें। हमारे यहां खीरी जिला में एक धेला पैसा भी इस पंचवर्षीय योजना में खर्च के लिये नहीं रखा गया है। तो एक बात और कह कर मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा से बैठ जाऊंगा। यह कहा गया कि विभागीय कोआर्डिनेशन नहीं है। विभागीय कोआर्डिनेशन न होने का खास कारण यह है कि अगर विभागीय सहयोग हो तो एक दूसरे की पोल खुल जायगी, इस लिये एक दूसरे से सहयोग नहीं करना चाहते हैं। अगर एक दूसरे से सहयोग करें तो मैं समझता हूं कि शायद यह योजना सफल हो जाय।

एक बात मैं और कह दूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में सन् ६१ तक १४ हजार मील पक्की सड़कें बन जायेंगी। अगर १४ हजार मील पक्की सड़कें पूरी हो जायं तो इस तरह से एक जिले में २७५ मील का औसत आता है। कितने ऐसे जिले यू० पी० के अन्दर होंगे जहां बहुत मुश्किल से शायद ५० मील पक्की सड़क बनी होगी, किसी किसी जिले में ४० मील ही पक्की सड़क बनी होगी और शायद किसी जिले में १०० मील भी बन गयी होगी। जैसे बिजनौर में तो कहा जाता है कि एक इंच सड़क भी पक्की बनने से बाकी नहीं है। अब तीसरी योजना में २,००० मील सड़क का और लक्ष्य निर्धारित किया गया है क्या कोई जिले-वार सूची बनाई गई है जिससे पता चल सके कि जिन जिलों में पिछली योजनाओं में सड़कें कम रखी गयी हैं अनुमानतः तीसरी योजना में उनकी कमी को पूरा किया जा सके। तो सहयोग इस प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता कि एक बच्चे को एक चम्मच, एक को एक गिलास और एक को कह दिया जाय कि बेटा भूखे सो जाओ, तो इस तरह से भूखे सोने वाला लड़का बाप का अदब नहीं मानेगा और सहयोग का तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा। तो आप सारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिये हम आपसे मांग करते हैं कि आप सब को एक समान बरतें।

मेरा खयाल है कि अगर हमारे जिले को आप विशेष तौर से मदद करते तो उस जिले वाले भी यह सोचते कि हमने अपने जिले से एक भी कांग्रेसी को एम० एल० ए० चुन कर नहीं भेजा फिर भी सरकार ने हमारी हर तरह से मदद की, इसलिये चलो अब की बार एक आध कांग्रेसी एम ०एल०ए० को ही वहां भेज दो। लेकिन ऐसा न करके हमारे यहां कुछ भी नहीं किया गया चूंकि वहां वालों ने किसी कांग्रेसी को नहीं भेजा इसलिये वे इसका नुकसान उठावें। मैं आपको याद दिलाऊं कि हमारे जिले में अभी तक केवल ५० मील पक्की सड़क

[श्री शिवप्रसाद नागर]

है और औसत हमारे जिले का २७५ मील के करीब पड़ता है। इसलिये कृपा करके वे कम से कम २७५ मील पक्की सड़क तृतीय पंच वर्षीय योजना में अवश्य पूरी करा देने की चेष्टा करें। जिस तरह से आप सेंटर से अपने सूबे का हिस्सा मांगते हैं, कोई भिक्षा नहीं मांगते हैं, उसी तरह से हम जिले वाले भी आपसे कोई भिक्षा न मांग कर अपना हिस्सा ही मांगते हैं। इसलिये १४ हजार मील पक्की सड़कों में जो हमारा औसत हिस्सा २७५ मील का आता है उसे जरूर पूरा कीजिये।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रथल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१६ सितम्बर, १९६०।

'नत्थी क'

(देखिय तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७४ पर)

Copy of letter no. F. 3-5/57 (S.6) S-1, dated January 5, 1959, from Sri L. C. LOBE, *Under Secretary, Government of India, Ministry of Education, New Delhi, addressed to Education Secretaries of all State Governments (excluding Union Territories).*

Subject :**Scheme for the grant of scholarships/other educational facilities to the children of Political Sufferers**

In continuation of this Ministry's letter no. F. 3-1/57-S-6, dated April 3, 1958, I am directed to say that the Government of India have now decided to take a hand with the State Government and Union Territories in affording scholarships and other educational facilities to the children of Political Sufferers ; and for this purpose have agreed to assist the States to the extent of 50 per cent of expenditure involved. In view of this decision the Government of India feel that there should be a uniform definition of "Political Sufferers" prevailing in all the States and therefore have formulated the following definition:

> "Political Sufferer means a person who suffered imprisonment or detention of not less than 6 months or who died or was killed in action or in detention, or was awarded capital punishment, or become permanently incapacitated due to firing or lathi charge, etc. or lost his job or means of livelihood or a part or whole of his property on account of participation in the national movements for emancipation of India."

Within this broad definition, the Government of India desire that the concessions envisaged should be available to children of political sufferers and their grand-children by pre-deceased sons provided the income of such political sufferers does not exceed Rs. 300 p. m.

2. The Government of India consider that the concessions which may be granted under these proposals should generally be as follows :

(i) Special consideration in the matter of admission and awards of freeships and half-freeships in all recognized Primary, Basic, Middle and High Schools.

(ii) Free seats in hostels attached to recognized schools and Colleges.

(iii) Limited number of stipends and book grants to scholars from the Primary to the Post-graduate level.

3. The Government of India are aware that some States are already providing educational concessions on the lines indicated above to the Political Sufferers in their areas but their definition of Political Sufferers has varied depending upon the extent of the nationalist activities of their respective people. In order to attain the desired uniformity the Government of India would be grateful if such States would now consider revising their existing definition of Political Sufferers to bring it in line with that now proposed. This would mean to some extent a libralization of their existing definition; if the State agree to do so the Government of India would be glad to be informed as early as possible and furnished with some indication of the extent of expenditure that would be involved.

4. The information on record shows that in certain States such schemes have not been in operation at all. At the same time from the numerous representations that have reached the Government of India it is clear that there are Political Sufferers in these States who would be in need of such facilities. The Government of India would, therefore, request these States to consider the above proposals sympathetically and agree to introduce a scheme on the above stated lines with effect from the year 1959-60. An estimate of the probable expenditure may kindly be communicated to the Government of India at an early date.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८५ पर)

उन समाचार पत्र, पत्रिकाओं की सूची जिन्हें १५ अगस्त के अवसर पर विज्ञापन दिये गये:—

१—नेशनल हेरल्ड, लखनऊ ।
२—वेनगार्ड, देहरादून ।
३—पायनियर, लखनऊ ।
४—लीडर, इलाहाबाद ।
५—टेलीग्राफ, कानपुर ।
६—हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली ।
७—हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड, दिल्ली ।
८—स्टेट्समैन, दिल्ली ।
९—टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली ।
१०—इंडियन ऐक्सप्रेस, दिल्ली ।
११—सिविक अफेयर्स, कानपुर ।
१२—फ्रन्टियर मेल, देहरादून ।
१३—हिमांचल टाइम्स, देहरादून ।
१४—पीपुल, लखनऊ ।
१५—नार्दर्न इंडिया पत्रिका, इलाहाबाद
१६—इंडियन वर्कर, दिल्ली ।
१७—सिटीजन, कानपुर
१८—दैनिक समाचार, वाराणसी ।
१९—स्वतंत्र भारत, लखनऊ ।
२०—नवजीवन, लखनऊ ।
२१—कारवां, लखनऊ ।
२२—कौमी आवाज, लखनऊ ।
२३—आज, वाराणसी ।
२४—संसार, वाराणसी ।
२५—सन्मार्ग, वाराणसी ।
२६—बनारस, वाराणसी ।
२७—आजाद, वाराणसी ।
२८—भारत, इलाहाबाद ।
२९—प्रयाग पत्रिका, इलाहाबाद ।
३०—प्रताप, कानपुर ।
३१—युगान्तर, कानपुर ।
३२—जागरण, कानपुर ।
३३—विश्वमित्र, कानपुर ।
३४—वीरभारत, कानपुर ।
३५—वर्तमान, कानपुर ।
३६—राष्ट्रमत, कानपुर ।
३७—सैनिक, आगरा ।
३८—अमर उजाला, आगरा ।
३९—उजाला, आगरा ।
४०—नव प्रभात, आगरा ।
४१—जागरण, झांसी ।
४२—भास्कर, झांसी ।
४३—सेवाग्राम, दिल्ली ।
४४—हिन्दुस्तान, दिल्ली ।
४५—नवभारत टाइम्स, दिल्ली ।
४६—मजदूर समाचार, कानपुर ।
४७—स्वराज्य, आगरा ।
४८—प्रभात, मेरठ ।
४९—सत्यपथ, गढ़वाल ।
५०—उद्योग विकास, आगरा ।
५१—नया भारत, लखनऊ ।
५२—सरहदी, लखनऊ ।
५३—जनमत, लखनऊ ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९२ पर)

१ जून १९५९ से १ मार्च, १९६० की अवधि में मुअत्तल रहे कर्मचारियों की सूची

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी का पद

बहाल किये गये कर्मचारियों का विवरण

१	श्री अमर सिंह	ड्राइवर ।
२	श्री शिव प्रसाद मेहता	ड्राइवर ।
३	श्री राम सेवक	मेहतर ।
४	श्री राम लोचन यादव	कंडक्टर ।
५	श्री गंगा राम (प्रथम)	डाइवर ।
६	श्री राधे श्याम	कंडक्टर ।
७	श्री रामजी तिवारी	ड्राइवर ।
८	श्री राम चन्द्र	चौकीदार ।
९	श्री राम सबद	क्लीनर कंडक्टर ।
१०	श्री बनारसी लाल (द्वितीय)	ड्राइवर ।
११	श्री रफीक अहमद	ड्राइवर ।
१२	श्री धर्म नाथ सिनहा	सहायक बुकिंग क्लर्क ।
१३	श्री हरीश चन्द्र मिश्र	फिटर ।
१४	श्री मुमताज	क्लीनर ।
१५	श्री राम लखन राय	क्लीनर ।
१६	श्री सूरज बली राम	क्लीनर ।
१७	श्री चन्द्र हरी शुक्ला	कंडक्टर ।

निकाल दिये गये कर्मचारियों का विवरण

१	श्री बनारसी लाल (प्रथम)	ड्राइवर ।
२	श्री दया शंकर त्रिपाठी	कंडक्टर ।
३	श्री सीता राम	कंडक्टर ।
४	श्री श्यामा प्रसाद	ड्राइवर ।
५	श्री वंशीधर	कंडक्टर ।
६	श्री शिव नाथ सिंह	कंडक्टर ।
७	श्री राम सुरेश पान्डे	ड्राइवर ।
८	श्री राम नरायन सिंह	ड्राइवर ।
९	श्री पूर्णमासी	कंडक्टर ।
१०	श्री राम चरित्तर	ड्राइवर ।
११	श्री हसन रजा	ड्राइवर ।

१	२	३

मुअत्तल किये गये कर्मचारियों का विवरण

१	श्री मुख्तार हुसैन	.. .. ..	जूनियर फोरमैन ।
२	श्री सैयद अली मुहम्मद	.. .. ..	जूनियर क्लर्क ।
३	श्री सूर्य कुमार त्रिपाठी	.. .. ..	सहायक बुकिंग क्लर्क।
४	श्री रूप नरायन महेन्द्र	.. .. ..	कैशियर ।
५	श्री मुहम्मद इद्रीस खां	.. .. ..	क्लीनर ।
६	श्री हर्ष नरायन सिंह	.. .. ..	कंडक्टर ।
७	श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव	.. ..	सहायक कैशियर ।

विद्यार्थी पुस्तकालय

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९३ पर)

तालिका

१—बहादुर मैंडिहार निवासी, बड़का चम्पा, थाना मैरवा, जिला सारन, बिहार ।

२—राम अवतार दूबे, निवासी ग्राम सजना ,, ,, ,,

३—राम प्रसाद कोइरी, निवासी ,, ,, ,,

४—दीना पान्डे, निवासी ग्राम बलियापुर ,, ,, ,,

५—केदार हरिजन, निवासी ग्राम सिरसिया ,, ,, ,,

६—शुकुल अहीर, निवासी ग्राम गोपहरी ,थाना खामपार जिला बेवरिया, उत्तर प्रदेश ।

७—भृगुराशन अहीर, निवासी ग्राम मिश्रौली ,, ,, ,,

अविकल प्रति

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८] का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९३ पर ।)

तालिका

१-५-६० से ३१-७-६० तक आजमगढ़ जिले के मुहम्मदाबाद-गोहना, मऊनाथ भंजन और चिरैया कोट में हुई चोरी , डकैती और कत्ल की घटनाओं की सूची :

	चोरी (नकबजनी सहित)	डकैती	कत्ल
मुहम्मदाबाद गोहना	८	..	१
मऊनाथ भंजन	१३	१	..
चिरैया कोट	५	१	१

प्रेस ट्रस्ट

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९४ पर।)

नाम जिला	कुल असिस्टेंट ट्रैफिक इंसपेक्टर की संख्या	परिगणित (हरिजन) जाति के कर्मचारियों का प्रतिशत अनुपात
लखनऊ ..	१५	
उन्नाव ..	४	
राय बरेली ..	५	
सुलतानपुर ..	४	
बाराबंकी ..	२	
सीतापुर ..	३	
कानपुर ..	१५	
फतेहपुर ..	३	
इटावा ..	४	
फर्रुखाबाद ..	३	
हमीरपुर ..	३	
बांदा ..	४	
झांसी ..	—	
आजमगढ़ ..	८	
बलिया ..	४	
फैजाबाद ..	२	
बस्ती ..	५	
गोंडा ..	४	
बहराइच ..	२	
गोरखपुर ..	७	
देवरिया ..	८	
इलाहाबाद ..	१५	६.६
मिर्जापुर ..	३	
प्रतापगढ़ ..	५	
वाराणसी ..	१८	
जौनपुर ..	३	
गाजीपुर ..	२	
लखीमपुर ..	१	
बरेली ..	१०	
बिजनौर ..	५	
बदायूं ..	४	
नैनीताल ..	४	
मुरादाबाद ..	७	१४.३
अलमोड़ा ..	३	३३.३
शाहजहांपुर ..	७	
पीलीभीत ..	२	
रामपुर ..	१	
आगरा ..	१३	
मथुरा ..	९	११.११
अलीगढ़ ..	७	
एटा ..	३	३३.३
मैनपुरी ..	५	
देहरादून ..	९	
सहारनपुर ..	८	
मुजफ्फरनगर ..	४	२५.०
मेरठ ..	१४	७.१
बुलन्दशहर ..	३	
गढ़वाल ..	३	

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९४ पर)

माह जून, १९५९ से जून, १९६० तक की हत्याओं व डकैतियों की संख्या

नाम माह	संख्या डकैती	संख्या हत्या	नाम माह	संख्या डकैती	संख्या हत्या
माह जून, १९५९	२	१	माह जनवरी १९६० ..	२	३
माह जुलाई ,, ..	२	३	माह फरवरी ,, ..	१	०
माह अगस्त ,, ...		३	माह मार्च ,, ...		२
माह सितम्बर,, ..	०	०	माह अप्रैल ,, ..	२	१
माह अक्तूबर,, ..	२	१	माह मई ,, ..	०	१
माह नवम्बर,, ..	०	०	माह जून ,, ...		८
माह दिसम्बर ..	१	२			

पी० एस० पी० यू० पी०—ए० बी० १७२ एल० ए०—१९६०—८४५।